आज़ादी का अमृत महोत्सव

वाणी

वर्ष : 35 अंक : 131 दिसंबर 2021

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
तिमाही गृह पत्रिका

गतिविधियाँ

आइओबी की क्रिकेट टीम (टीएनसीए द्वितीय श्रेणी लीग की उप- विजेता) के सदस्यों के साथ हमारे बैंक के एमडी व सीईओ **श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता** । साथ में हैं- कार्यपालक निदेशक द्वय **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव** व **सुश्री एस श्रीमती और** महा प्रबंधक(मा.सं) **श्री रवींद्र कुमार प्रधान**

दिनांक 29.11.2021 को आईटीए मचखोआ में क्रेडिट ऑउटरीच कार्यक्रम को संबोधित करते हुए **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव,** कार्यपालक निदेशक । साथ में मंच पर मौजूद हैं - गुवाहाटी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख **श्री संजय कुमार सिंह**

दिनांक 27.12.2021 को क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै 1 में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान शाखा प्रमुखों के साथ मौजूद हैं -कार्यपालक निदेशक महोदया **सुश्री एस श्रीमती** एवं मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक **श्री देवेंद्र कुमार**

वाणी

वर्ष : 35 अंक 131 दिसंबर 2021

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की तिमाही गृह पत्रिका

संदेश

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का संदेश 3

कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश 4

कार्यपालक निदेशक महोदया का संदेश 5

महा प्रबन्धक महोदय का संदेश 6

संपादकीय

भाषा का प्रयोग ही भाषा की सेवा है 7

विशेष आलेख

आइओबी का स्वर्णिम इतिहास 8

बैंकिंग व अन्य लेख

खुदरा ऋण : संभावनाएँ, विपणन एवं चुनौतियाँ 11

वित्तीय समावेशन में भारतीय भाषाओं का योगदान 15

बैंकों में धोखाधड़ी रोकने में विजिल ब्लोअर की भूमिका 36

क्रिप्टो करेंसी : एक आभासी मुद्रा 40

पर्दानशीन महिलाएं और बैंकिंग सुविधाएं 42

बैंकों में साइबर सुरक्षा के विविध आयाम 44

बैंक ऋणों में सिबिल कंपनियों की भूमिका 56

कविता

जड़ 14

कोलाहल 34

यादों का झरोखा 41

साहित्य का सफ़रनामा

उदय प्रकाश – एक कवि एवं चर्चित किस्सागो 18

प्रदक्षिणा

वेस्टर्न वॉल : एक इबादतगाह 50

फोटो फ़ीचर

नराकास से प्राप्त पुरस्कार 30

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता – 1 का निरीक्षण 31

कृति दर्पण

स्त्री निर्मिति- फेमनिज़्म का ए बी सी डी 48

नज़र कानूनी

सरोगेसी- क्या कहता है नया कानून 32

ख़तों के रास्ते इतिहास

आखरी उम्मीद 23

विविधा

शब्द-शब्दांतर 35

ज्ञान के मोती 58

हंसी की फुलझड़ियाँ 58

राजभाषा प्रश्नोत्तरी 59

प्रतिस्पन्दन 60

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
की तिमाही गृह पत्रिका

वाणी

वर्ष : 35 अंक 131 दिसंबर 2021

मुख्य संरक्षक
पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

संरक्षक
एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

परामर्शदाता
शिव कुमार गुप्ता
महा प्रबन्धक

संपादक
जगदीश चंद्र
सहायक महा प्रबन्धक

तुम वहन कर सको जन–मन में मेरे विचार !
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ?

संपादन सहयोग
नरेंद्र कुमार सिंह
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
नेहा रंजन
सहायक प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
शुभम दीक्षित
सहायक प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

मुद्रक
कृष्णराज प्रिंटर्स
36 देवराजन स्ट्रीट, रॉयपेट्टा
चेन्नै 600 014, तमिलनाडु
दूरभाष : 044-28481125

वाणी में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने निजी हैं । बैंक का इससे सहमत होना ज़रूरी नहीं है ।

पत्र व्यवहार का पता
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002
दूरभाष : 044-28519572
फैक्स : 044-28551618
ई-मेल : official@iobnet.co.in

केवल आंतरिक परिचालन हेतु

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का संदेश

प्यारे साथियो,

वाणी का नवीन अंक आप सभी को सौंपते हुए असीम हर्षानुभूति हो रही है। इस हर्ष का कारण अब किसी से भी छुपा नहीं है। बैंक में पदभार ग्रहण करने के साथ ही मैंने हमेशा यही महसूस किया कि इस बैंक की विरासत, ब्रांड वैल्यू तथा मानव पूंजी को देखते हुए ऐसा कोई कारण नहीं था जिसके चलते हमें इतने सुदीर्घ समय तक के लिए पीसीए में रहना पड़ा। यह आप सभी के भागीरथ प्रयत्नों का ही प्राप्य है कि इतनी सुदीर्घ प्रतीक्षा के पश्चात हमें आरबीआई ने 29 सितंबर के दिन पीसीए से मुक्त कर दिया जिसके लिए आप सभी बधाई एवं प्रशंसा के पात्र हैं। निश्चित रूप से यह आप सभी के संयुक्त प्रयासों का ही परिणाम था कि हम इस कठिन समय से उबर सके। आप सभी के दिए संबल ने ही मुझ में यह विश्वास जगाया है कि जब कोविड 19 महामारी और वैश्विक आर्थिक मंदी जैसी विषमतम परिस्थितियों में भी हमने डट कर पतवार संभाले रखी थी और अपने निष्पादन के बल पर लाभार्जन दर्ज़ किया था, अब तो हवा भी हमारे हक़ में है और जलधारा भी। अब हमें सबसे आगे जाने से कौन रोक सकता है।

जैसा कि आपको विदित ही है कि हम अपने बैंक के स्थापना माह में प्रवेश करने वाले हैं। 10 फरवरी, जिसे हमारे बैंक के स्थापना दिवस के रूप में पहचान प्राप्त है, वास्तव में खुद को संस्थान की बुनियादी कसौटियों पर परखने का दिवस है। हमें आत्मावलोकन करना होगा कि जिन आकशोन्मुखी आकांक्षाओं के साथ हमारे बैंक के संस्थापक श्री एम सी टी एम सी चेट्टियार ने इस बैंक की नींव रखी थी, हम उन आकांक्षाओं पर कितना खरे उतर पा रहे हैं। हमें अभी तक अर्जित उपलब्धियों का सिंहावलोकन करते हुए आगे की रणनीति बनानी होगी तथा योजनाबद्ध रूप से लक्ष्यों को साधना होगा तथा आगे की राह तय करनी होगी।

नूतन वर्ष का आगमन सदैव ही विशेष होता है क्योंकि इसके साथ कई स्थानीय पर्व भी स्वतः ही जुड़ जाते हैं। सम्पूर्ण भारतवर्ष में खेतों में फसलों के पकने को उत्सव के रूप में मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल जैसे विभिन्न नामों के साथ मनाया जाता है। किसानों द्वारा अपनी उपज के नकदीकरण के पश्चात इस त्योहारी मौसम में कृषि कार्य से जुड़े नए उपकरण आदि खरीदना एक सामान्य प्रक्रिया है। ऐसे में एक ओर जहाँ हम इस अवसर का समुचित लाभ उठाते हुए पात्र किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि ऋणों को उपलब्ध करवा कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं तो वहीं दूसरी ओर इसकी मदद से हम अपने बैंक के प्राथमिक क्षेत्र के पोर्टफोलियो में भी बढ़त दर्ज़ कर सकते हैं, जोकि अंततः नियामकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के रूप में परिणामित होगी। यहाँ पर यह जोड़ना भी समीचीन होगा कि त्वरित भुगतान करने पर केंद्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि ऋणों को सब्सिडी प्राप्त होना, ऐसे ऋणों के ससमय चुकतान को तो प्रोत्साहित करता ही है साथ ही दिए गए छोटे ऋण बैंक के जोखिम प्रभार को भी नियंत्रित रखते हैं। अगर तुलन पत्र की दृष्टि से देखा जाए तो इस तरह के ऋण बैंक को दोहरा लाभ कमा कर देते हैं। हमें स्मरण रखना होगा कि आवश्यक सावधानी बरतते हुए संवितरित किया गया छोटे से छोटा ऋण भी बैंक के लाभार्जन में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। नववर्ष तथा वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही हेतु शुभकामनाओं सहित...

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदेश

कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश

प्यारे आइओबियन्स,

एक बार फिर अपने बैंक की पत्रिका वाणी के माध्यम से आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ। वाणी के इस अंक के माध्यम से आप सभी से संवाद स्थापित करना अपने आप में अलहदा किस्म की अनुभूति है। बैंक में कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण करने के पश्चात यह पहला अवसर है जब नया कारोबार जुटाने के लिए हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की नियामक बाध्यताएँ नहीं हैं। आखिरकार आप सभी के समेकित उद्यम तथा अथक प्रयत्नों के चलते हम अपने चिरलक्षित लक्ष्य को भेद सके और आखिरकार इस वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही के समापन से पूर्व ही आरबीआई द्वारा हमारे बैंक को पीसीए से मुक्त कर दिया गया।

यह असीम हर्ष का विषय है कि आप सभी के समेकित प्रयासों तथा समर्पित परिश्रम के चलते अंततः 29 सितंबर 2021 को वह स्वर्णिम दिन आ ही गया जिसका हम सभी आइओबियन्स को बेसब्री से इंतज़ार था। अपने सुनहरे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें आने वाले महीनों में और अधिक प्रयास करने की एवं स्मार्ट तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है हम में से प्रत्येक इसके लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन जैसा कि सदैव कहा जाता है "स्वतंत्रता कभी मुफ्त में नहीं आती, उसे बनाए रखने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है"। अब अगर इसे अपने बैंक की तत्सामयिक परिपेक्ष्य से जोड़ दिया जाए तो मैं कहना चाहूँगा कि आज हम भले ही नियामक बाध्यताओं से मुक्त हो गए हों मगर हमारे दायित्व इस सुखदानुभूति से अधिक गुरुतर हैं, हमें नए ऋणों को स्वीकृत करते समय अब और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार की हानि अर्जित किए बिना हम अपने बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो को बढ़ा सकें।

आप में से कोई शायद ही इस बात को नकार सकता है कि प्रतियोगिताएँ हमें अपनी क्षमता के आकलन का अवसर तो प्रदान करती ही हैं साथ ही वे एक अनुकूल माहौल भी तैयार करती हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। इसी क्रम में हमारे बैंक के विभागों द्वारा तरह-तरह के अभियान चलाए जाते हैं। ये अभियान या प्रतियोगिताएँ किसी कैमिकल रिएक्शन में उत्प्रेरक के समान भूमिका का निर्वहन करती हैं जो हमारे भीतर श्रेष्ठतम देने की लालसा को बढ़ाता है। लेकिन देखा गया है कि हम सिर्फ उन अवसरों पर ऐसा करते हैं जहाँ हमें लगता है कि कुछ और अधिक कोशिश करने की आवश्यकता है। कितना अच्छा होता कि अगर श्रेष्ठतम देने कि इस प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बना पाते। इसके लिए क्या हमें बाहरी प्रोत्साहन की आवश्यकता है? कितना अच्छा हो कि अगर ये प्रोत्साहन हमारे भीतर से जगे।

हममें से बहुत सारे लोग गोल्ड फिश की तरह जीते हैं जो हर दिन एक ही दिशा में तैरती रहती है – हतोत्साहित, थकावट से भरी, ऊबी हुई और कभी - कभी निष्क्रिय। जीवन बहुत ही कीमती होता है और उसे ज़ाया नहीं करना है। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक मकसद होता है। अपनी क्षमता, लालसा, उद्देश्य का पता लगाएँ और तदानुसार भविष्य के पथ का अनुसंधान करें। हमेशा सर्वोत्तम देने का प्रयास करें और आप पाएंगे कि यह आपको दोहरा लाभार्जन कर के दे रहा है। जहाँ एक ओर यह आपको आत्मसंतुष्टि की भावना से पूरित करेगा वहीं दूसरी ओर यह संस्थान के लिए भी बहुभांति लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आवश्यकता है तो बस सतत, समेकित, सार्थक प्रयासों की। नूतन वर्ष की शुभ कामनाओं सहित...

अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

कार्यपालक निदेशक महोदया का संदेश

प्रिय सहकर्मियो,

वाणी के इस नए अंक के माध्यम से आपसे चर्चा करते हुए बेहद खुशी हो रही है । नूतन वर्ष हमें क्षण भर के लिए ठहरने-आँकने-विचारने और संकल्प लेने के लिए एक पड़ाव के सदृश कार्य करता है । ये एक प्रकार से नवता का द्योतक है जहाँ नए संकल्पों और विकल्पों के लिए स्पेस होता है, पुरानी लीक छोड़ एक नूतन पथ की खोज का राग होता है, पुरानी गलतियों से ली गई सीख होती है और श्रेष्ठतम देने की लालसा होती है ।

अपनी आज की बात आप सभी के सामने एक छोटी सी खूबसूरत कहानी के माध्यम से रखना चाहूंगी । एक वृद्ध कारपेंटर रिटायर होने वाला था, उसने अपने मालिक से कहा कि मैं अब और अधिक काम नहीं कर पाऊँगा और अपने परिवार के साथ बाकी की जिंदगी आराम से गुजारना चाहता हूँ । अब घर बनाना मेरे बस की बात नहीं है । मुझे वेतन जरूर नहीं मिलेगा फिर भी मैं रिटायर होना चाहता हूँ । मालिक को दुख हुआ कि उसका एक अच्छा कर्मकार जा रहा है और उसने कारपेंटर से कहा कि जाने से पहले क्या वह उसके लिए एक और घर बना सकेगा ? अब क्योंकि मालिक का अनुरोध था जिसे वो मना नहीं कर सका और अनमने मन से ही सही मगर उसने घर बनाने के लिए हाँ कर दी । मगर हकीकत में तमाम प्रयासों के बावजूद भी वो अपने काम में दिलचस्पी नहीं दिखा पा रहा था और काम को बोझ सरीखे ढंग से करता रहा । उसके समर्पित कैरियर का इस तरह अंत होना बड़ा दुखदायी था । जब उसने घर बना दिया तो मालिक घर देखने के लिए आया और दरवाजे की चाबी देकर कहा यह तुम्हारा घर है -- मेरी तरफ से भेंट। कारपेंटर को साँप सूंघ गया । कितनी शर्म की बात थी, यदि पता होता कि वह अपने लिए घर बना रहा है तो उसे बेहतर ढंग से बनाता और अपना श्रेष्ठतम देने का प्रयास करता ।

यह बात हम सब पर भी लागू होती है । हम अपनी जिंदगी सँवारते हैं, घर बनाते हैं परन्तु शायद इसके लिए अपना श्रेष्ठतम नहीं दे पाते । तब जाकर पता चलता है कि हमें इसी घर में रहना है । यदि हम समय रहते यह जान पाते तो शायद हमारे काम करने का तरीका ही कुछ अलग होता । लेकिन हम पीछे मुड़कर जा नहीं सकते । हम सभी एक कारपेंटर ही तो हैं । हर रोज कहीं दीवार बनाते हैं । कहीं कील ठोकते हैं, बोर्ड लगाते हैं । किसी ने कहा है जिंदगी अपने आप पूरी की जाने वाली प्रॉजेक्ट है । आपका व्यवहार और आपकी पसंद जो आज आप रखते हैं वही आपका घर बनाने में आपकी मदद करेगा, जिसमें आप कल रहेंगे । इसी लिए अपेक्षित है कि हम सभी अपना काम अपनी पूरी लगन तथा ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि आज हमारे द्वारा किए गए काम ही हमारे आने वाले कल के लिए बुनियाद तैयार करते हैं कि हमारा कल कैसा होगा ।

आइए सब मिलकर काम करें और मिलकर एक अलग छाप छोड़ें । इसी के साथ आपको सोहन लाल द्विवेदी जी की कुछ कविता की पंक्तियाँ सौंपते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगी ।

सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती...

नव वर्ष एवं पोंगल की असीम शुभकामनाओं सहित...

एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

महा प्रबंधक महोदय का संदेश

संदेश

प्रिय साथियो,

हमारे बैंक की गृह पत्रिका "वाणी" के माध्यम से आप सभी से संवाद का यह मेरा पहला अवसर है। राजभाषा विभाग की शैल्फ में रखी हुई चमचमाती शील्ड्स और ट्राफियाँ इस बात की साक्षी हैं कि यह पत्रिका बैंक की प्रतिष्ठा में चार चाँद लगाती है, ऐसे में 130 अंकों की सुदीर्घ शृंखला एवं 35 वर्षों के वृहत्तम इतिहास की थाती संभाले हमारे बैंक की वाणी में अपना स्वर जोड़ना, एक अलग किस्म की सुखदानुभूति है। पत्रिका के साथ-साथ हमारा राजभाषा कार्यान्वयन भी किसी भी अपेक्षा से कम नहीं है, लेकिन बात वही है – कोई भी चीज़ कभी पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकती। यह गर्व का विषय है कि राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति के रूप में प्रमाणन भी प्राप्त हुआ है। किन्तु अपने उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए हमारा उद्देश्य शीर्ष की ओर लक्षियत होना चाहिए। हमें यह बात अपनी गांठ से बांधनी होगी कि अगर हमारा कार्य अच्छा है, तो उसे हम बेहतर बनाएँ और अगर बेहतर है तो उससे बेहतरीन बनाएँ। ये समय आत्मावलोकन का समय है, विगत वर्ष के दौरान हुई भूलों को सुधारने का समय है और रह गई चूकों की पूर्ति करने का समय है। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी अपना उत्कृष्ट दें। अतः आइए, हम सब इस दिशा में आगे बढ़ते हुए राजभाषा के कामकाज एवं कार्यान्वयन में पूरा ज़ोर लगा कर हर संभव प्रयत्न करें, ताकि निर्णायकों के पास हमें शीर्ष पर स्थान देने के अलावा अन्य कोई विकल्प ही न बचे।

राजभाषा के अलावा बैंकर होने के नाते हमारी कई अन्य प्राथमिकताएँ भी हैं। जिनमें से एक हमारे बैंक के व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाना भी शामिल है। हम अपने बैंक के कर्मचारी ही नहीं अपने बैंक के ब्रांड अम्बेस्डर भी हैं और अपने बैंक के उत्पादों की मार्केटिंग का दायित्व भी हमारे ही कंधों पर है। साथियो, मार्केटिंग के दो पहलू होते हैं, पहला नए ग्राहकों को शामिल करना (अधिग्रहण) और दूसरा मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखना एवं उनके साथ संबंधों का विस्तार करना (आधार प्रबंधन)। ऐसे में अगर मैं कहूँ कि तीसरे पहलू के रूप में हमारे बैंक के पुराने ग्राहकों को एक नई शुरुआत के साथ दोबारा हमसे जोड़ने का प्रयास करना, क्या सोने पर सुहागा की तर्ज़ पर फलित नहीं होगा? इसी क्रम में एमएसएमई विभाग द्वारा जारी किया गया मीट एंड ग्रीट अभियान एक सार्थक प्रयास था लेकिन मेरा मत है कि क्या इस तरह की प्रक्रिया हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा नहीं हो सकती जहाँ हम नए सबन्धों को जोड़ने के साथ ही पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। क्योंकि एक बार जब कोई ग्राहक हम से जुड़ जाता है तो उसके पश्चात हम आधार प्रबंधन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जिसके तहत हम अपने ग्राहक के साथ स्थापित सम्बन्धों को विकसित करते हैं, उन्हें पोषण देते हैं, दी जा रही सुविधाओं में ईज़ाफा करते हैं और अपनी सेवाओं को निरंतर बेहतर बनाते हैं ताकि आगे जा कर हम अपने बैंक के उत्पादों के माध्यम से अपने बैंक की लाभप्रदता को बढ़ाने में अपना सक्रिय योगदान दे सकें तथा अपने व्यापार को प्रतिस्पर्धी बैंकों से सुरक्षित रख सकें।

यदि ग्राहकों के साथ उनकी भाषा में ही बातचीत की जाए तो ग्राहकों को संतुष्टि तो मिलेगी ही साथ ही हमारे विभिन्न उत्पादों को आसानी से ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकेगा। जहाँ तक संभव हो उत्पादों की प्रचार सामग्री को द्विभाषिक/ त्रिभाषिक रूप में अपने स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए। अंत में ग्राहकों के संबंध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पंक्तियाँ आपको सौंपते हुए अपने वाणी को विराम दूँगा।

"ग्राहक हमारे परिसर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है; वह हम पर निर्भर नहीं है। हम उस पर निर्भर हैं। वह हमारे कार्य में बाधक नहीं है, साधक है। वह तो हमारे कार्य का लक्ष्य है। वह हमारे व्यवसाय के लिए कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। वह तो व्यवसाय का ही एक अंश है। उसकी सेवा करके हम उस पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। उपकार तो वो वह हम पर कर रहा है, हमें सेवा का मौका देकर।"

- महात्मा गांधी

नववर्ष समेत मकर संक्रांति, लोहड़ी एवं पोंगल की शुभकामनाओं सहित,

शिव कुमार गुप्ता

महा प्रबन्धक

भाषा का प्रयोग ही भाषा की सेवा है

संपादकीय

प्रिय पाठकों,

यह प्रथम अवसर है जब वाणी में संपादकीय के माध्यम से आप सभी से संवाद का सुयोग प्राप्त हुआ है। यद्यपि राजभाषा विभाग तथा हमारे बैंक की वाणी से मेरा जुड़ाव काफ़ी पुराना रहा है। जब वर्ष 2014 में मुख्य प्रबंधक के पद पर पदोन्नत हो कर सामान्य बैंकिंग की राह ली थी तब मैंने सोचा भी न था कि पुनः विभाग प्रमुख के रूप में भाषा की सेवा का सुअवसर प्राप्त होगा, किन्तु जिस प्रकार शाख छोड़ कर गए पंछी शाम होते ही वापस अपने घोसलों की ओर लौट आते हैं, ठीक उसी तरह मुझे भी अपने कार्यालयी जीवन के अंतिम पड़ाव पर दोबारा इस विभाग से जुड़ने का मौका मिला है। अगर वाणी की बात की जाए तो इसकी भाषा एवं इसके कलेवर को कई कुशल भाषा शिल्पियों ने अपने सम्पादन के दौर में साधा और परिष्कृत किया है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम पुराने पदचिन्हों को स्मृति में रख, नवीन मार्गों का अनुसंधान करते हुए अपने पाठकों की अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। मुझे आशा है कि 'वाणी' को हमेशा की ही तरह आप सभी का स्नेह, सराहना तथा सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

जैसा कि विदित है ग्राहक बैंक की मुख्य पूँजी होते हैं। बैंकिंग व्यवसाय से जुड़े होने के कारण ग्राहकों के साथ उनकी भाषा में वार्तालाप या लेनदेन करना कितना उपयोगी सिद्ध होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। हमारे बैंक ने ग्राहकों की सुविधानुसार अपनी मोबाइल बैंकिंग एवं इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा हिंदी सहित अन्य 9 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करवाया है। यह नवोन्मेषी पहल ग्राहक को बैंक की ओर अत्यधिक आकर्षित कर रहा है। आइए हम सभी भारतीय भाषाओं को सम्मान देने का संकल्प लें और अपनी बोलचाल में उनका प्रयोग करें, क्योंकि भाषा का प्रयोग ही भाषा की सेवा है।

वाणी के इस अंक में साहित्य, इतिहास, बैंकिंग, कानून एवं राजभाषा संबंधी विभिन्न विषयों को समेटा गया है। विशेष आलेख संबंधी स्तंभ में आइओबी का स्वर्णिम इतिहास को उकेरने के प्रयास के साथ-साथ विभिन्न बैंकिंग विषयों यानि खुदरा ऋण, क्रिप्टो करेंसी, साइबर सुरक्षा, विजिल ब्लोअर, वित्तीय समावेशन व भारतीय भाषाएँ एवं बैंकिंग क्षेत्र में पर्दानशीन महिलाओं के अधिकारों व सुविधाओं पर संक्षिप्त चर्चा की गई है। नज़र कानूनी स्तम्भ में सरोगेसी से जुड़े नए कानूनी प्रावधानों; कृति दर्पण स्तम्भ में स्त्री निर्मिति नामक किताब की समीक्षा तथा साहित्य का सफरनामा स्तंभ में समकालीन समय के मशहूर हस्ती उदय प्रकाश की लेखनी पर प्रकाश डाला गया है। हमारे संपादक मण्डल ने मौजूदा सभी स्तंभों को बरकरार रखते हुए विभिन्न ज्वलंत बैंकिंग मुद्दों पर ज्ञान वर्धक लेखों को इस अंक में समावेशित किया है। हमें आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा।

नववर्ष की शुभकामनाओं सहित, आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा में....

जगदीश चंद्र
सहायक महा प्रबन्धक एवं संपादक

आइओबी का स्वर्णिम इतिहास

मधुमिता बनर्जी, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद

84 वर्षों का समृद्ध इतिहास समेटे, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक वैश्विक स्तर पर पूरे भारत वर्ष में 3217 शाखाएं, 3145 एटीएम, 2739 कारोबार संवादी (बीसी) और 4 विदेशी शाखाओं सहित अपनी मजबूत स्थिति को बनाए हुए है। आइए, इस बैंक के इतिहास को खंगालते हुए उसके वर्तमान से अवगत होते हैं।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) की स्थापना 10 फ़रवरी 1937 को श्री एम.सीटी.एम. चिदंबरम चेट्टियार ने की जो बैंकिंग, बीमा व उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी है। बैंक की स्थापना उन्होंने दो उद्देश्यों से की थी - विदेशी विनिमय व्यवसाय करना तथा विदेशी बैंकिंग में विशिष्टता प्राप्त करना। भारत में वैयक्तिक ऋण योजना एवं उपभोक्ता ऋण में व्यवसाय करने वाला यह पहला बैंक था। वर्ष 1931 से 1941 तक आइओबी की विदेशी सरजमीं पर पिनांग, आलालम्पुर और सिंगापुर में एक-एक शाखा खोली गई। बैंक ने नट्टुकोट्टई चेट्टियार की सेवा की है, जो एक व्यापारी वर्ग थे और उस समय तमिलनाडु राज्य के चेट्टीनाड सीलोन (श्रीलंका), बर्मा (मयांमार), मलाया, सिंगापुर, जावा, सुमात्रा और साइगॉन तक फैल गए थे। नतीजतन, शुरुआत से ही आइओबी को विदेशी मुद्रा और विदेशी बैंकिंग में विशेषज्ञता प्राप्त है। विश्व युद्ध के कारण, आइओबी की रंगून, पिनांग और सिंगापुर की शाखाओं को बंद कर दिया गया, हालांकि सिंगापुर शाखा का 1942 में जापानी पर्यवेक्षण के तहत संचालन फिर से शुरु किया गया। 1945 या 1946 में आइओबी ने कोलंबो में एक शाखा खोली। तत्पश्चात1947 में बैंकॉक में एक शाखा खुली और फिर इपोह, मल्लक्का, मलाया में एक-एक शाखा खोली गई। कुछ वर्ष बाद 1955 में आइओबी ने हांगकांग में अपनी पहली शाखा खोली। वर्ष 1963 में बर्मा की तत्कालीन सरकार ने रंगून, मांडले और मौलमीन में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की शाखाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

आइओबी की यह एक अनोखी विशेषता है कि उसने 10 फ़रवरी 1937 (स्थापना दिवस के दिन) को एक साथ 3 शाखाओं में व्यवसाय की शुरुआत की - भारत में कारैक्कुड़ि व चेन्नै में तथा बर्मा के रंगून में और दूसरी शाखा पेनांग में खुली। भारत की आजादी के समय आइओबी की भारत में 38 शाखाएँ तथा विदेश में 7 शाखाएँ थीं। उस समय इसकी कुल जमा राशि रु. 3.23 करोड़ थी। आम जनता की पहुंच भारतीय बैंकों तक करने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधान मंत्री माननीया इंदिरा गाँधी द्वारा भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया गया, उन 14 प्रमुख निजी बैंकों में आइओबी भी भारत सरकार द्वारा अधिगृहित एक बैंक है। 1969 के पूर्व बैंकों तक पहुंच अधिकतम संपन्न वर्गों का हुआ करती थी। तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना, उस दौर का एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने संबंधी फैसले का सही प्रतिफल आने से, वर्ष 1980 में भारत सरकार द्वारा पुन: छ: अन्य निजी बैंकों को भी राष्ट्रीयकृत किया गया।

पुराना केंद्रीय कार्यालय, चैन्ने

पूर्व राष्ट्रीयकरण युग (1937-69)

इस अवधि के दौरान, आइओबी ने अपने देशी गतिविधियों का विस्तार किया तथा साथ ही अपने अन्तर-राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन को भी बढ़ाया। बैंक ने चेन्नै में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जो आगे चलकर स्टाफ़ कालेज के रूप में परिवर्तित हुआ। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 11 स्टाफ़ प्रशिक्षण केंद्र भी मौजूद हैं, जहाँ हमारे कार्मिकों को बैंकिंग संबंधी विविध पाठ्यक्रमों से परिचित करवाया जाता है। आइओबी उपभोक्ता ऋण शुरु करने वाला पहला बैंक था। बैंक ने 1964 में लोकप्रिय वैयक्तिक ऋण योजना शुरु की तथा अंतर-शाखा लेखा समाधान के क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण की शुरुआत की। वर्ष 1968 में कृषकों की आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने के लिए आइओबी ने एक नए विभाग की स्थापना की।

उत्तर-राष्ट्रीयकरण युग (1969- अब तक)

1973 में, आइओबी को अपनी पाँच मलेशियाई शाखाओं को बंद करना पड़ा था, क्योंकि मलेशिया का बैंकिंग कानून सरकारी बैंकों का निषेध करता है। इसके फलस्वरूप यूनाइटेड एशियन बैंक, बरहद का निर्माण किया गया, जिसमें आइओबी की 16.6% का हिस्सेदारी है। इसी वर्ष भारत में, भारत ओवरसीज़ बैंक लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसकी थाइलैंड में स्थित बैंकाक शाखा में 30% शेयर की भागीदारी थी। 1977 में, आइओबी ने सियोल में अपनी शाखा खोली तथा 1979 में बैंक ने कोलंबो में विदेशी मुद्रा बैंकिंग संबंधी इकाई खोली।

बैंक ने 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों - पुरी ग्राम्य बैंक, पांडियन ग्रामिण बैंक तथा ढेंकानाल ग्राम्य बैंक को प्रायोजित किया। वर्तमान में हमारे बैंक द्वारा सिर्फ ओड़िसा ग्राम्य बैंक प्रायोजित की जा रही है, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है।

अपना सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित करने तथा इस क्षेत्र में स्टाफ़ सदस्यों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए बैंक ने अलग से कंप्यूटर नीति व प्रायोजना विभाग (सीपीपीडी) की स्थापना की।

1960 के दशक में, भारत में बैंकिंग क्षेत्र कमजोर निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ विलय के माध्यम से मजबूत हो रहा था। उस दौर में, आइओबी ने कई स्थानीय बैंकों का अधिग्रहण किया, वे बैंक हैं – कोयंबत्तूर स्टैंडर्ड बैंक, नानजिनाद बैंक, कोयंबत्तूर वसुंधरा बैंक, कुलीतालाई बैंक, श्रीनिवास पेरुमल बैंक और वेंकटेश्वर बैंक।

हमारे बैंक ने अब तक की यात्रा में कई उतार – चढ़ाव देखे हैं। परंतु, इस उतार – चढ़ाव से उभरकर ही बैंक ने अपने आपको अधिक मजबूत बनाया है। हमारे बैंक की प्रमुख विशेषता है कि हम बुरे वक्त में और अधिक ऊर्जा एवं अपार क्षमता के साथ अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। हमारी कार्यशैली ही हमें विशिष्ट बनाती है।

निजी क्षेत्र की इकाई के टर्नअराउंड की कहानियों पर बहुत ध्यान दिया जाता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन की सफलता से संबंधित कहानी कहीं न कहीं पीछे छूट जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आइओबी को अक्तूबर माह 2015 में अनर्जक आस्तियों में बढ़ोत्तरी एवं आस्तियों पर नकारात्मक रिटर्न के कारण पीसीए में लाया गया। आइओबी के इन छह वर्षों में टर्नअरांउड (कायापलट) की कहानी से, बैंक ने जिस सफलता का मुकाम हासिल किया है, आइए उसे समझते हैं-

84 वर्ष पुराना यह बैंक, अपने टर्नअरांउड के अनुभव से हमें दलबद्ध प्रयास की बहुमूल्य सीख देता है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नेतृत्व के कई भ्रमों को भी तोड़ता है। आइओबी के स्टाफ सदस्यों की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं संकल्प ने बैंक की कायापलट कर दी।

इसके निजीकरण की अटकलों और इसके तिमाही दर तिमाही लाभ दर्शाने के बीच, आइओबी में सकारात्मक बदलाव इसकी दलबद्धता की भावना को दर्शाता है। इस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर संकट 2015-16 में उस वक्त आया जब इसने वर्षों से शुद्ध मुनाफा दिखाने के बाद रु. 454 करोड़ का घाटा दिखाया तथा यह बढ़ते-बढ़ते वित्त- वर्ष 2016 में रु. 2,897 और वित्त वर्ष 2017 में रु. 3,417 करोड़ हो गया।

बैंक के प्रदर्शन में आई गिरावट के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं-

स्पष्ट योजना का न होना - आम तौर पर एक स्पष्ट योजना के बाद ही उधार या ऋण दिए जाते हैं, अन्यथा ब्याज बढ़ते बोझ का कारण बनते हैं। परंतु आइओबी के मामले में, व्यापक विदेशी विनिमय एवं उसके लिए कोई स्पष्ट योजना के न होने के चलते इससे बैलेंस शीट को भारी नुकसान पहुँचा है।

आक्रामक रूप से उधार देना – हाथ में पर्याप्त पूँजी के साथ, बैंक ने आक्रामक ऋण देने का सहारा लिया, विशेष रूप से बड़े कॉर्पोरेट घरानों को। हालांकि इस बड़े कॉर्पोरेट सेगमेंट में इसका एक्सपोज़र काफी बढ़ गया, जो आइओबी के इतिहास में पहले कभी नही हुआ था। बाद के महीनों में अधिकांश बड़े कॉर्पोरेट खाते खराब या एनपीए हो गए, जिससे बैंक की बैलेंस शीट पर कहर बरसा।

विस्तारीकरण नीति - बैंक ने अपनी पहचान पूरे भारतवर्ष में बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 और 2013-14 के बीच 1,250 से भी अधिक नई शाखाएं खोलीं जो आइओबी के इतिहास में कभी नहीं

हुआ। इन शाखाओं में उपयुक्त संसाधनों की कमी के कारण कई शाखाओं को अनावश्यक रूप से हानि उठानी पड़ी।

आइटी का संकुचित प्रयोग - बैंक की इस दशा को और भी कमजोर बनाने में - आइटी सिस्टम तथा ग्राहक शिकायतों के निवारण हेतु निगरानी में भी कमी रही। अन्य शीर्षस्थ बैंकों की तुलना में आइओबी में डिजिटल उत्पादों की काफी कमी देखी गई।

एनपीए में बढ़ोत्तरी – ऋण में बढ़ोत्तरी के कारण व उसकी वसूली समय पर न होने के कारण सकल एनपीए में अनायास वृद्धि हुई और बाद के वर्षों में खराब ऋण वसूली और खराब ऋणों के वजह से स्थिति और अधिक खराब होने लगी। नतीजतन, बैंक को अक्तूबर 2015 से आरबीआई द्वारा पीसीए (त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई) कार्यक्रम के तहत रखा गया था।

वर्ष 2017 में एक बहु - आयामी रणनीति के साथ बड़े पैमाने पर टर्नअरांउड कार्यक्रम शुरु किया गया। जिसके तहत आइएनआर अधिशेष स्वैप विकल्प का उपयोग किया गया, बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए जोखिम को कम करके अपने पोर्टफोलियो को पुनर्संरचित किया गया। मानव संसाधन और आइटी प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया गया। "यह पुनरुद्धार कार्यक्रम पूरे आइओबी कर्मचारियों, यूनियनों और अन्य लोगों की भागीदारी के साथ शुरु किया गया था, क्योंकि सभी ने बैंक के पुनरुद्धार के लिए उत्साह दिखाया था।"

मानव संसाधन या एचआर फोकस के तहत, प्रबंधन द्वारा बुरे दौर में भी कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को अनवरत जारी रखा गया। स्टाफ सदस्यों को काम और प्रदर्शन के लिए पहचान मिलने लगी। एक अन्य महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र जिसने बदलाव में योगदान दिया, वह था आइटी प्रणाली की बहाली। चूंकि शिकायतों की निगरानी और समाधान की पेशकश करने के लिए कोई केंद्रीकृत तंत्र नहीं था, शिकायतें बढ़ीं और एक समय में एटीएम और अन्य मुद्दों के विवाद सहित 9,000से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। आइटी प्रमुख इन्फोसिस से अतिरिक्त प्रशिक्षण सहायता के साथ कई आइटी टीमों के गठन ने कई प्रक्रियाओं को स्वचालित होने के साथ 6 महीने की अवधि में शिकायतों को काफी कम करने में मदद की। घाटे में चल रही शाखाओं की संख्या पहले के 25 प्रतिशत से कम एकल अंकों में कर दी गई। बैंक के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी का कहना है 'आईटी ऑटोमेशन ने कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के साथ-साथ स्थिरता, ग्राहक विश्वास के माध्यम से बैंक को बड़ा बढ़ावा दिया है।'

क्रेडिट पोर्टफोलियो योजना के पुनर्संरचना के तहत, बैंक के बड़े कॉरपोरेट सेगमेंट दूर चले गए और मध्य कॉर्पोरेट ऋणों के लिए एक अलग टीम बनाई गई जबकि रैम (खुदरा, कृषि और एमएसएमई) खंड पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही, वित्त वर्ष 2018 में कासा की हिस्सेदारी एक चौथाई से बढ़कर एक तिहाई कर दी गई। जबकि गैर-ब्याज आय पर अतिरिक्त ध्यान देने से इसके प्रदर्शन को बढ़ावा मिला है।

प्रावधानों में कमी के साथ, वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में बैंक लाभ मोड पर आ गया और इसने निम्नलिखित चार तिमाहियों में अपनी लाभप्रदता बनाए रखी। अंतत: बैंक ने छह साल तक लगातार घाटे में रहने के बाद वापस प्रगति की राह पकड़ ली।

हमारा बैंक वित्त वर्ष 2014-15 से लगातार हानि दर्ज कर रहा था। एनपीए हमारे बैंक द्वारा अर्जित लाभ को निगल रहा था। एक खुशनुमा उजाले की दस्तक एक साथ हमने मार्च तिमाही 2020 में शुद्ध लाभ अर्जित किया। फिर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 831 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित कर, न ही सिर्फ अपने स्टाफ सदस्यों का मनोबल बढ़ाया बल्कि अपने प्रमुख शेयरधारकों / हितधारकों को भी यह विश्वास दिलाया कि आपने सही जगह पर अपना भरोसा दिखाया है। इस क्रम को जारी रखते हुए हमारे बैंक ने दिसम्बर 2021 तिमाही के लिए भी रु. 454 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज़ किया। मार्च 2021 तिमाही में बैंक का शुद्ध एनपीए घटकर 3.58% रह गया, जो कि मार्च 2020 तिमाही में 5.44% था।

आरबीआई ने बैंक को 29 सितम्बर 2021 को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाला, जिससे बैंक को भविष्य में विकास और अन्य अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने अपनी विकास योजनाओं को समर्थन देने के लिए चालू वित्त वर्ष में आइओबी में 2,100 करोड़ रुपये की पूंजी डालने की योजना बनाई है। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि आइओबी में मिड-सेगमेंट के सबसे मजबूत बैंकों में से एक के रूप में उभरने की हर संभव संभावना है क्योंकि यह बैंक अपने प्रेरित कर्मचारियों द्वारा रणनीतिक बदलाव के साथ आगे बढ़ता जा रहा है।

इतिहास हमेशा हमें सीख देता है कि भविष्य में गलतियों को पुन: दोहराया न जाए। हमारी थोड़ी सी चूक, बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। हम सभी आइओबियन्स ने यह संकल्प लिया है कि दोबारा हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे।

खुदरा ऋण : संभावनाएँ, विपणन एवं चुनौतियाँ

श्री दीपक कुमार झा , मुख्य प्रबंधक (संकाय) , स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र, दिल्ली

खुदरा ऋण उत्पादों को ग्राहकों के साथ बैंक के लंबे रिश्ते की आधारशिला के तौर पर देखा जाता है । ये बैंकों को ग्राहकों से जुड़ने एवं अच्छे संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान करते हैं । इस क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन के कारण लगभग सभी सरकारी एवं निजी बैंक खुदरा ऋण वितरण के क्षेत्र में आक्रामक हैं । अच्छे प्रदर्शन के कारणों में अल्प प्रतिवर्तन काल (लो टर्न-अराउंड समय), कम विशेषज्ञता की आवश्यकता,उच्च विकास की संभावनाएँ, कम पूंजी की आवश्यकता, बेसल मानदंड के अनुसार न्यूनतम पूंजी की जरूरत को पूरा करने में इसकी सहयोगिता एवं न्यूनतम अनर्जक आस्तियां प्रमुख हैं । अगर सिर्फ अनर्जक आस्तियों के आँकड़े को ही देखा जाए तो खुदरा ऋण के क्षेत्र में यह कुल खुदरा ऋण का मात्र 2 %(लगभग) है, जबकि कॉरपोरेट क्षेत्र में यह सबसे ज्यादा है । ऐसा नहीं है कि खुदरा ऋण का अच्छा प्रदर्शन ही एक कारण है जिसकी वजह से इस क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, इसका एक कारण बैंकिंग क्षेत्र में, खासकर सरकारी बैंकों में, अन्य क्षेत्रों में बढ़ती अनर्जक आस्तियों की समस्या भी है । अगर आंकड़ों को देखा जाए तो सिर्फ 100 कॉरपोरेट क्षेत्र के उधारकर्ताओं के पास सरकारी बैंकों की कुल अनर्जक आस्तियों का लगभग 50% बकाया है और कुल अनर्जक आस्तियाँ का लगभग 80% कॉरपोरेट ऋण हैं । ये सारे तथ्य समझने के लिए काफी है कि क्यों बैंक खुदरा ऋण के क्षेत्र में इतने आक्रामक हैं और क्यों प्राथमिकता के क्षेत्रों के बाद ज़्यादातर फोकस खुदरा ऋण की तरफ है जबकि खुदरा ऋण में लाभ व्यावसायिक ऋण की तुलना में कम है ।

इसके अलावा प्राइवेट कंजम्पशन में बढ़ोतरी, ऋण लेने में उपभोक्ताओं की दिलचस्पी, उपभोक्ताओं के बारे में सूचनाओं की उपलब्धता, सूचनाओं के इस्तेमाल में सुधार और सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक सरकारी कदमों ने विकास को बढ़ावा दिया है ।

कोविड-19 महामारी हाल के आर्थिक इतिहास की सबसे प्रभावशाली घटनाओं में से एक रही है । महामारी ने दुनिया भर में मांग और आपूर्ति दोनों को प्रभावित किया है जिससे कई देशों में अल्पकालिक मंदी को जन्म दिया और वहाँ दीर्घकालिक विकास को झटका लगा । वर्ष 2020 व 2021 में उभरती और विकसित दोनों अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं । इस कठिन समय में भी कई प्रकार के खुदरा ऋण जैसे आवास ऋण, बंधक ऋण और अन्य तरह के ऋण में बढ़ोतरी हुई । निश्चित तौर पर विकास की दर कोविड-19 महामारी के पहले जैसी नहीं रही मगर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा प्रदर्शन अच्छा रहा है ।

पहले की अपेक्षा उपभोक्ताओं के क्रेडिट व्यवहार में भी बदलाव आया है । खुदरा ऋण के क्षेत्र में तेजी से बदलाव आ रहा है और बहुत ही गतिशीलता से इस क्षेत्र में विकास हो रहा है । सूचनाओं की उपलब्धता, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, डिजिटल माध्यम से दिए जा रहे ऋणों का बढ़ता हुआ दायरा और तकनीक के इस्तेमाल ने खुदरा ऋण के क्षेत्र में नयी संभावनाएँ उत्पन्न की हैं । संभावनाओं ने विपणन की नयी-नयी जरूरतों को जन्म दिया है । अनेक चुनौतियाँ भी हैं जिनसे निपटने के लिये तैयार रहने की जरूरत है । टॉप 50 शहरों के तुलना में छोटे शहरों में विकास की उम्मीद ज्यादा है । क्या बैंक नयी संभावनाओं को अच्छी तरह से दिशा दे पायेंगे और चुनौतियों से लड़ने के लिये अपने आप को तैयार कर पाएंगे और उतना ही अच्छा प्रदर्शन वो आने वाले समय में कर पायेंगे । उच्च स्तरीय विपणन संसाधनों को एकत्रित करना और प्रभावशाली तरीके से उनका उपयोग भी बैंकों में खुदरा ऋण के विकास की दिशा तय करेगा ।

2019-20 की एक रिपोर्ट के अनुसार खुदरा ऋण वर्ष 2023-24 तक दोगुने हो जाने की उम्मीद है

कोविड 19 महामारी के प्रभाव के कारण निश्चित तौर पर ऊपर दिये गये आंकड़ों तक पहुँचना मुश्किल होगा लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में खुदरा ऋण के क्षेत्र में अपार अवसर एवं संभावनाएँ मौजूद हैं ।

संभावनाएँ :

फिन-टेक कंपनी के साथ सहयोग : परंपरागत रूप से, खासकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, बैंकों ने व्यवसाय शाखाओं के अपने नेटवर्क पर भरोसा किया है । हालांकि, स्मार्टफोन बूम और अल्ट्रा-लो डेटा कॉस्ट ने बैंकों को नई शाखाएं खोले बिना अपने कारोबार का विस्तार करने का अवसर दिया है ।

एक स्वतंत्र फिनटेक विशेषज्ञ के अनुसार- "शाखा का भौतिक विस्तार एक महंगा मामला है और इसमें दीर्घकालिक योजना शामिल है । भौतिक शाखाओं के साथ चुनौती यह है कि आप एक विशिष्ट क्षेत्र में काम कर रहे होंगे और यदि आप क्षेत्र की क्षमता पहचानने के मामले में गलती कर बैठते हैं, तो शाखा की लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है" ।

फिनटेक साझेदारी छोटे और क्षेत्रीय उधारदाताओं को देश भर के ग्राहकों तक पहुंचाने की क्षमता प्रदान करती है । ऋण प्रदाता जो अपेक्षाकृत नए हैं या जिनकी शाखाएँ सीमित हैं, वे अधिक आक्रामक रूप से इस दृष्टिकोण को अपना रहे हैं ।

बड़े बैंकों के लिए फिनटेक साझेदारी का मूल्य छोटे और क्षेत्रीय उधारदाताओं से अलग हैं और यह उत्पाद की पेशकश के आधार पर भी भिन्न होता है।

बैंकों ने अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ सौदे किए हैं। उदाहरण के लिए, **बैंक ऑफ बड़ौदा** ने मौजूदा आवास ऋण उधारकर्ताओं को लक्षित करने के लिए स्विचमी के साथ करार किया है जो कम ब्याज दरों का लाभ उठाने की इच्छा रखने वाले उधारदाताओं को खुद से जोड़ने का आसान विकल्प उपलब्ध करवाता है। स्विचमी एक ऋण एग्रीगेटर है जो ऋण चाहने वालों को बाजार में उपलब्ध विभिन्न ऋण उत्पादों को समझने में मदद करता है और ग्राहकों को सही ऋणदाता चुनने में मदद करता है। बैंक ने पैसाबाज़ार मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग प्रा. लिमिटेड को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से होम लोन आवेदनों की आउट सोर्सिंग के लिए करार किया है।

इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने विदेशों में अध्ययन के लिए बंधक समर्थित शिक्षा ऋण आवेदनों के स्रोत के लिए **ज्ञानधन** के साथ भी करार किया है।

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीएनबी और आइआइटी-कानपुर बीएफएसआइ स्पेस में अवसरों का पता लगाने के लिए तकनीकी समाधानों के अनुसंधान और विकास के लिए एक वाहन के रूप में **"फिनटेक इनोवेशन सेंटर (एफआइसी)"** स्थापित करेंगे। पीएनबी का इरादा आइआइटी में एक फिनटेक इनोवेशन सेंटर बनाकर तकनीकी नवाचारों के साथ नए उत्पाद / समाधान बनाने का है जिसमें आईआईटीकेके अनुभवी संकाय सदस्यों को शामिल किया गया है।

नियोजित फोकस क्षेत्रों में फिनटेक, डिजिटल लैंडिंग, भुगतान, साइबर सुरक्षा आदि शामिल हैं। बैंक को उनके अभिनव समाधानों के साथ-साथ आइआइटी-कानपुर द्वारा इनक्यूबेटेड फिन-टेक के पूल तक पहुंच प्राप्त होगी।

हाल ही में एक साक्षात्कार में, कोच्चि स्थित फेडरल बैंक जिसने कुछ फिनटेक कंपनियों के साथ करार किया है, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री श्याम श्रीनिवासन ने कहा- "अगले तीन-चार वर्षों में हमें लगता है कि वितरण कई गुना होगा लेकिन जरूरी नहीं कि शाखा नेटवर्क भी उसी अनुपात में बढ़े और इसके लिए हमें फिनटेक के साथ काम करने की जरूरत है।"

2030 तक मिलेनियल आबादी का 78 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है और बैंकों को आने वाले बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। अधिकांश बैंकों ने वेबसाइटों और मोबाइल ऐप जैसी बुनियादी डिजिटल क्षमताओं को अपनाया है लेकिन मिलेनियल पीढ़ी तक पहुंच को बनाए रखने के लिए आवश्यक डिजिटलीकरण का स्तर कहीं अधिक एकीकृत और सर्वव्यापी होना चाहिए, जिसके लिये फिन-टेक कंपनी के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।

प्रौद्योगिकी का लाभ और वैयक्तिकरण : उपभोक्ता ऐसे उत्पादों और सेवाओं की तलाश कर रहे हैं जो उनकी जीवन शैली और भविष्य की वित्तीय जरूरतों के अनुकूल हों। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि मिलेनियल्स की 50 से अधिक उम्र वालों की तुलना में उनके प्राथमिक बैंक के सभी खातों को बंद करने की संभावना पांच गुना अधिक है। इसका प्राथमिक कारण उच्च लागत था, जिसे बैंक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर कम कर सकते हैं।

पारंपरिक क्रेडिट आकलन केवल दो क्षेत्रों को कवर करते हैं; क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट के वर्ष। **अपस्टार्ट** एक फिनटेक स्टार्टअप है जो इस बात पर पुनर्विचार कर रहा है कि क्रेडिट का मूल्यांकन कैसे किया जाय। पूर्व-गूगल कर्मचारियों द्वारा स्थापित, कंपनी क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट के वर्षों, रोजगार इतिहास, शिक्षा पृष्ठभूमि और अध्ययन के क्षेत्र के आधार पर क्रेडिट व्यक्तित्व बनाने के लिए मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स का उपयोग करती है। क्रेडिट मूल्यांकन के लिए अपस्टार्ट दृष्टिकोण बैंकों से मिलेनियल्स की अपेक्षा के अनुरूप है और यह निर्धारित करने में मदद करता है कि उन्हें किन वित्तीय उत्पादों की आवश्यकता है और वे किसके लिए योग्य हैं। ग्राहकों की अपेक्षाओं के साथ बेहतर तालमेल बिठाने के लिए क्रेडिट का आकलन करने के ऐसे अपरंपरागत तरीकों पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि पारंपरिक बैंक अच्छा कार्य निष्पादन कर सकें।

स्वचालन : अधिकांश खुदरा बैंकिंग प्रक्रियाएं अभी भी मैनुअल हैं। उदाहरण के लिए, बंधक ऋण अभी भी मैनुअल प्रक्रियाओं में मजबूती से निहित है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 30-40 दिन का समय स्वीकृति के लिये लग जाता है। प्रक्रिया को स्वचालित करने और ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा करके, उधारदाता ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा कर पायेंगे और खुदरा ऋण के क्षेत्र में बैंक अच्छा कार्य कर पायेंगे।

डिजिटल बैंक से स्मार्ट बैंक बनने की तरफ कदम: जबकि पारंपरिक बैंक आज डिजिटल बैंक बनने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अगला कदम जो जरूरी है, वह है डिजिटल बैंक को स्मार्ट बैंकों में बदलने की आवश्यकता। डिजिटल बैंक डिजिटल रूप से सक्षम पारंपरिक बैंकों से ज्यादा कुछ नहीं हैं जो वही पुरानी सेवाएं प्रदान करते हैं, स्मार्ट बैंक भविष्य के बैंक हैं जो प्रत्येक ग्राहक की अनूठी जरूरतों के आधार पर उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करते हैं। ऐसे बैंकों के पास दी जाने वाली सेवाओं की सूची नहीं होगी, बल्कि

उनके पास प्रश्नों की एक सूची होगी जो एआइ के प्रत्येक ग्राहक के लिए कस्टम-निर्मित उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए कहेगा। पारंपरिक बैंकों द्वारा इस कायापलट को प्राप्त करने के लिए, उन्हें फिनटेक अग्रिमों के साथ एक भागीदारी रणनीति बनानी होगी जो उन्हें इस नई दुनिया में अग्रणी बनने के लिए अंतर्दृष्टि और तकनीकी क्षमता प्रदान करेंगे।

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों पर फोकस : एक सर्वे के अनुसार अभी भी ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खुदरा ऋण का प्रतिशत शहरी और महानगरों के मुकाबले बहुत कम है और यहाँ पर उपलब्ध अवसरों को ठीक से उपयोग करके बैंक खुदरा ऋण के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं।

विपणन:

महामारी के दौरान, इंटरनेट ने लोगों को जोड़े रखने और व्यवसायों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऋणों के संवितरण के दौरान, बैंक और वित्तीय संस्थान व्यक्तिगत रूप से बातचीत और कागजी कार्रवाई पर बहुत अधिक निर्भर थे। महामारी के दौरान इसमें रातों रात बदलाव आया। परंपरागत रूप से जो भी होता आ रहा था उसमें बदलाव आया और अब न केवल बैंक में ऋण की प्रोसेसिंग ऑनलाइन की जा रही है बल्कि एंड टु एंड डिजिटल बैंकिंग पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा पेपरलेस बैंकिंग पर फोकस करने की जरूरत है। आधुनिक बैंकिंग ग्राहक का अनुभव बैंक पहुंचने पर शुरू नहीं होता है। ऑन-डिमांड अर्थव्यवस्था में सोशल मीडिया और मोबाइल नवाचारों ने महत्वपूर्ण टचप्वाइंट की सीमा का विस्तार किया है। सबसे सफल बैंक ग्राहक अधिग्रहण रणनीतियाँ वो हैं जो संपूर्ण ग्राहक यात्रा में जुड़ाव के तरीकों में विविधता रखती हैं और वैयक्तिकृत विधि अपनाती हैं।

खुदरा ऋण में अच्छा करने के लिये कुछ विभेदक रणनीति अपनाने की जरूरत है जो निम्न है -

1. **पॉइंट-ऑफ-सेल फाइनेंसिंग :** पी ओ एस फाइनेंसिंग एक व्यक्तिगत ऋण है जो ग्राहक को स्टोर से उत्पाद जैसे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स या अन्य सामान खरीदने के लिये दिया जाता है। उधार देने का यह तरीका उपभोक्ताओं को बिना किसी कागजी कार्रवाई के तुरंत छोटी राशि उधार लेने में मदद करता है। पी ओ एस फाइनेंसिंग अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने में मदद करती है।
2. **सोशल मीडिया पर दृश्यता :** आज के बैंकिंग उपभोक्ता आम तौर पर अपनी जांच ऑनलाइन शुरू करते हैं, जिससे वित्तीय सेवा के बारे में जानकारी देने के लिये बैंकों के लिए अपने मूल डिजिटल चैनलों का उपयोग करना प्राथमिकता बन जाती है। एक उच्च गुणवत्ता वाली सोशल मीडिया की उपस्थिति होना जरूरी है। यह संभावित बैंकिंग ग्राहकों तक पहुंच को सरल बनाकर और वर्तमान ग्राहकों के लिए रेफरल को प्रोत्साहित करने को आसान बनाकर बैंकिंग ग्राहक अधिग्रहण रणनीति को बढ़ावा दे सकता है। एक डिजिटल मार्केटिंग चैनल के रूप में, सोशल मीडिया का उपयोग ग्राहकों के सवालों और पूछताछ का जवाब देने के साथ-साथ विचार नेतृत्व स्थापित करने और उद्योग में क्या हो रहा है, इसके बारे में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री साझा करने के लिए किया जा सकता है।
3. **मल्टीचैनल अनुभव :** बैंकिंग ग्राहक अधिग्रहण रणनीति के काम करने के लिए पहले यह समझना होगा कि लक्षित ग्राहक के लिए कौन से चैनल सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। आखिरकार, आप अपना समय और पैसा गलत चैनल या ग्राहक अधिग्रहण रणनीति पर बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। चैनल प्राथमिकताएं निर्धारित करके और मल्टीचैनल प्रयासों को लागू करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करके, बैंक तेजी से बदलते मार्केटिंग चैनलों को नेविगेट कर सकते हैं और प्रभावी रूप से ग्राहक अधिग्रहण कर सकते हैं।
4. **अपने खुश ग्राहकों से रेफ़रल प्राप्त करना :** बैंकिंग में, परिवार और दोस्तों की सिफारिशें शक्तिशाली ग्राहक अधिग्रहण में मदद कर सकती हैं। इसलिए ग्राहक रेफरल कार्यक्रम विकसित किया जाना जरूरी है जिससे सबसे अच्छे और सबसे खुश ग्राहक अपने दोस्तों और परिवार को आपके बैंक में रेफर करें। इन ग्राहकों की अधिग्रहण लागत भी सामान्य अधिग्रहण से कम होती है।
5. **ग्राहक-केंद्रित परिवर्तन में निवेश करना :** एक प्रभावी, आसान, सार्थक और सहज अनुभव प्रदान करके बैंक ग्राहक अधिग्रहण लागत को बढ़ाए बिना अधिक ग्राहकों को आकर्षित किया जा सकता है।
6. **संपर्क के माध्यम से विचार नेतृत्व का प्रदर्शन करना:** यह संभावित ग्राहक का ध्यान और विश्वास हासिल करने का एक शानदार तरीका है। हमेशा कुछ प्रासंगिक विषय होंगे जिनके बारे में आपका ब्रांड नेतृत्व प्रदर्शित करने के लिए बात कर सकता है और लाभ उठा सकता है।

बैंक और वित्तीय संस्थान जो उपभोक्ता मांगों और अपेक्षाओं की नब्ज पर अपनी उंगलियां रखते हैं, वे नए ग्राहक हासिल करने के लिए सबसे अधिक तैयार हैं।

चुनौतियाँ:

1. ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में रीचेल्ड और सैसर के एक शोध के अनुसार,

ग्राहक प्रतिधारण (रीटेंसन) में 5 प्रतिशत की वृद्धि से बैंकिंग व्यवसाय में 35 प्रतिशत, बीमा और ब्रोकरेज में 50 प्रतिशत और उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड बाजार में 125 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है । इसलिये बैंकों द्वारा ग्राहकों को बनाए रखने और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर देने की जरूरत है ।

2. खुदरा बैंकिंग में केवाईसी और मनी लॉन्ड्रिंग एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है । इसमें शामिल रकम की धारणा के कारण खुदरा उधार को अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कम जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है । हालाँकि, ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण नए व्यवसाय के लिए केवाईसी प्रक्रियाओं को छूट दी जाती है । बैंकों को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि वे किस प्रकार के पहचान दस्तावेज स्वीकार करेंगे और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा ।

3. बैंकिंग उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा देखी गई है, खासकर फिनटेक क्षेत्र में । फिनटेक कंपनियाँ उपयोगकर्ता के अनुकूल और डिजिटल प्रकृति ग्राहकों को उनके लिए आवश्यक लचीलापन और विभिन्न प्रदाताओं के बीच चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है जिसका सामना करने के लिये उपयुक्त रणनीति अपनाने की आवश्यकता है ।

4. परिचालनात्मक साइलो को हटाना भी एक बड़ी चुनौती है । साइलो मानसिकता सोचने का एक संगठनात्मक तरीका है । यह तब होता है जब कोई विभाग या प्रबंधन समूह अन्य विभागों के साथ सूचना, लक्ष्य, उपकरण, प्राथमिकताओं और प्रक्रियाओं को साझा नहीं करते हैं । माना जाता है कि साइलो मानसिकता संचालन को प्रभावित करती है, कर्मचारी के मनोबल को कम करती है और किसी कंपनी या उसके उत्पादों और संस्कृति की समग्र विफलता का कारण बन सकती है ।

5. अन्य चुनौतियों में बढ़ती लागत, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने का दबाव, कर्मचारी को अपने साथ बनाए रखने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना प्रमुख है ।

खुदरा ऋण उद्योग में बदलाव लाने वाले तीन प्रमुख बाजार प्रवृति-स्वचालन और गतिशीलता बढ़ाना, उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के बीच सहयोग बढ़ाना, और उधार उत्पादों और विपणन में ग्राहक केंद्रितता में सुधार करना है । ऊपर चर्चा की गयी संभावनाएँ, विपणन और चुनौतियों को ध्यान में रखकर तीनों प्रमुख बाजार प्रवृति के क्षेत्र में बेहतर किया जा सकता है और खुदरा ऋण के क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभायी जा सकती है ।

जड़

वृक्षों के ये मोटे मोटे तने
है कितने हरे भरे,
जब तक जुड़े है जड़ो से ।।
हुआ अहंकार, हूँ मैं विशाल
क्या दिया इस जड़ ने
जो खुद डूबी है घोर अंधकार ।
जड़ मुस्कुराया,पर था बिल्कुल शांत
विचलित हुआ थोड़ा देख तने का अभिमान ।।
मोटा तना था मद में चूर,
हुआ अलग कर गया सब सून ।।
खुश था बहुत मिला कुछ परजीवियों का साथ
छोड़ आया था अपनों का हाथ ।।
धीरे धीरे हुआ खोखला,बना लिया दीमकों ने घोसला ।।
देख कर तने को बेहाल जड़ रो रही बेज़ार
मिलाने को फिर है तैयार उस मोटे तने को
जो था अब बस भूर भूरी मिट्टी का ढेर ।।

सत्य प्रकाश पांडे
प्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
केंद्रीय कार्यालय

वित्तीय समावेशन में भारतीय भाषाओं का योगदान

शताब्दी रॉय, सहायक प्रबंधक, वाराणसी क्षेत्र

'वित्तीय समावेशन' के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभों से संबद्ध किया जा सके। कोई भी व्यक्ति आर्थिक सुधारों से वंचित न रहे। यह तभी मुमकिन है जब सबका विकास एक साथ हो और उसके लिए अति आवश्यक है "भाषा" – यह एक ऐसा माध्यम है जिससे जन – जन तक कार्य को सरल रूप से पहुंचाया एवं समझाया जा सके। केवल अंग्रेजी भाषा पर ज़ोर न दिया जाए, स्थानीय एवं हिन्दी भाषा का प्रयोग दैनिक बोल चाल के रूप में बढ़ाने का-प्रयास किया जाना चाहिए। 2011 के सेंसस (जनगणना) के अनुसार शीर्ष 10 स्थानीय एवं हिन्दी भाषा के वक्ताओं की संख्या निम्नलिखित है –

1) **हिन्दी** – जिसके 52.83 करोड़ वक्ता हैं। जिसका प्रयोग मातृभाषा के रूप में पिछले जनगणना 2001 के 41.03% से बढ़ कर 2011 में 43.63% हो गया है। यह विश्व में मंदारिन, स्पैनिश एवं अंग्रेजी के बाद चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा घोषित की गई है। भारत में यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य-प्रदेश, छतीसगढ़, हिमाचल-प्रदेश, अंडमान व निकोबार एवं दिल्ली में बोली जाती है।
2) **बांग्ला** – जिसके 9.72 करोड़ वक्ता हैं एवं इस भाषा को बोलने वाले भारत की कुल जनसंख्या के 8.03% है। यह मुख्य रूप से भारत के पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, त्रिपुरा राज्य में बोली जाती है।
3) **मराठी** – जिसके 8.30 करोड़ वक्ता हैं एवं इस भाषा को बोलने वाले आज भारत की कुल जनसंख्या के 6.86% हैं। यह मुख्य रूप से गोवा एवं महाराष्ट्र में बोली जाती है।
4) **तेलुगु** – जिसके 8.11 करोड़ वक्ता हैं एवं यह भाषा मुख्य रूप से भारत के आंध्र-प्रदेश एवं तेलंगाना में बोली जाती है। साथ ही, यह भाषा विदेशों में - न्यूज़ीलैंड, साउथ-अफ्रीका, अमेरिका आदि देशों में भी बोली जाती है।
5) **तमिल** – जिसके 6.90 करोड़ वक्ता हैं और यह भाषा मुख्य रूप से भारत के तमिलनाडु राज्य एवं श्रीलंका में बोली जाती है।
6) **गुजराती** – जिसके 5.54 करोड़ वक्ता हैं और यह भाषा मुख्य रूप से भारत के गुजरात में बोली जाती है।
7) **उर्दू** – जिसके 5.07 करोड़ वक्ता हैं और यह मुख्य रूप से भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर-प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, झारखंड आदि राज्यों में बोली जाती है।
8) **कन्नड़** – जिसके 4.37 करोड़ वक्ता हैं और यह भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। साथ ही यह भाषा विश्व के ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं कनाडा में भी बोली जाती है।
9) **उड़िया** – जिसके 3.75 करोड़ वक्ता हैं और यह मुख्य रूप से भारत के उड़ीसा राज्य में बोली जाती है।
10) **मलयालम** – जिसके 3.48 करोड़ वक्ता हैं और यह मुख्य रूप से केरल, पुदुचेरी एवं लक्षद्वीप में बोली जाती है।

उपरोक्त भारतीय वक्ताओं की संख्या को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में सॉफ्टवेयर, स्मार्ट फोन के परिचालन तंत्र संबंधी सभी उत्पादों का उत्पादन हमें स्थानीय एवं हिन्दी भाषाओं में ही करना होगा एवं डिजाइनर्स, प्रौद्योगिकी अभियंताओं की मांग एवं इनके रोजगार में वृद्धि होने वाली है क्योंकि अब हम स्थानीय एवं हिन्दी भाषा की महिमा को पुनःस्थापित कर रहे हैं अथवा मात्र अंग्रेजी भाषा जिसका प्रयोग भारत में कुल आबादी का 10.62% पर पूर्ण रूप से देश के विकास के लिए आश्रित नहीं रह सकते हैं।

आइये हम समझने का प्रयास करें कि वास्तव में वित्तीय समावेशन क्या होता है एवं भारतीय भाषाएं इसे बढ़ाने हेतु किस प्रकार से अपना योगदान दे सकती हैं।

➢ वित्तीय समावेशन से तात्पर्य, आवश्यकता, लाभ, चुनौतियाँ :-

- **वित्तीय समावेशन से तात्पर्य :-** वित्तीय समावेशन कम आय वाले लोग और समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, ऋण आदि सहित वित्तीय सेवाएं पहुँचाने का प्रयास है। इसे 'समावेशी वित्तपोषण' भी कहा जाता है। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य उन प्रतिबंधों को दूर करना है, जो वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने से लोगों को बाहर रखते हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना है।
- **वित्तीय समावेशन की आवश्यकता क्यों?**
  - वित्तीय समावेशन के अभाव में बैंकों की सुविधा से वंचित लोग मजबूरीवश अनौपचारिक बैंकिंग क्षेत्र जैसे साहूकार से जुड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में ब्याज की दरें भी अधिक होती हैं और उधार दी गई राशि की मात्रा भी काफी कम होती है।
  - वित्तीय समावेशन से बचत राशि, वित्तीय मध्यस्थता की दक्षता में भी वृद्धि होती है। नए व्यवसायिक अवसरों के सृजन की सुविधा भी प्राप्त होती है।

वित्तीय समावेशन पहल :- जनधन मोबाइल एप – आधार कार्ड

- आधार कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना और मोबाइल संचार में वृद्धि ने नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की पहुँच को सुलभ बना दिया है।
- मार्च 2020 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जनधन योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 380 मिलियन से अधिक रही है।
- सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश में गरीबों तथा असंबद्ध लोगों को सशक्त बनाने व उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरु की हैं जिनमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वनिधि, स्टैंड-अप-इंडिया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना प्रमुख हैं।

- **ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार –**

  भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की है। इनमें प्रमुख हैं –
  - दूरदराज इलाकों में बैंक शाखाएँ खोलना

- किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना
- बैंकों के साथ स्वयं सहायता समूहों का जुड़ाव
- एटीएम की संख्या बढ़ाना
- बैंकिंग क्षेत्र में व्यवसायिक अभिकर्ता मॉडल

- **डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा –**
  - भारतीय राष्ट्रीय एप यूपीआई – यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को मजबूत करने के साथ, इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग को पूर्व की तुलना में और अधिक सुरक्षित बनाया गया है।
  - आधार सक्षम भुगतान प्रणाली – यह प्रणाली आधार सक्षम बैंक खाते को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर माइक्रो एटीएम का उपयोग करने में सक्षम बनाती है।
- **वित्तीय साक्षरता बढ़ाना –**
  - भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'वित्तीय साक्षरता' नामक एक परियोजना शुरु की है।
  - इस परियोजना का उद्देश्य केन्द्रीय बैंक और सामान्य बैंकिंग अवधारणाओं के बारे में विभिन्न लक्षित समूहों जिनमें स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे, महिलाएँ, ग्रामीण और शहरी गरीब और वरिष्ठ नागरिक शामिल है, को वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराना है।
  - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स ने **'पॉकिट मनी'** नामक एक प्रमुख कार्यक्रम लॉंच किया है जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है।
- **वित्तीय समावेशन से लाभ :-**

  विश्व बैंक की वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस या ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट – 2017 के अनुसार, वर्ष 2014 में अनुमानित 53% भारतीय वयस्कों के अपेक्षा वर्तमान में 80% वयस्कों के पास एक बैंक खाता है।
  - जहाँ एक ओर इससे समाज में कमज़ोर तबके के लोगों को उनकी जरूरतों तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन की बचत करने, विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे बैंकिंग सेवाओं, बीमा और पेंशन उत्पादों आदि में भाग लेकर देश के आर्थिक क्रियाकलापों से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है।
  - वहीं दूसरी ओर इससे देश को 'पूंजी निर्माण' की दर में वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप होने वाले धन के प्रवाह से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।
  - वित्तीय समावेशन से सरकार को सरकारी सब्सिडी तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों में अंतराल एवं हेराफेरी पर रोक लगाने में भी मदद मिलती है क्योंकि इससे सरकार उत्पादों पर सब्सिडी देने के बजाय सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित कर सकती है।

संबंधित चुनौतियाँ :-

सभी बैंकों तक पहुँच नहीं :- बैंक खाते सभी वित्तीय सेवाओं के लिए एक प्रवेश द्वार है। लेकिन विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 190 मिलियन वयस्कों के पास बैंक खाता नहीं है, जिससे भारत, चीन के बाद गैर बैंकिंग आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।

- **डिजिटल डिवाइड :-** कम आय वाले उपभोक्ता जो डिजिटल सेवाओं तक पहुँचने के लिए आवश्यक तकनीक जैसे लैपटाप अथवा ऑनलाइन लेनदेन संबंधी ज्ञान अर्जन का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
- **नीतियों के सुचारू क्रियान्वयन का आभाव :-** जन धन योजना के परिणामस्वरूप कई हजार ऐसे खाते भी खोले गए हैं, जिनमें वास्तविक बैंकिंग लेनदेन कभी नहीं हुआ। ऐसी सभी गतिविधियाँ संस्थानों का खर्च बढाती हैं, और विशाल परिचालन लागत संस्थानों की वित्तीय स्थिति के लिए हानिकारक साबित होती है। इन विपरीत परिणामों से बचने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि सभी हितधारक इस तरह के कार्यक्रमों में उचित उद्देश्य के साथ भाग लें, न कि केवल औपचारिकता के लिये।
- **अनौपचारिक और नकद आधारित अर्थवयवस्था :-** भारत एक नकदी आधारित अर्थवयवस्था है, जो डिजिटल भुगतान अपनाने की दिशा में एक चुनौती है। अंतर-राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, भारत में लगभग 81% व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र का संयोजन डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए एक बाधा बन गया है।
- **वित्तीय समावेशन में लैंगिक अंतर :-** ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट - 2017 के अनुसार, भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के 83% पुरूषों के अपेक्षा 77% महिलाओं ने ही किसी वित्तीय संस्थान में खाते का संचालन किया। इस अंतर के लिए सामाजिक आर्थिक कारक उत्तरदायी है, जिसमें मोबाइल हैंडसेट की उपलब्धता और इंटरनेट डेटा की सुविधा महिलाओं की तुलना में पुरूषों के बीच अधिक है।

भारतीय भाषाएँ—इतिहास एवं वित्तीय समावेशन में भारतीय भाषाओं का योगदान :- भारत में विश्व के सबसे चार प्रमुख भाषा परिवारों की भाषाएँ बोली जाती हैं। सामान्यत: उत्तर भारत में बोली जाने वाली भारोपीय भाषा परिवार की भाषाओं को आर्य भाषा समूह,दक्षिण की भाषाओं को द्रविड़ भाषा समूह, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाओं को मुंडारी भाषा समूह तथा पूर्वोतर में रहने वाले तिब्बती –बर्मी, नृजातीय भाषाओं को चीनी-तिब्बती (नाग भाषा समूह) के रूप में जाना जाता है।

भारतीय आर्यभाषा के तीन प्रयोग काल रहे हैं-

1. प्राचीन भारतीय आर्यभाषा 1500 ई.पू. से 500 ई.पू. तक- वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत
2. मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा 500 ई.पू. से 1000 ई.पू. तक - पालि, प्राकृत, अपभ्रंश
3. आधुनिक भारतीय आर्यभाषा 1000 ई. से अब तक - हिन्दी और हिन्दीतर भाषाएँ– बांग्ला, उड़िया, मराठी, सिंधी, असमिया, गुजराती, पंजाबी आदि।

एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1652 मातृभाषाएँ प्रचलन में हैं, जबकि संविधान द्वारा 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गयी है।

- संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत पहले केवल 15 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता दी गयी थी, लेकिन 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिन्धी को तथा 71वाँ संविधान संशोधन द्वारा नेपाली,कोंकणी तथा मणिपुरी को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। बाद में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में चार नई भाषाओं - बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली को राजभाषा में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार अब संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्ज़ा प्रदान किया गया है।

- भारत में इन 22 भाषाओं को बोलने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 90% है। इन 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भी सहायक राजभाषा है।

वित्तीय समावेशन में भारतीय भाषाओं का योगदान :- अंग्रेजों के 200 वर्षों तक हम भारतीयों पर राज करने से हम यह मान बैठे हैं कि अंग्रेजी भाषा ही विकास का माध्यम है। जब कि आज विश्व में कई देश ऐसे हैं जिन्होंने खुद की भाषा में ही प्रगति की हैं जैसे चीन ने स्वंय की मंदारिन भाषा व स्पेन ने स्पैनिश के ज़रिये अथवा फ्रांस ने फ्रेंच के माध्यम से सफलता हासिल की है।

हमारी भाषा संस्कृत पढ़ने आज भी बनारस के बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में विदेशों से लोग आ रहे हैं जबकि हम पश्चिमीकरण में इतना लिप्त हो गए कि हम खुद की मूल संस्कृति –धरोहर को भुला रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी महिमा को कायम रखें एवं बदलते संदर्भ में देश में बढ़ रहे स्थानीय एवं हिन्दी भाषा वक्ताओं के लिए कई सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम का उत्पादन करें –

1) **इंडस ओएस, एप बाजार- इस एप की रचना 3 आईआईटीआईयन–आईआईटी बॉम्बे** द्वारा हुई हैं जो 22 राजभाषाओं को कुछ सेकेंडस में अंग्रेजी में और विपरीत क्रम में अनुवाद कर सकता है जबकि इसी कार्य को करने हेतु एंडरोइड 7 चरणों से गुज़रता है और समय लेता है। इंडस के पास अब 8% मार्केट की भागीदारी हैं एवं 4 लाख से भी ज्यादा एप हैं। इसकी खासियत है कि जिन लोगों का ईमेल आईडी नहीं हैं वे लोग भी इससे जुड़ सकते हैं। इंडस ने घरेलू 8 बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनर्शिप कर ली हैं जैसे- माईक्रोमेक्स, इंटेक्स, कार्बन आदि इसका सॉफ्टवेयर इनके मोबाइल फोन में पहले ही डाल देंगे।
2) इकोनॉमिक टाइम्स के हाल ही में हुए शोध के अनुसार विडियो गेम्स, पॉलिसी बाज़ार सभी के उपभोक्ता **इंडिक** व हिन्दी का प्रयोग अंग्रेजी की तुलना में ज्यादा करते हैं।
3) **"शेयर –चैट"** जो कि भारत का 2015 में ही बनाया गया सोशल मीडिया प्लैटफार्म है जहां 3.5 मिलियन उपभोक्ता मौजूद होते हैं। वहाँ भी आप 15 भाषाओं व 27 उपभाषा में से कोई भी भाषा चुन कर मैसेज, विडियोज फॉरवर्ड कर सकते हैं।
4) **"प्रतिलिपि"** - 165000 से ज्यादा आलेख 12 स्थानीय भाषाओं जैसे बंगाली, गुजराती, मराठी, तेलगू, पंजाबी आदि में प्रकाशित करता है, जिससे जन-जन तक उनकी भाषा में संदेश पहुंचाया जा सके और आम जनता को किसी धोखे का सामना न करना पड़े जैसे-शारदा चिट फंडस जहां सब दस्तावेज़ अंग्रेजी में होने के कारण लोगों को मूर्ख बना कर हस्ताक्षर ले लिए गए और उन्हें वित्तीय जोखिम का सामना करना पड़ा था।

निष्कर्ष :- भारत में वित्तीय समावेशन की सफलता के लिए, एक बहुआयामी दृष्टिकोण होना चाहिये, हिन्दी एवं स्थानीय भाषाओं के प्रयोग –प्रचार प्रसार पर ज़ोर देना चाहिए जैसे- हैलो टॉक, आर-भाषा हिन्दी एप जिसके माध्यम से मौजूदा डिजिटल प्लेटफार्म, बुनियादी ढाँचे, मानव संसाधन और नीतिगत ढाँचे को मज़बूत किया जाए और नए तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दिया जाए। यदि मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय भाषाओं की बढ़ोत्तरी के लिए प्रयास किया जाये जैसे जन-जागरूकता अभियान –स्कूल, कॉलेज, सभी सरकारी कार्यालय जैसे पुलिस स्टेशन में एफआईआर हिंदी में या कार्यालयों में द्विभाषी दस्तावेज, नोटिंग आदि जैसे पर्याप्त उपाय किए जाएँ, तो वित्तीय समावेशन में भारतीय भाषाओं का योगदान अवश्य ही झलकेगा एवं गरीबों को भी आर्थिक विकास के लाभ प्राप्त होंगे।

वित्तीय समावेशन में वृद्धि हेतु किये जाने वाले प्रयास:- देश के प्रत्येक कोने में बैंकिंग शाखाओं की स्थापना करने में अधिक समय लग सकता हैं। ऐसे में भावी ग्राहकों तक बैंकिंग गतिविधियों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए "बैंकिंग संवाददाता मॉडल" जो कि स्थानीय या हिन्दी भाषा में हो इस का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, बैंकिंग संवाददाताओं के लिए बेहतर मौद्रिक प्रोत्साहन के साथ-साथ उन्हें बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता हैं।

- जैम त्रयी योजना के साथ उचित तकनीकी विकास को जोड़कर एक स्थानीय या हिन्दी भाषी सॉफ्टवेयर डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क की स्थापना की जा सकती है।
- वित्तीय समावेशन हेतु डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ने के साथ ही देश में साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की भी आवश्यकता है जिसके लिए जन-जन तक जागरूकता ही एक मात्र सहारा है जो स्थानीय या हिन्दी भाषा में ही संभव है।
- शिक्षा मंत्रालय ने यह पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–(एनईपी) 2020 में भारतीय भाषाओं के विकास को लेकर की गई अहम सिफारिशों के बाद की है। इसमें स्कूलों में छात्रों को स्थानीय भाषाओं में पढ़ने सहित सभी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
- हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी के उत्थान के लिए शिक्षा के साथ-साथ उसे सभी जगह शामिल करना होगा। इसके लिए उच्च स्तरीय पाठयक्रम और सरल शब्दावली अगर बनाई जाए तो हिंदी पढ़ने और लिखने के प्रति लोगों की रूचि बढ़ेगी एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना – सबका साथ सबका विकास शीघ्र पूर्ण होगा।
- भारत की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ विभिन्नता में एकता है। भारत में विभिन्नता का स्वरूप न केवल भौगोलिक है, बल्कि भाषायी तथा सांस्कृतिक भी है। अतएव हम अंत में यही संदेश पहुँचाना चाहेंगे कि - **"परोपकार घर से ही आरंभ होता है।"** इसलिए छोटे – छोटे दैनिक कार्यों में घर पर बच्चों से अंग्रेजी की जगह स्थानीय या अपनी हिन्दी राजभाषा में बातचीत करें और बड़े स्तर पर-
- हमारे स्नातक की पढ़ाई की किताबें, परीक्षाएँ, पत्रकारिता हिन्दी या स्थानीय भाअषाओं में हो,
- सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मोबाइल में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हिन्दी या स्थानीय भाषाओं में हो,
- सरकारी कार्यालयों में फिनेकल की लिंगुइफाई एप का प्रतिष्ठापन किए जाएं जो हिन्दी में लिप्यांतरण करता है,
- ईमेल आईडी का निर्माण हिन्दी या स्थानीय भाषाओं में करें,
- सभी सरकारी कार्यालयों में दस्तावेज़ द्विभाषी हो या स्थानीय भाषाओं में भी हों,
- हमें विद्यालयों,कार्यालयों में सभी को हिन्दी दिवस या स्थानीय गतिविधियों में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि हम दैनिक जीवन में भी अपनी भाषा से जुड़े रहें और इसकी गरिमा को लुप्त न होने दें एवं भावी पीढ़ियों को धरोहर के रूप में हस्तांतरण कर सकें।

इससे जन जागरूकता बढ़ेगी, लोग बातों को समझ पाएंगे और किसी भी प्रकार के वित्तीय जोखिम का शिकार नहीं होंगे, सशक्त बनेंगे साथ ही उज्जवल भविष्य हेतु कार्य में स्वंय का योगदान प्रदान कर सकेंगे।

उदय प्रकाश – एक कवि एवं चर्चित किस्सागो

नरेंद्र कुमार सिंह, प्रबंधक, केंद्रीय कार्यालय

"मैं मूलत: कवि ही हूँ। इसको मैं भी जानता हूँ और बाकी लोग भी जानते हैं। मैं तो अक्सर मज़ाक में कहा करता हूँ कि मैं एक ऐसा कुम्हार हूँ जिसने धोखे से कभी एक कमीज़ सिल दी और अब उसे सब दर्जी कह रहे हैं। सच यह है कि मैं कुम्हार ही हूँ।" – उदय प्रकाश

इस अंक में जिस साहित्यकार को हम आपके समक्ष लेकर आए हैं – वह इस सदी की प्रसिद्ध हस्ती उदय प्रकाश हैं। वे समकालीन समय के एक ऐसे रचनाकार हैं, जिनकी नई रचनाओं के लिए पाठकगण प्रतिक्षारत रहते हैं। पहली बार अपनी एम.ए की पढ़ाई के दौरान भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता में उदय प्रकाश जी को एक संगोष्ठी में सुनने का सुअवसर मिला, जो सभागार में उपस्थित पाठकों एवं उन पर शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही प्रभावी एवं ज्ञानप्रद रहा। उस सभागार में आधुनिक समय में हिंदी कहानी विषय पर सार्थक विचार – विमर्श किए गए और साथ ही बताया गया कि पर्यावरण एवं अपने आसपास के बदलाव पर पैनी नजर बनाए रखना, किसी भी साहित्यकार के लिए अनिवार्य शर्त होती है। उदय प्रकाश जिंदादिल व्यक्तित्व वाले, कलम के धनी एवं सलीके से अपने विचारों को पाठकों तक पहुँचाने वाले अद्भूत कथाकार हैं। गुस्ताख़ी माफ़, मैंने सिर्फ उन्हें कथाकार के रुप में संबोधित किया है। संगोष्ठी के दौरान एक पाठक ने उदय प्रकाश जी से एक मासूम-सा सवाल किया– 'आपको ख्याति भारत एवं विदेशी सरजमीं पर आपकी कहानियों की लोकप्रियता के माध्यम से प्राप्त हुई है, पर आप स्वयं को कवि कहलाना क्यों पसंद करते हैं।' जिसके प्रतिउत्तर में उदय प्रकाश जी बताते हैं – 'मुझे कहानीकार तो आपलोगों ने बना दिया है। मैं मूलत: कवि हूँ और अगर मुझे कोई कवि कहता है तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती है।' कविता हो या कहानी – लगभग हर विधा पर उन्होंने अपनी अविस्मरणीय छाप छोड़ी है। आइये, उनकी कुछ चिर – परिचित रचनाओं को खंगालते हुए उनके साहित्यिक सफर को समझने का प्रयास करते हैं।

हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवि, कहानीकार, पत्रकार और फिल्मकार उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 में हुआ था। वह अपने जन्मस्थली के बारे में लिखते हैं – "मैं मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ। आज भी वहां मिट्टी के 18 घर हैं। हमारा घर पक्का और पुराना है। गाँव के पीछे सोन नदी बहती है। जहाँ से सोन का उद्गम है उसी से कुछ दूर नर्मदा का उद्गम है। अमरकंटक मेरे गांव से पैदल जाएं, तो 23 किलोमीटर दूर है। मेरा जन्म 1952 में हुआ तब वहाँ बिजली नहीं थी। हम लोग लालटेन और ढिबरी की रोशनी में पढ़ते थे। पुल नहीं था, इसलिए गांव के

सभी लोग तैरना जानते हैं। पांचवीं कक्षा के बाद नदी को तैर कर स्कूल जाना होता था। कलम, फाउण्टेन पेन यह सब बाद में आया। हम शुरू में लकड़ी की पाटी पर लिखते थे छठे दर्जे से अंग्रेजी पढाई जाती थी। ग्रामीण परिवेश ने उदय प्रकाश को संजोया एवं तराशा है। उनकी लेखनी में ग्रामीण परिवेश और शहरी वातावरण का अंतर्द्वंद इंच – इंच पर देखने को मिलेगा और साथ ही आधुनिकता की चरम सीमा किस तरह से विनाश का कारण बनती है, यह भी उनकी कहानियों में खूब देखने को मिलती है।

उन्होंने अपनी पहली कहानी उस दौर में लिखी थी जब वे जब कॉलेज में फर्स्ट इयर के छात्र थे। उनकी पहली कहानी – 'बिजली का बल्ब और मौत का फासला' जो उनकी कॉलेज की मैगजीन में छपी और बेहद लोकप्रिय साबित हुई है। वह उनके लिए बहुत कठिन समय था, श्वासनली में कैंसर से माँ की मृत्यु हो जाने के कारण, वे घर छोड़कर पास के ही एक शहर में पढ़ाई करने के लिए चले गए थे। उस समय उपजे अकेलापन और असुरक्षा का भाव उनकी शुरुआती दौर के कहानियों में देखने को मिलता है।

उनके कहानियों के लगभग सभी पात्र सामान्य जीवन जीने वाले, एकदम साधारण से व्यक्ति होते हैं, जो आधुनिक तो हैं, लेकिन आधुनिकता के नाम पर किसी को ठगते नहीं हैं। वे अपने कहानी

के पात्रों के बारे में लिखते हैं – "वे सारे लोग जो बिल्कुल साधारण, मामूली लोग, जो किसी सत्ता, राजनीतिक व्यवस्था और किसी औपचारिक संस्था या संगठन के लोग नहीं हैं और अपनी बिल्कुल मामूली जिंदगी के सुख-दुख, हंसी-खुशी, रोग-शोक, राग-विराग, हार-जीत के बीच सांस लेते हुए अपना साधारण जीवन गुजार रहे हैं – उन सब के भीतर भी वही, मेरी कहानियों के पात्रों जैसा अकेलापन, लाचारी, असुरक्षा और डर मौजूद है।"

उदय प्रकाश की तमाम कहानियों में उत्तर आधुनिकतावादी विकासोन्मुखी सिद्धांत की झलक देखने को मिलती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में उदय प्रकाश एक ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने अपनी कहानियों में उत्तर आधुनिक परिवेश का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। उत्तर आधुनिकता के नाम पर जिस तरह से पूँजीवाद ने पाश्चात्य संस्कृति को हमारे देश में फैलाया है उससे न सिर्फ व्यक्ति प्रभावित हुआ है बल्कि व्यक्ति के साथ-साथ भारतीय परिवार, समाज और संस्कृति भी प्रभावित हुई है। इस उत्तर आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे अंदर की चेतना को पूरी तरह से हाइजैक कर लिया है। उदय प्रकाश की तमाम रचनाएँ उत्तर आधुनिक और पाश्चात्य संस्कृति के साइड इफेक्ट से प्रभावित है। 'तिरिछ', 'और अंत में प्रार्थना', 'पॉल गोमरा का स्कूटर', 'पीली छतरी वाली लड़की', 'दत्तात्रेय का दुख', 'मोहन दास', 'वारेन हेस्टिंग्स का सांड़', 'टेपचू', 'मैंगोसिल' आदि ऐसी अनेक कहानियाँ हैं जिनमें उदय प्रकाश ने उत्तर आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति की विसंगतियों का बड़ा ही यथार्थ चित्रण किया है।

उत्तर आधुनिकतावाद की एक मुख्य विशेषता है - समाज के हाशिए पर पड़े लोगों के मुद्दों को उठाना। उदय प्रकाश की कहानियों का केंद्र बिंदु वंचित समाज, सर्वहारा वर्ग, सामंतवादी एवं निकृष्ट परंपरा से पीड़ित व्यक्तियों को आधार बनाकर ही चलता है। उनके पाठक भी हाशिए पर पड़े हुए समाज का हिस्सा हैं। उदय प्रकाश जी अपने पाठकों के विषय में लिखते हैं – "मै स्वयं और मेरी रचनाओं के ज्यादातर पाठक, अपने समय, समाज और यथार्थ के हाशिए के लोग हैं। समय और समाज की जो केंद्रीय सत्ताएं हैं, यानि इस व्यवस्था की जो धुरी है, उसकी परिधि और उसके भी बाहर के लोगबाग। एक तरह के 'सबऑल्टर्न' जीवन और अनुभव के लोग। "लेकिन यह भी सच है कि हाशिया हमेशा से केंद्र से बड़ा होता आया है। संसार के हाशिए में बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है और अपना जीवन गुजारती है। उनकी कहानियों की लोकप्रियता और शक्ति के मुख्य आधार समाज के हाशिए पर जीने वाले लोग ही हैं। उनकी कहानियों को पढ़कर पाठक अपने रोज़मर्रा के जीवन को अनुभव करता है।

उनकी 'तिरिछ' कहानी में पारिवारिक रिश्तों की गरमाहट और मानवीय संबंधों की पीड़ा को बड़ी शिद्दत से महसूस किया जा सकता है। यह कहानी एक पुत्र के माध्यम से कही गई है जिसके केंद्र में पिता है। इस कहानी में बताया गया है कि एक ऐसे पिता जो पूरे परिवार के लिए नींव की तरह है और जिन पर पूरा का पूरा परिवार गर्व करता है, उन्हें भी जीवन में घटने वाली कुछ विचित्र घटनाओं की वजह से अपमान और तिरस्कार की ऐसी पीड़ा से गुजरना पड़ता है जिसकी वजह से उन्हें न जाने कितनी बार मरना पड़ता है। तिरिछ कहानी की शुरूआत होती है, इसी कथन के साथ–

"इस घटना का संबंध मेरे पिताजी से है। मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्म-जात भय होता है, उससे भी है।"

कहानी के केंद्र पिताजी को तिरिछ (एक जहरीली छिपकली) के काटे जाने के बाद तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, जो उनकी जान लेकर छोड़ती है। तिरिछ के काटे जाने के बाद भी पिताजी लगभग 24 घंटे तक जीवित थे। उन्हीं 24 घंटा के भीतर गांव में फैले अंधविश्वास एवं शहर की पाश्चात्य संस्कृति ने उन्हें मौत के घाट उतारा। एक पुत्र अपने पिता से कितना स्नेह करता है एवं कितना उन पर गर्व करता है और उनकी कितनी फ़िक्र करता है, वह हम इस कहानी में देख सकते हैं-

"हमें उनकी संतान होने का गर्व था। कभी – कभी वैसे ऐसा सालों में एकाध बार ही होता, वे शाम को हमें अपने साथ टहलाने कहीं बाहर ले जाते। चलने से पहले वे मुंह में तंबाकू भर लेते। तंबाकू के कारण वो कुछ बोल नहीं पाते। वे चुप रहते। ये चुप्पी हमें बहुत गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती। छोटी बहन कभी उनसे रास्ते में कुछ पूछना चाहती तो फौरन मै उसका जवाब देने की कोशिश करता, जिससे पिताजी को न बोलना पड़े। वैसे यह काम काफी मुश्किल और जोखिम भरा होता। क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा। बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। एक तो उन्हें तंबाकू की पीक निकालनी पड़ती थी, फिर जिस दुनिया में वे रहते थे, वहां से निकलकर यहां तक आने में एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती थी। वैसे बहन के सवालों में कोई खास बात होती नहीं थी जैसे वह यही पूछ लेती कि सामने छिउले की सूखी टहनी पर बैठी चिड़िया को क्या कहते हैं? मैं चूंकि सारी चिड़ियों को जानता था इसलिए बता सकता था कि वह नीलकंठ है और दशहरे के दिन उसे जरूर देखना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहती कि पिताजी को आराम रहे और वे सोचते रहें।"

एक पुत्र का अपने पिता के प्रति इस तरह की विचारधारा से अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि अपने पिता से यह पुत्र किस हद

तक प्रेम करता है। समकालीन समय में पूंजीवादी मानसिकता के कारण पुत्र पिता का सम्मान नहीं करते, उनकी विरासत को संभालना नहीं चाहते हैं, पिता को सिर्फ मान-सम्मान, धन, संपत्ति और जमीन-जायदाद प्राप्त करने का एक माध्यम भर मानते हैं। जो कि आगे चलकर सामाजिक व्यवस्था चरमराने का एक कारण बन सकता है। उदय प्रकाश जी इसे ही उत्तर आधुनिक होने का साइड इफेक्ट कहते हैं।

उदय प्रकाश की लगभग कहानियों में समस्याओं का जखीरा देखने को मिलता है। बहुत सारी समस्याओं और मुद्दों को एक साथ उठाया जाता है और उन समस्याओं के लिए जिम्मेदार नीतियों की भी जमकर आलोचना की जाती है। सामाजिक – राजनीतिक अवमूल्यन, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिक – राष्ट्रवाद, भ्रष्ट शिक्षा तंत्र, बेरोजगारी आदि समस्याएँ हमारे समाज में बड़े पैमाने पर विद्यमान हैं, जो हमारे देश की प्रगति में बाधा बनी हुई हैं। उदय प्रकाश द्वारा रचित 'पीली छतरी वाली लड़की' कहानी में राहुल और अंजली की प्रेम कहानी को आधार बनाकर लेखक ने मौजूदा दौर की शिक्षा – व्यवस्था की पोल खोल कर सबके सामने रख दी है। इस व्यवस्था में शिक्षा के नाम पर जो गैर कानूनी फंडे अपनाए जा रहे हैं उन्हें लेखक ने बखूबी दिखाया है। शिक्षा का मूल उद्देश्य अब लुप्त सा हो गया है। शिक्षण संस्थानों में चाटुकारिता, चरण-चुंबन, जातिवाद, भाई-भतिजावाद अपने चरम पर है। शिक्षण संस्थानों के व्यवसायीकरण पर विराम लगाना बहुत जरूरी है। पूरी की पूरी व्यवस्था इस तरह की शक्तियों की मेहमान नवाजी में लगी है जो देश को खोखला बनाने का काम कर रही हैं। 'पीली छतरी वाली लड़की' कहानी से -

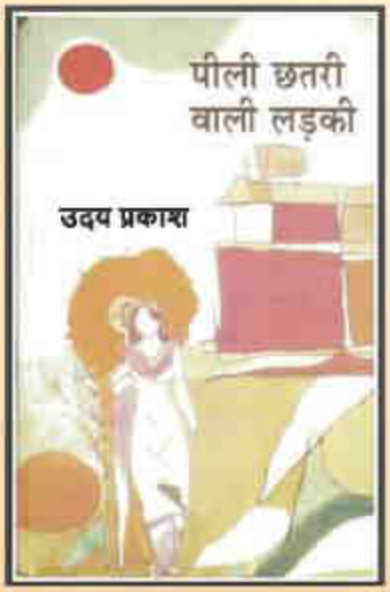

"यही वह आदमी है – खाऊ, तुंदियल, कामुक लुच्चा, जालसाज़ और रईस जिसकी सेवा की खातिर इस व्यवस्था और सरकार का निर्माण किया गया है, इसी आदमी के सुख और भोग के लिए इतना बड़ा बाजार है और इतनी सारी पुलिस और फौज है, अगर मैंने आर्गेनिक केमिस्ट्री के बलबूते कोई नौकरी की तो इसी आदमी के खाने – पीने की चीजों को लगातार स्वादिष्ट, पौष्टिक और लज़ीज़ बनाने का काम मुझे अपने जीवन भर करना पड़ेगा।"

यह पूंजीवादी संस्कृति की ही देन है कि किसी एक आदमी की खुशी और सेवा के लिए पूरी आवाम तत्पर रहती है। उत्तर आधुनिक समाज की बहुत बड़ी विशेषता है – पूंजीवाद और इस पूंजीवादी व्यवस्था में मानव और उसके समाज का कोई महत्व नहीं, समानता – बराबरी आदि जैसे शब्द उनके शब्दकोश में नहीं होता है। इसमें सिर्फ शोषण, अन्याय और ताम-झाम का बोलबाला रहता है। गरीब किसान और मजदूर सिर्फ शोषण के लिए रह जाते हैं और नारी लोगों के भोग के लिए – "यही वह आदमी है, जिसके लिए संसार भर की औरतों के कपड़े उतारे जा रहे हैं। तमाम शहरों के पार्लर्स में स्त्रियों को लिटाकर उनकी त्वचा से मोम के द्वारा या एलेक्ट्रोलिसिस के जरिये रोयें उखाड़े जा रहे हैं जैसे पिछले समय में गड़रिये भेड़ों की खाल से ऊन उतारा करते थे। राहुल को साफ दिखाई देता है कि तमाम शहरों और कस्बों के मध्य-निम्न मध्यवर्गीय घरों से निकल-निकलकर लड़कियां इन शहरों में कुकुरमुत्तों की तरह जगह-जगह उगी ब्यूटी पार्लर्स में मेमनों की तरह झुंड बनाकर घुसतीं और फिर चिकनी चुपड़ी होकर उस आदमी की तोंद पर अपनी टांगे छितरा कर बैठ जाती हैं। इन लड़कियों को टीवी 'बोल्ड एवं ब्यूटीफुल' कहता है और लुजलुजा-सा तुंदियल बूढ़े को 'रिच एंड फेमस'।" पूंजीवादियों के लिए औरत सिर्फ एक पदार्थ है। वे उनके उत्पाद बनाने से लेकर प्रचार एवं ब्रांडिंग करने का बस जरिया है।

उदय प्रकाश द्वारा लिखित कुछ कहानियाँ काफी लंबी है। लेखक कुछ कहानियों के 100 पृष्ठों के पूरे होने के बाद भी अपनी कलम को विराम देना उचित नहीं समझते हैं। उनके द्वारा लिखित 'पीली छतरी वाली लड़की' कहानी उसी शृंखला में आती है। कुछ लोगों को यह उपन्यास लगता है लेकिन हकीकत में यह एक लंबी कहानी है जिसे लेखक ने स्वयं स्वीकारा है, वे कहते हैं – "याद रखें यह लंबी कहानी है, उपन्यास नहीं। इतने सारे पृष्ठों के बावजूद इसमें से जो चीज अनुपस्थित है वह है 'औपन्यासिकता' या 'एपिकैलिटी'।" कुछ आलोचक उनकी लंबी कहानियों को कहानी मानने से इंकार करते हुए, उन्हें 'नॉविला' (लघु उपन्यास) घोषित करते हैं। 'वारेन हेस्टिंग्स का सांड', 'और अंत में प्रार्थना', 'पीली छतरी वाली लड़की' एवं 'मोहन दास' ऐसे ही लंबे आख्यान है। हम कह सकते हैं हिंदी कहानी जगत में यह एक ऐसे किस्सागो हैं जिन्हे आगे चलकर लंबी कहानी लिखने की परंपरा का जनक कहा जाएगा। दूर – दूर तक नजर दौड़ाने पर पूरे हिंदी जगत में सिर्फ उदय प्रकाश को छोड़कर अभी तक अन्य कोई लंबी कहानी लिखने वाला कथाकार नहीं दिखता है।

उदय प्रकाश द्वारा रचित 'मोहन दास' एक ऐसी कहानी है जिसमें

कहानीकार ने मोहन दास की जीवनी के माध्यम से हमारे देश के भ्रष्ट सिस्टम की कहानी कही है। मोहन दास आजादी के बाद से लेकर आज तक तड़प रहा है, छटपटा रहा है । उसकी छटपटाहट के पीछे जो कहानी है वह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि सौ फीसदी यथार्थ है। मोहन दास के जीवन का कटु यथार्थ जानने के लिए हमें मोहन दास की जीवनी से रूबरू होना पड़ेगा। तभी हम मोहनदास के दिल में मौजूद दहशत को समझ सकते हैं– "उसे देखकर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वह इस जिले के सरकारी विश्वविद्यालय की टॉपर की सूची में, आज से दस साल पहले उसका नाम, दूसरे नंबर पर मौजूद था। उसका आज का हुलिया उसके इस अतीत की कतई कोई सूचना नहीं देता।" मोहन दास गरीबी को झेलते हुए अपनी शिक्षा पूरी करता है। उसकी उम्र पैंतीस-सैंतीस के आस-पास की होगी लेकिन उसे देखने पर ऐसा लगता है कि वह उस उम्र से कहीं अधिक बड़ा है। उसके गांव के लोग कहते हैं कि आज तक पति-पत्नि को कभी लड़ते-झगड़ते नहीं देखा। लेखक लिखते हैं – "वे दरअसल विपदाएं और आफतें ही होती हैं, जो स्त्री-पुरूष के संबंधों की नींव को मजबूत या कमजोर बनाया करती है।" लेखक की यही विशेषता है कि वह अपना नायक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं, जिसे पाठक पढ़ते हुए कई जगहों पर स्वयं को नायक के रूप में देखने लगता है। जो रचना हर कालखंड में मार्ग दिखलाए, उसे ही प्रासंगिक रचना कह सकते हैं।

उदय प्रकाश रचित 'वारेन हेस्टिंग्स का सांड' एक ऐसी कहानी है

जिसमें उन्होंने लूट-खसोट और बेईमानी की ऐसी दास्तान कही है जो नव औपनिवेशिक मूल्य संकट के रूप में हमारे समाज और देश के सामने हैं । उदय प्रकाश इस कहानी में प्लासी की लड़ाई (1775) में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के लार्ड क्लाइव की टिप्पणी के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि लार्ड क्लाइव की तब की टिप्पणी मौजूदा दौर में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय – "मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अराजकता का ऐसा दृश्य, ऐसा भ्रम, ऐसी घूसखोरी और बेईमानी, ऐसा भ्रष्टाचार और ऐसी लूट-खसोट जैसी हमारे राज में दिखाई दे रही है, वैसी किसी और देश में न सुनी गई, न कभी देखी गई। अचानक धनाढ्यों की बेइंतहा दौलत परस्ती ने विलासिता और भोग के भीषण रूप को चारों तरफ पैदा कर दिया है। इस बुराई से हर डिपार्टमेंट का हर सदस्य प्रभावित है । हर छोटा मुलाजिम ज्यादा से ज्यादा धन हड़पकर बड़े मुलाजिम या अधिकारी के बराबर हो जाना चाहता है।" इस कहानी में उस समय के इतिहास को मौजूदा दौर की समस्याओं से जोड़ा गया है। आज से कई साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जिस उद्देश्य को सामने रखकर काम कर रही थी, आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी वही काम कर रही हैं।

उदय प्रकाश पर लिखना तब तक सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता है जब तक उनकी कविताओं पर कुछ प्रकाश न डाला जाए। जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा था कि वे स्वयं को मूलत: कवि कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। उदय प्रकाश देश – विदेश में कविता पाठ करते हैं। उनकी कविताओं का अनुवाद रूसी, अंग्रेजी, जापानी, डच और जर्मन भाषाओं में हो चुका है। वर्ष 2004 में वे हॉलैंड के प्रख्यात अंतरराष्ट्रीय कविता उत्सव में भारतीय कवि के रूप में भाग ले चुके हैं। उनके अब तक पाँच कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

आज हमारे देश में राजनीति का जैसा स्वरूप होना चाहिए, वह उस रूप में उपलब्ध नहीं है। राजनीति केवल शोषण एवं स्वार्थपूर्ति की रह गई है। राजनीति के प्रभावों की सभी प्रतिक्रियाओं को उदय प्रकाश ने अन्त:करण की गहरी संवेदनाओं तक महसूस किया है। उनकी कविताओं में राजनीतिक समझ बहुत गहरी है, विशेष रूप से सत्ता के चरित्र को उजागर करने में उन्हें दक्षता हासिल है, जो कि दुर्लभ है। वे अपनी कविताओं के माध्यम से भ्रष्ट नेताओं तथा चुनाव की कुव्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं और राजनीति के षड़यंत्रों से बचने के लिए आम जनता को जागरूक भी करते हैं। उदय प्रकाश की कविता "वैरागी है आया गांव" में चुनाव की कुव्यवस्था का वर्णन करती है -

"तुम्हारी आँखों की जगह पर,
खाली कटोरे हैं तुयके-पियके कांसे के,
जिसमें छाछ है
और छाछ में महाजन का, ठेकेदार का,
चौधरी का, हाकिम का,
हुक्काम का, नेता का,
मंत्री का, संतरी का, पुलिस का,
सेना का, ठाकुर का, बाह्मन का,
देश का, विदेश का,

धर्म का, तंत्र का, सत्ता का,

यानी दूसरे-दूसरे लोगों का

पाप थरथराता है।"

उपर्युक्त पंक्तियों में 'थरथराता हुआ पाप' वर्तमान समय की कुव्यवस्था यानि चुनावी षड्यंत्रों का कांपता सत्य है। उदय प्रकाश ने अपनी कविताओं में राजनीति के प्रत्येक पहलू को खुलकर उजागर किया है। उन्होंने कभी सीधे शब्दों में तो कभी व्यंग्यात्मक शैली के द्वारा हमारे समक्ष रखा है।

उदय प्रकाश की रचनाओं की भाषा, शैली एवं वाक्य विन्यास बहुत ही अनूठा होता है। वे बहुत ही सपाट शब्दों में अपनी बात पाठकों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उनकी भाषा में एक ओर जहाँ ग्रामीण झलक देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक शब्दों की भरमार भी मिलता है। उनके गढ़े वाक्य विन्यास में ऐसी जादुई शक्ति होती है जो कहानी के शुरुआत से अंत तक पाठक को अपनी रचनाओं से जोड़े रखती है।

इनकी कई कहानियों के नाट्यरूपांतर और सफल मंचन हुए हैं।

साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ

'उपरांत' और 'मोहनदास' के नाम से इनकी कहानियों पर फीचर फिल्में भी बन चुकी हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय सम्मान एवं ख्याति प्राप्त है। उदय प्रकाश स्वयं भी कई टी.वी धारावाहिकों के निर्देशक-पटकथाकार रहे हैं। उदय प्रकाश ने प्रसार भारती के लिए सुप्रसिद्ध राजस्थानी कथाकार 'विजयदान देथा' की कहानियों पर चर्चित लघु फिल्में निर्मित और निर्देशित की हैं। आप राष्ट्रीय चैनल के लिए 'भारतीय कृषि का इतिहास' पर महत्त्वपूर्ण पंद्रह कड़ियों का सीरियल 'कृषि कथा' के नाम से निर्देशित कर चुके हैं।

साहित्यकार निर्बाध रूप से बहते हुए समुद्र की तरह होते हैं, जिन्हें किसी एक छोर पर बांधना असंभव है। उदय प्रकाश का अब तक का रचना संसार काफी बड़ा एवं समृद्ध रहा है। उन्होंने जिस भी विधा पर अपनी कलम चलाई है, वहाँ उन्हें निराशा हाथ नहीं लगी है। उनकी बहुत सी रचनाओं को भारत एवं विदेशों के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में जगह दी गई है। दर्जनों से ज्यादा विद्यार्थी उन पर पी.एच.डी कर चुके हैं और कईयों का शोध कार्य उन पर अभी भी जारी है। उनकी कई कृतियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आइए उनकी रचना संग्रह एवं साहित्य की विभिन्न विधाओं में उनके दिए योगदान से रूबरू होते हैं -

कविता संग्रह : सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा

कथा साहित्य : दरियाई घोड़ा, तिरिछ, दत्तात्रेय का दुख, और अंत में प्रार्थना, पालगोमरा का स्कूटर, अरेबा, परेबा, मोहन दास, मैंगोसिल, पीली छतरी वाली लड़की

अनुवाद : इंदिरा गांधी की आख़िरी लड़ाई, कला अनुभव, लाल घास पर नीले घोड़े, रोम्यां रोलां का भारत

निबंध और आलोचना संग्रह : नयी सदी का पंचतंत्र, ईश्वर की आंख

कृतियों का मंचन : तिरिछ, वारेन हेस्टिंग्स का सांड, और अंत में प्रार्थना, लाल घास पर नीले घोड़े

सम्मान :

1. 1980 में अपनी कविता 'तिब्बत' के लिए 'भारत भूषण अग्रवाल' पुरस्कार से सम्मानित
2. ओम प्रकाश सम्मान
3. श्रीकांत वर्मा पुरस्कार
4. मुक्तिबोध सम्मान
5. साहित्यकार सम्मान
6. द्विजदेव सम्मान
7. पहल सम्मान
8. सार्क (SAARC) लेखक सम्मान
9. कृष्णबलदेव वैद सम्मान
10. महाराष्ट्र फाउंडेशन पुरस्कार, 'तिरिछ अणि इतर कथा' अनुवाद जयप्रकाश सावंत
11. वर्ष 2012 में 'मोहन दास' कहानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित

आखरी उम्मीद

शुभम दीक्षित, सहायक प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यालय

अपने स्तम्भ के पुराने विषय पर दो नए ख़तों के साथ एक बार फिर आप सभी से मुख़ातिब हूँ। यदि आप हमारे स्तम्भ के नियमित पाठक हैं तो आपको ज्ञात ही होगा कि हम विगत कुछ अंकों से द्वितीय विश्वयुद्ध और उससे जुड़े प्रमुख घटनाक्रमों पर चर्चा कर रहे हैं। हमने आज इस स्तम्भ के माध्यम से जर्मनी तथा नाज़ी पार्टी द्वारा विजित देशों में नस्लवाद के नाम पर की गई हिंसा तथा अमानवीय कृत्यों के साथ-साथ युग परिवर्तनकारी घटना नॉर्ममंडी लैंडिंग या इतिहास में जिसे डी-डे के नाम से भी जाना जाता है, की चर्चा को केन्द्रीय विषय के रूप में चुना है। लेकिन इस सब से पहले बात होगी ख़तों की। ख़त जिन्हें हम इतिहास के पन्नों से आप सभी के लिए चुन कर लाते हैं। अगर अपनी कहूँ तो ये चुनाव कभी-कभी इतना जटिल हो जाता है कि एक या दो ख़तों का चुनाव करना अपने आप में एक चुनौती बन कर उभरता है। किसी ख़त में भाव सशक्त होते हैं तो किसी ख़त में भाषा तो कहीं किसी ख़त में तत्कालीन स्थितियों का इतना सजीव चित्रण होता है कि लगता है मानो जैसे पूरा घटनाक्रम आपकी आँखों के सामने से गुज़र जाता है। लेकिन इन सब के बीच अनुवादक के नाते सभी ख़तों से गुज़रना किसी त्रासदी से कम नहीं होता है, क्योंकि ख़त लिखने वाली की मनोदशाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए अनुवाद करना निश्चय ही पीड़ादायक है।

आज जो दो ख़त हम आपके लिए चुन कर लाए हैं उनमें पहला ख़त शिम्सन हॉल्कब्लेट ने अपने बच्चों मरियामेले और मोर्डेचाई के नाम 20 नवंबर 1942 को लिखा था और दूसरा ख़त फ़ान्या नाम की एक लड़की ने अपनी बहन छाया और अपने भाई मानोस के नाम 16 जून 1942 को लिखा था। ये त्रासद ही था कि दोनों ख़तों को लिखने वालों को असमय ही मौत के मुँह में ढकेल दिया गया। और उनका कसूर महज़ इतना ही कि वो यहूदी धर्म के अनुयायियों के घरों में पैदा हुए थे। पहले ख़त को पाने वाले मरियामेले और मोर्डेचाई ने द्वितीय विश्वयुद्ध का पूरा समय बद से बदतर हालत में पूरे संयुक्त रूस में भटकते हुए गुज़ारा और किसी तरह अपनी जान बचा सके। वे युद्ध समाप्त होने के बाद वापस आए और अपने माता-पिता के वधस्थल, 'रेजोवेक' में आ कर ये ख़त पा सके। वहीं दूसरे ख़त को पाने वाली फ़ान्या की बहन छाया और उसका भाई मानोस ने दोबारा जर्मनी की ज़मीन पर कभी कदम नहीं रखा। अब चर्चा को और अधिक लंबा न खींचते हुए वापस लौटते हैं ख़तों की ओर।

पहला ख़त

20 नवंबर 1942

मेरे प्यारे बच्चों मारियामेले और मोर्डेचाई को, एक भावपूरित हृदय के साथ तुम्हारे माता-पिता की ओर से। हम अभी तक अपना अस्तित्व संभाले हुए एक छोटी सी पोलिश ज्यूरी (यहूदियों का छोटा रिहायशी क्षेत्र) में हैं। हम, जिनकी मौत की सज़ा की अभी तक तामील नहीं हुई है, और हमें उम्मीद है कि हम अंतिम समय में खुद को बचा सकेंगे, तुम दोनों को अलविदा कहना चाहते हैं।

अगर अचानक से कोई चमत्कार न हो जाए तो मेरा ख़त तुम दोनों के पास पहुँचने तक हम जीवित नहीं बचेंगे। हम अपने पीड़ित भाई, बहनों और अपने अविभावकों के साथ होंगे।

मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें इस कच्ची उम्र में अनाथ करके हमने तुम्हें जो दुःख और तकलीफ दी है उसके लिए हमें माफ कर देना। तुम अपने दिलों में कोई मलाल मत रखना, ये सिर्फ हम हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि हमने तुम्हारी बात कभी नहीं मानी। मरियामेले मेरी प्यारी बच्ची मैं तुम्हें तुम्हारी आँखों में आँसू भरे अपने साथ चलने के अनुरोध और उसे मनवा लेने की तुम्हारी विनती को अब महसूस कर पा रहा हूँ।

मेरे प्यारे बच्चों अगर इस वक्त, एक बार को ही सही अगर हम तुम्हें देख सकते तो हमारे लिए मरना बेहद आसान हो जाता। मेरे बच्चों, पिछले तीन सालों के दौरान हमने जिस अपमान और यंत्रणाओं को सहा है, तुम दोनों उसके लिए बिलकुल भी जिम्मेदार नहीं हो। मेरा विश्वास करो मेरे बच्चों, ये तुम दोनों को एक बार फिर से देख सकने की धुंधली सी उम्मीद ही है जो हमें अभी तक ज़िंदा रहने की ताकत देती है।

ये हमारी ही गलती है और हम अब इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं।

हमें बीते हुए दशकों का कोई मलाल नहीं है। मलाल है तो बस इतना

कि शायद इसमें कुछ और दशक भी जुड़ सकते थे ।

वो लोग जो सालों से हमारे साथ दोस्ताना माहौल में रहते आए थे, वो लोग जो हमेशा हमें देख कर मुस्कुरा दिया करते थे, आज हमें धोखा देने पर आमादा है । मेरा यकीन मानो मेरे बच्चों, अमानवीयता से भरी इस दुनिया में रहने लायक अब कुछ बचा ही नहीं है । हमें इस बात की ज़रा भी फिक्र नहीं कि मौत हमारे इंतज़ार में है । कौन जाने कि शायद उन्होंने अभी से हमें ज़िंदा लोगों में गिनना बंद कर दिया हो ? अब हमें किसी भी चीज़ का डर और इस बदनुमा ज़िंदगी को जी लेने की कोई चाह नहीं है ।

शिमसन हेल्पफ्लेट और उनकी पत्नी

मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बस एक ही गुज़ारिश है : हमारी नियति को समभाव से स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारा दुःख हमें कब्र में भी सुकून नहीं मिलने देगा । अगर तुम कभी भी खोज सको कि हमें कहाँ दफ़नाया गया है (जोकि शायद ही संभव है), तो हमें आकर बताना कि तुम दोनों जीवित हो और उतने ही खुश हो, जितना कि हम हुआ करते थे । यही हमारी गुज़ारिश है । यहूदी होना कोई शर्म की बात नहीं है, खुश रहो मेरे बच्चों । अपना ज़िंदगी ऐसे जियो जैसी कि हमने जीनी चाही थी । जहाँ हम जा रहे हैं, अगर वहाँ कोई ज़िंदगी है तो हम चाहेंगे कि तुम खुद को कभी मत बदलना ताकि हम तुम्हें पहचान सकें ।

अपनी ज़िंदगी के इन आखरी पलों में एक बार के लिए हम तुम्हें अपने सीने से लगाना चाहते हैं । काश कि अगर हम तुम्हें गले लगा सकते तो कभी खुद से अलग न होने देते।

हम ये बात सैकड़ों बार दोहराते हैं: स्वस्थ रहो और खुश रहो । जब तक कि हमारे होंठ और आँखें बंद नहीं हो जाती हैं, हम आखरी घड़ी में दर्जनों बार स्नेह से तुम्हें चूमते हैं । हम तुम्हारा ही हिस्सा हैं ।

हमारे गले लग जाओ और यूँ ही लगे रहो...

तुम्हारा पिता, शिमसन

दूसरा ख़त

डूजा प्रीवर की सभी युवा लड़कियों

तुम सभी को फैनी और उसके परिवार के सभी सदस्यों की ओर से मरने से पहले की बधाई ।

मेरी प्यारी लड़कियों !! मौत के सर पर होते हुए भी मैं ये ख़त लिख रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि किस दिन मुझे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को सिर्फ इस लिए मार दिया जाएगा क्योंकि हम यहूदी हैं । हमारे सभी यहूदी भाई और बहनों को हत्यारों के हाथों शर्मनाक तरीके से मौत की नींद सुलाया जा चुका है... मुझे नहीं पता कि हमारे परिवार में कौन जीवित बचेगा और किसे मेरे ख़त पढ़ने का सम्मान मिलेगा और हत्यारों के हाथों मारे जाने से पहले मेरे और उन सभी, जो मेरे लिए बेहद अज़ीज़ हैं, का गौरवपूर्ण अभिवादन स्वीकार करेगा ।

प्यारे शायले ! प्यारी मोनुस्का !! क्या यह मुमकिन है कि तुम ज़िंदा बच सको ? खुश रहो और अच्छी तरह से जियो । हम सभी स्वाभिमान के साथ अपनी मौत कि ओर कदमताल कर रहे हैं और यही हमारी नियति है ।

वारसॉ संग्रहालय से ली गई फ्रान्या की तस्वीर

जहाँ तक हम जानते हैं, ब्लूमा और उसके परिवार को पहले ही मौत के घाट उतारा जा चुका है । मैं आगे और नहीं लिख सकती । सभी परिवार वाले रो रहे हैं और अपने भाग्य के लिए विलाप कर रहे हैं । मैं ख़त को अपने अच्छे दोस्त, जिसने अब तक हमारे लिए बहुत कुछ किया है, के पास छोड़ रही हूँ ।

हम एक बंकर (बमबारी से बचने के लिए ज़मीन के नीचे बनाया गया कंक्रीट का कमरा) में लेटे हुए हैं । मैं ये बात पुख़्ता तौर पर कह सकती हूँ कि आप सभी को पता होगा कि मुझे कहाँ दफ़नाया गया है । मम्मी और पापा बमुश्किल ही अपना नियंत्रण बना पा रहे हैं । मेरे हाथ काँप रहे हैं और मेरे लिए लिखना मुश्किल हो रहा है । मुझे एक यहूदी होने पर नाज़ है । मैं अपने लोगों के लिए मर रही हूँ । मैंने किसी को कानों-कान भनक तक नहीं लगने दी है कि मैं मरने पहले तक ख़त लिख रही हूँ । लेकिन ! मैं जीवन को जीने और कुछ बेहतर करने की प्रबल आशा रखती हूँ । मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका..। अलविदा । आपकी संबंधी फ्रान्या और सभी की ओर से – मम्मी, पापा, सिमा, सोनिया, जूसिया, रसिया, हत्ज़ा और जेल्डलह के नाम से, जोकि एक नवजात है और अभी तक कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं है, की ओर से अलविदा ।

परमेश्वर न्यायी है और उसका न्याय न्यायपूर्ण है। हमने पाप किए हैं। हमारी अल्प संपत्ति घर में छिपी हुई है लेकिन हम अपनी जान गवां चुके हैं। सब खत्म हो रहा है। सभी देशों के भाइयों हमारी मौत का बदला लेना। हमें कत्लखाने की ओर धकेली जानी वाली भेड़ों की तरह धकेला जा रहा है।

मंगलवार, सुबह 04.00 बजे

16 जून 1942

सभी को अलविदा

आपकी फ़ान्या

देशकाल

जब बात द्वितीय विश्वयुद्ध और यहूदियों के दमन की आती है तो सन 1943 में पोलैंड में हुआ वारसॉ घाटो विद्रोह अहम हो जाता है। अगर हम यहूदियों के दमन और उनके समूल नष्ट किए जाने के लिए हिटलर के द्वारा तैयार किए अंतिम समाधान (फ़ाइनल सॉल्यूशन) की बात करें तो पूरे यूरोप और एशिया में यहूदियों के योजनाबद्ध रूप से किए गए नरसंहार के विरोध में केवल वारसॉ में किया गया विद्रोह ही एकलौता विद्रोह नज़र आता है, जहाँ पर अपने ऊपर हुए अत्याचारों और अपनों की हत्याओं का बदला लेने के लिए यहूदियों ने सशस्त्र संघर्ष किया गया। वारसॉ घाटो अपराइजिंग, पोलैंड के इतिहास की अहम घटनाओं में से एक है। हालांकि संसाधनों और बाहरी मदद के अभाव में इस विद्रोह को जल्द ही दबा दिया गया और पोलैंड की हार एक महान राष्ट्रीय त्रासदी बन कर उभरी। मगर इस छोटे से विद्रोह ने सन 1944 में हुए वारसॉ विद्रोह, जिसे वारसॉ अपराइजिंग 1944 के नाम से भी जाना जाता है, के लिए एक पुख़्ता नींव तैयार करने का काम किया। इतिहास का ये हिस्सा और भी जघन्य इस लिए हो जाता है क्योंकि वारसॉ में हुए विद्रोह की नाजी पार्टी ने कभी उम्मीद नहीं की थी। उनका मानना था वो यहूदी जिन्हें वो जर्मनी से लेकर हर विजित जर्मन देश में मामूली सा जानकर मिटाते आए हैं, कभी पलट कर वार भी कर सकते हैं। अतः यह विद्रोह उनकी अपेक्षाओं के सर्वथा प्रतिकूल था।

वारसॉ के बारे में यही कहा जा सकता है कि इन दोनों विद्रोहों में शामिल होने वाले क्रांतिकारी जानते थे कि स्वतंत्रता की एक कीमत होती है, इसे हासिल करने के लिए महान बलिदान देने पड़ते हैं और यह कि संघर्ष हमेशा तत्काल और स्थायी परिणाम नहीं लाता है। अस्तु, सभी क्रांतिकारियों ने ये ठान लिया कि भले ही हम हर तरह के आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस जर्मन सेना को हरा नहीं सकते मगर हमारी मौत कहाँ होगी इसका चुनाव केवल और केवल हम ही करेंगे। पहले विद्रोह के दौरान वारसॉ घाटो में पोलिश होम आर्मी की बटालियन जोल्का पूर्वी यहूदी बस्ती के खंडहरों के पास जर्मन सेना द्वारा बनाए गए एक अस्थाई यातना शिविर "ग्लेसिओका" से 380 यहूदियों को बचाने में सफल हो गई, इसी तरह खंडहरों से होते हुए कुछ और लोग भी पोलिश होम आर्मी तक पहुँच गए और बाद में इन्हीं लोगों ने 1944 के मुख्य विद्रोह में भी भाग लिया।

हालांकि यहूदियों के द्वारा किए गए विद्रोह को कुचलने के एक साल बाद ही वारसॉ विद्रोह शुरू हो सका जिसके बीजारोपण का आधिकारिक श्रेय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, देश छोड़ कर जा चुकी पोलैंड सरकार के राजनायकों को दिया जा सकता है जो लंदन से विद्रोह पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। किन्तु अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो मुट्ठी भर यहूदियों के द्वारा जर्मन सेना पर किए गए पलटवार ने स्थानीय सेना में नए प्राण फूँक दिए। अपनी शुरुआत के बाद से ही विद्रोह लंदन में बैठे राजनायकों की कामन से बाहर निकाल गया और एक मुक्त विद्रोह के रूप में आगे बढ़ा। ये राष्ट्रीय एकता के 63 दिनों के गृह सेना विद्रोह की स्मृतियाँ ही थीं जो आगे चल कर पोलिश ऐतिहासिक गरिमा और स्वतंत्रता की चेतना का एक महत्वपूर्ण घटक बन गईं। इसने राष्ट्र को आने वाले कठिन वर्षों में जीवित रहने में मदद की। वास्तव में, यह सामूहिक युद्धकालीन प्रतिरोध की नैतिक विरासत ही थी जो 1980 के दशक के एकजुटता आंदोलन के रूप में फिर से

युद्ध समाप्ति के बाद ली गई वारसॉ शहर की तस्वीर

खिली और सोवियत प्रणाली के पतन में बड़ा योगदान दिया।

दूसरी तरफ जर्मन सेना के कमानदार हेनरिक हिमलर ने विद्रोह की खबर पाते ही शहर को पूरी तरह से तबाह करते हुए स्थानीय नागरिकों से बदला लेने के आदेश जारी कर दिए। अगर

इतिहासकारों की माने तो 5 अगस्त 1944 से 7 अगस्त 1944 का 3 दिन का समय सबसे खौफनाक था जब अकेल "वोला" जिले में महज 3 दिनों में बच्चों सहित 40000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों और पोलिश सेना के इस विद्रोह को 2 अक्तूबर 1944 को जर्मन सेना के द्वारा पूर्णतः कुचल दिया गया। लेकिन विद्रोह को कुचलने के बाद, बदले की आग में जलती जर्मन सेना ने जल्द ही वारसॉ को मौत की घाटी में तब्दील कर दिया। सबक सिखाने की नियत से सामूहिक रूप से लोगों को जिंदा ही जलती चिताओं में ढकेल कर, यातना शिविरों के गैस-चैंबर्स में दम घोंट कर या सामूहिक कब्रों में गोलियां बरसा कर मार डाला गया। सटीक आंकड़े कभी उपलब्ध नहीं हो सके किन्तु इतिहासकारों का अनुमान है कि अकेले वारसॉ में ही शृंखलाबद्ध तरीके से लगभग 1 लाख 66 हज़ार से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और छोटे कस्बों सहित बड़े शहरों को मिला कर कुल 530 से अधिक घने रिहायशी इलाकों को आग के हवाले कर दिया गया।

विद्रोह समाप्त होने के पश्चात हवाई हमलों तथा पेट्रोल डाल कर जलाए गए घरों के खंडहरनुमा ढांचों को गिरा दिया गया और बंधक बनाए गए पोलैंड के लोगों से लगतार काम लेते हुए उसी ज़मीन पर वारसॉ यातना शिविर का निर्माण किया गया। कुछ स्थानीय लोग जो मलबों में अभी भी छुपे हुए थे, उन्हें एसएस फोर्स के सैनिकों द्वारा ढूंढ-ढूंढ कर गोली मार दी गई। आधे से ज्यादा बंधक इस शिविर के निर्माण कार्य के दौरान ही भुखमरी और बीमारी आदि के चलते काल के गाल में समा गए। कम से कम शब्दों को खर्च करते हुए अगर अपनी बात कहूँ तो जिस ऑत्सविज यातना शिविर की वो बदनाम तस्वीर जो हिटलर की कारगुजारियों को बयान करती हैं, उस ऑत्सविज यातना शिविर निर्माण पोलैंड की ज़मीन पर ही किया गया था।

वारसॉ स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जर्मन चांसलर विली ब्रांट : 7 दिसंबर 1970

सन 1968 के दौरान वारसॉ घाटो विद्रोह की 25वीं वर्षगांठ पर पहले विद्रोह का हिस्सा रहे जुकरमैन से जब पूछा गया कि उस विद्रोह से कौन सा सैन्य सबक सीखा जा सकता है तो उन्होंने जवाब दिया कि:

"मुझे नहीं लगता कि सैन्य दृष्टि से इस विद्रोह का विश्लेषण किए जाने की कोई जरूरत है। ये एक शक्तिशाली सेना के विरुद्ध एक हज़ार से भी कम लोगों का युद्ध था और किसी को भी इसमें कोई शक नहीं था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। ये किसी मिलिट्री स्कूल में पढ़ाए जाने का विषय नहीं है। ... लेकिन अगर मानव की आत्मा से जुड़ी पढ़ाई करने का कोई स्कूल है तो ये वहाँ का सबसे प्रमुख विषय होना चाहिए। वर्षों की यातना, ग्लानि और गुस्से के बाद यहूदी युवाओं द्वारा दिखाए गए जज्बे में महत्वपूर्ण चीजें जुड़ी हुई थीं। अपना सब कुछ खोने के बाद बदला लेने के लिए उठना और ये तय करना कि वो कौन सी मौत चुनेंगे; ट्रेब्लिंका का गैस चैंबर या लड़ते हुए दुश्मन की गोली!"

यहाँ पर वारसॉ घाटो विद्रोह से जुड़ी एक छोटी सी घटना जिसे "वारसॉ नीफ़ाल" के नाम से भी जाना जाता है, पर बात करते हुए विषयांतर करूंगा। दरअसल बात सन 1970 की है जब 7 दिसंबर के दिन जब नाजियों के खिलाफ किए गए प्रतिरोधों का हिस्सा रहे जर्मन चांसलर विली ब्रांट वारसॉ स्मारक, जिसे वारसॉ के यहूदियों के अदम्य साहस की स्मृति में स्थापित किया गया था, पर माल्यार्पण के लिए पहुंचे तो उन्होंने आगे बढ़ कर फूलों का गुलदस्ता स्मारक पर रखा, दो कदम पीछे हटे और कुछ सेकेंड के लिए मूर्तिवत वहीं खड़े रहे। सभी ने अपने कैमरे नीचे किए ही थे कि उनका ध्यान एक हल्की आवाज़ से टूटा और सभी ने देख कि विली ब्रांट लगभग खुद को निढाल छोड़ते हुए घुटनों के बल बैठ कर आगे की ओर झुक गए। इस बारे में विली ब्रांट एक इंटरव्यू में कुछ इस बताते हैं कि "जर्मन इतिहास के रसातल और लाखों लोगों की हत्याओं के बोझ के वज़न तले मैंने वही किया जो इंसान अमूमन शब्दों से खाली हो जाने पर करते हैं। मैंने तो बस अपने लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना की।" यहाँ आपको बताता चलूँ कि द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने के लगभग 25 साल बाद पुराने शत्रु देशों के बीच सुलह की नीति के सूत्रपात के लिए नार्वेजियन नोबल समिति ने 10 दिसंबर 1971 को विली ब्रांट को नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था।

यहाँ तक तो बात हुई वारसॉ अपराइजिंग की, अब हम अपना रूख करेंगे युगपरिवर्तनकारी घटना डी डे की जिसे इतिहास में नोर्मंडी लैंडिंग भी कहा जाता है। अब इसके बार में इतना खास क्या है ये

समझने के लिए थोड़ा और पीछे की ओर लौटना होगा । जनवरी 1941 आते आते हिटलर की शक्तियाँ इस हद तक बढ़ चुकी थीं कि एक ओर जहाँ जर्मन फाइटर प्लेन्स ने समुद्र पार कर लंदन की औद्योगिक इकाइयों और रिहायशी इलाकों पर बिना रुके लगातार 8 महीने तक बमबारी की जिसके चलते 40000 से अधिक बेगुनाह लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर जर्मन सेना आगे बढ़ते हुए रूस के स्टार्लिनग्राड तक पहुँच चुकी थी । अपने विस्तारवाद के चरम पर यूरोप का अधिकतम हिस्सा हिटलर की कमान में था । पूर्व में जर्मनी ने अपना विस्तार संयुक्त रूस के मोज़्डोक तक, उत्तर में नॉर्वे के स्पिट्सबर्गेन तक, दक्षिण में ग्रीस के गवडोस द्वीप तक तथा पश्चिम में फ्रांस गणराज्य के उषान्त द्वीप तक विस्तारित कर लिया था । नाजी जर्मनी के बढ़ते संप्रभुत्व को कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि सन 1942 का अंत आते-आते जर्मन सेनाएँ जर्मनी के कुल क्षेत्रफल के कहीं गुने अधिक क्षेत्रफल को युद्ध में परास्त कर या विभिन्न संधियों के माध्यम से जर्मनी में विलय कर चुकी थी जो सीधे तौर पर जर्मन तानाशाह हिटलर के नियंत्रण के अधीन थी । सन 1942 आते-आते यह तय हो गया था कि यदि हिटलर जिसे थर्ड राईक (तीसरा साम्राज्य या तीसरे राज) की संज्ञा देता है, अगर उस अराजकता को रोकने के लिए समेकित प्रयास नहीं किए गए तो भविष्य में उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा ।

नॉरमैंडी बीच पर मित्र राष्ट्रों की सेना के पहुँचने के बाद का दृश्य

जर्मन सेना की आक्रामकता को इस तरह भी समझा जा सकता है कि 22 जून 1941 से जनवरी 1942 तक चले भीषण युद्ध के दौरान जर्मन सेनाएँ संयुक्त रूस की लगभग 5 लाख वर्गमील भूमि पर कब्जा कर चुकीं थीं । जून 1941 में जर्मन सेना द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने के पश्चात सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने पश्चिमी यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलने के लिए अपने सहयोगियों पर दबाव डालना शुरू कर दिया । मित्र राष्ट्र इसके लिए तैयार भी हो गए क्योंकि हर तरफ से जर्मन सेना की बढ़ती शक्तियाँ कभी भी उनके दरवाजे पर दस्तक दे सकती थीं । इन्हीं कारणों को देखते हुए सभी मित्र राष्ट्रों ने एक जुट हो कर जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया । इटली और जर्मनी दोनों फासिस्ट देशों ने यूरोपीय महाद्वीप के अनेक देशों को लगभग 2 वर्षों में ही पराजित कर दिया । ब्रिटेन पर भी जर्मनी के हवाई हमलों की संख्या बढ़ती जा रही थी । इसी के चलते मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को पराजित करने के लिए इटली के अफ्रीकी साम्राज्य को समाप्त करने का निर्णय लिया और मई 1943 आते-आते इटली को अफ्रीकी ज़मीन से खदेड़ दिया गया । मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर दवाब बनाने के लिए "ऑपरेशन होकी" नाम की योजना बनाई जिसका उद्देश्य इटली को पराजित कर इटली की ज़मीन से जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोलना था । योजना उम्मीद के अनुसार आगे बढ़ी और भारी बमबारी के बीच इटली के सैनिकों ने सिसिली में आत्मसमर्पण कर दिया । इसी बीच मुसोलिनी का भी पतन हो गया और चारो तरफ से दबाव बढ़ता देख कर अंततः इटली ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर 1943 को मित्र राष्ट्रों के सम्मुख बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और आगे की लड़ाई में मित्र राष्ट्रों की मदद करने का निर्णय लिया । लेकिन उसी दिन जर्मन सेना ने पवित्र शहर रोम पर हमला कर दिया । मित्र राष्ट्रों को जर्मन सेनाओं को रोम से खदेड़ने में 9 महीने का समय लगा और अंततः 04 जून 1944 को रोम को आज़ाद करवाया जा सका ।

मित्र राष्ट्रों ने संयुक्त रूप से जर्मनी के विरुद्ध मोर्चा खोलने के लिए कुल चार स्थानों का चिन्हित किया था जिसमें नॉरमैंडी बीच के अलावा ब्रिटानी, कोटेंटिन प्रायद्वीप और पास-डी-कैलाइस भी शामिल थे । किन्तु अंतिम समय में खराब मौसम और कई तरह के सामरिक जोखिमों के चलते अंततः नॉरमैंडी बीच को ही सेना की लैंडिंग के लिए चुना गया । खराब मौसम के कारण अंतिम समय में हमले को 24 घंटों के लिए टालना भी पड़ा जोकि सामरिक दृष्टि से बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि एक बार जर्मनों की इसकी भनक लगने पर पूरी-की-पूरी योजना के विफल होने का खतरा बना हुआ था । हालांकि हिटलर को इस बात का पहले से ही अंदाज़ था जिसके चलते उसने फील्ड मार्शल इरविन रोमेल को जर्मन सेना की कमान सौंपते हुए मित्र देशों के आक्रमण की प्रत्याशा में अटलांटिक के तट से लगी हुई प्राकृतिक दीवार पर किलेबंदी करने का जिम्मा सौंपा । वहीं दूसरी ओर नॉरमैंडी बीच पर मित्र राष्ट्रों की ओर से मोर्चे की कमान ड्वाइट डी आइजनहावर के हाथ में थी । इंग्लैंड, अमेरिका तथा अन्य मित्र राष्ट्रों ने संयुक्त रूप से फ्रांस को जर्मनी के कब्जे से आज़ाद करवाने के लिए फ्रांस के नॉरमैंडी बीच पर 6 जून 1944 को दूसरा मोर्चा खोल दिया । अगर ऐतिहासिक तथ्यों की बात की जाए

तो नॉरमैंडी बीच पर किया गया हमला समुद्री रास्ते से किया गया इतिहास का सबसे बड़ा हमला था।

सबसे पहले इरविन रोमेल की किलेबंदी को तोड़ने के लिए रात से ही अमेरिकी हवाई जहाजों के द्वारा बमबारी शुरू कर दी गई और रात के अंधेरे में पैराशूट की मदद से 13100 जवानों को नॉरमैंडी बीच पर उतार दिया गया। इसी के साथ कनाडा ब्रिटेन के 11000 जवानों को पैराशूट की मदद नॉरमैंडी बीच पर उतारा गया। सुबह की हल्की सी रौशनी हुई ही थी कि 80 किलोमीटर लंबे नॉरमैंडी बीच पर मित्र राष्ट्रों की पैदल सेना के जहाज आ लगे और सुबह के 7:30 बजे तक पूरा बीच मित्र राष्ट्रों की बख्तरबंद सेना से भर गया। ऐसा अनुमान है कि नॉरमैंडी लैंडिंग के दौरान ड्वाइट डी आइजनहावर की कमान में 01 लाख 60 से अधिक सैनिकों ने इंग्लिश चैनल को पार किया। हालांकि तेज़ हवाओं ने विशेष रूप से यूटा और ओहमा में मित्र राष्ट्र की योजना को काफी प्रभावित किया, क्योंकि लैंडिंग क्राफ्ट के तेज हवाओं में फँसने के कारण उनकी लैंडिंग पूर्व की ओर सरक गई जिस कारण कई सैनिक पत्थरों से टकराकर, कंटीली बाड़ों में फंस कर या लकड़ी की तिपाहियों में उलझ कर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौसम संबंधी कई परेशानियों के चलते आने वाले 05 दिनों तक मित्र राष्ट्रों के हाथ कोई बड़ी सफलता नहीं लगी। लेकिन आने वाले महीनों में धीरे-धीरे मित्र राष्ट्रों की फ्रांस में पहुँच विस्तारित हुई। अगर आधिकारिक आकड़ों को माना जाए तो जर्मनी की ओर से 9000 तथा मित्र राष्ट्रों की ओर से 10000 से अधिक सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की रिपोर्ट है जिसमें से 4414 सैनिकों की मृत्यु की पुष्टि की गई। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि डी डे की सफलता के पश्चात मित्र राष्ट्रों के अधिकार क्षेत्र में आए फ्रांस के नॉरमैंडी बीच के माध्यम से 8 लाख 75 हज़ार से अधिक सैनिकों ने जर्मनी पर कूच कर दी।

यहाँ विषयांतर के साथ दो छोटी सी रोचक जानकारियाँ जोड़ना चाहूँगा। उस समय जर्मन सेनाओं की शक्ति को किसी भी तरह से हलके में नहीं लिया जा सकता था और ये बात डी-डे की योजना को क्रियान्वित करने वाले ड्वाइट डी आइजनहावर से बेहतर और कौन समझ सकता था। समभवतः यही कारण था कि 05 जून 1944 को हमले के लिए निकलने से पहले ड्वाइट डी आइजनहावर ने अपने हाथों से एक छोटा सा नोट लिखा और उसे सावधानी के साथ मोड कर अपनी पर्स में रख लिया। दरअसल इस नोट में वह छोटी से प्रतिक्रिया थी जो ड्वाइट डी आइजनहावर के द्वारा डी-डे के असफल हो जाने की स्थित में सार्वजनिक की जानी थी। डी-डे की सफलता के चलते ये वाकया 25 साल लंबे अंतराल में उस वक्त तक गुमनाम रहा जब तक कि 1969 में व्हाइट हाउस में भाषण लिखा गया जोकि अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के द्वारा अपोलो 11 (पहली सफल मून लैंडिंग) मिशन के नाकाम हो जाने और नील आर्मस्ट्रांग और उनकी टीम के चाँद पर फंसे रह जाने की स्थिति में दिया जाना था, जिसके बारे में हम फिर कभी किसी अन्य अंक में चर्चा करेंगे।

ड्वाइट डी आइजनहावर एक अनुभवी सेना नायक थे और स्थिति की गंभीरता को समझते थे। उनका अनुभव कह रहा था कि डी-डे का पासा पलट भी सकता है, जोकि एक भयानक त्रासदी के रूप में फलित होता। एक संभावना यह भी थी की जर्मन सेनाएँ मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को वापस समुद्र की ओर धकेल सकती थीं। आखिरकार मित्र राष्ट्रों की सेनाएँ 58 जर्मन डिवीजन के खिलाफ शुरुआती रूप से समुद्र मार्ग से केवल 05 डिवीजन और हवाई मार्ग से केवल 03 डिवीजन पर ही हमला कर सकती थीं। जिस नोट की हमने शुरूआत में बात की थी वो नोट कुछ इस तरह था, **"चेरबर्ग हार्बर में लैंडिंग नाकाम रही, हमारी सेना अपने कदम नहीं जमा सकीं और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस समय, इस बीच पर हमला करने का मेरा निर्णय उपलब्ध श्रेष्ठतम जानकारी पर आधारित था। पैदल सेना, जल सेना और वायु सेना ने हर उस संभव तरह से पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, जिससे किया जा सकता था। अगर यहाँ किसी को दोषी ठहराया जा सकता है तो वो केवल मैं हूँ।"** उस समय ड्वाइट डी आइजनहावर के मन में चल रही उथल-पुथल और इतने बड़े नैतिक बोझ को इसी बात से समझा जा सकता है कि वो इस नोट अंत में तारीख 05 जून 1944 की जगह 05 जुलाई 1944 लिख देते हैं।

यहाँ तक तो बात हुई मित्र राष्ट्रों की, अब हम अपना रुख करते हैं दूसरी घटना और जर्मन कमानदार इरविन रोमेल की ओर। इरविन रोमेल प्रथम विश्वयुद्ध में फील्ड मार्शल के पद पर रहते हुए प्रचुर अनुभव समेटे एक सम्मानित जर्मन सेना नायक थे। इरविन रोमेल के हमला करने के तरीके इतने अनूठे और चौकाने वाले होते थे कि उनसे बचना लगभग नामुमकिन होता था। अपने इसी हुनर के चलते उत्तरी अफ्रीका के अभियान के दौरान लगातार हासिल की गई जीतों के चलते इरविन रोमेल ने हिटलर का ध्यान अपनी ओर खींचा। न केवल हिटलर बाकी विरोधी देश भी इरविन रोमेल की सामरिक

सूझबूझ का बड़े प्रशंसक थे। संभवतः यही कारण है कि इरविन रोमेल को इतिहास "डेजर्ट फॉक्स" के नाम से भी जानता है। इरविन रोमेल की सूझबूझ को इस बात से भी समझा जा सकता है कि उसकी सूक्तियाँ आज भी पठनीय तथा प्रासंगिक हैं। संभवतः यह भी एक कारण था कि हिटलर फ्रांस के तट की कमान इरविन रोमेल के हाथों में सौंप कर निश्चिंत था।

जैसा कि हमें आपको पहले ही बताया कि डी-डे के समय मौसम, बेहद खराब था और सैन्य बेड़ा समुद्र में उतारना तो दूर की बात है, सामान्य परिवहन के लिए भी समुद्र बेहद खतरनाक था। इन्हीं सब बातों का अनुमान लागते हुए इरविन रोमेल बहुत ज्यादा आश्वस्त थे कि आने वाले कुछ एक दिनों में समुद्री मार्ग से हमला किया जाना नामुमकिन है। हिटलर के सख़्त निर्देशों के बावजूद भी मौके की नज़ाकत देखते हुए इरविन रोमेल अपनी पत्नी का 50वां जन्मदिन मनाने और उसे अपने हाथों तोहफ़े में जूते की एक खूबसूरत जोड़ी उपहार में देने के लिए फ्रांस का तट छोड़ कर जर्मनी के बर्लिन शहर पहुँच गए और सेना से उनका संपर्क कट गया। जब देर रात मित्र राष्ट्रों के हवाई दस्ते के हमले की खबर जर्मनी पहुंची, उस वक़्त तक हिटलर सो चुका था और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो उसे नींद से जगा कर हमले की खबर देता। इरविन रोमेल का संपर्क पहले से ही सेना से कट चुका था। जब हिटलर सुबह 10 बजे सो कर उठा तब-तक रीइन्फोर्समेंट के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि हिटलर को विश्वास था कि उसकी सेना आसानी से मित्र राष्ट्रों को हरा देगी, मगर मित्र राष्ट्रों द्वारा नॉरमैंडी में की गई लैंडिंग हिटलर के साम्राज्य के ताबूत की आखरी कील साबित हुई।

वर्ष 1944 समाप्त होने से पूर्व ही सम्पूर्ण सोवियत संघ ने पलटवार करते हुए धुरी सेनाओं को अपनी सीमाओं से बाहरा खदेड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ़ जनरल दि गाल के सैनिक अन्य मित्र राष्ट्रों के सैनिकों के साथ फ्रांस को आज़ाद करा कर 11 सितंबर 1944 को जर्मनी की सीमाओं में प्रवेश कर गए। अपनी विस्तार वादी नीतियों के चलते हिटलर द्वारा अपनी पूरी सेना को सुदूरवर्ती इलाकों में भेजने के अब अपनी खुद की सीमाओं की रक्षा के लिए न तो पर्याप्त साधन ही बचे थे और न ही पर्याप्त लड़ाके। इन सब के बावजूद भी मित्र राष्ट्रों को फ्रांस को आज़ाद करवाने में 97 दिनों का समय लगा। जर्मनी को चारों ओर से मित्र राष्ट्रों की सेनाओं से घिरा देख कर हिटलर ने बौखलाहट में जर्मन वायु सेना को अपनी सीमाओं की रक्षा करने के बजाय लंदन पर बमबारी अभियान चलाने का आदेश जारी कर दिया जो 1945 के आरंभ तक जारी रहा। जर्मनी के विरुद्ध अंतिम अभियान का निर्णय फरवरी 1945 के याल्टा सम्मेलन में किया गया। ब्रिटिश, अमेरिकी, फ्रांसीसी तथा कनेडियन सेनाओं ने एक साथ जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। अपने सभी विजित भूभागों को हाथ से निकलता देख कर हिटलर कहीं भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा था। अन्ततः उसने 1944 के अंत से ही अपने मुख्यालय को एक भूमिगत बंकर में विस्थापित कर लिया था। फरवरी 1945 आते-आते जर्मनी का आसमान मित्र राष्ट्रों के हवाई दस्तों से भर गया जो बिना किसी रोक-टोक के जर्मनी की औद्योगिक राजधानी सहित सभी प्रमुख शहरों पर बमबारी करते रहे।

बर्लिन में मित्र राष्ट्रों के प्रवेश के साथ ही हिटलर की आखरी उम्मीद भी टूट गई। अब, क्योंकि हिटलर अपना अंत मुसोलिनी की तरह नहीं चाहता था, इस लिए उसने 30 अप्रैल 1945 को अपने ही भूमिगत बंकर में खुद गोली मार कर आत्महत्या कर ली और एक काले युग का अवसान हुआ। हिटलर के आत्महत्या करने के तुरंत बाद ही उसी बंकर में हिटलर के सबसे शुरुआती और कट्टर अनुयायी, उसके प्रोपगंडा मिनिस्टर जोसेफ़ गैबेल ने भी अपनी पत्नी और दोनों बेटियों सहित आत्महत्या कर ली। ये वो दौर जब पकड़े जाने और अमानवीय घटनाओं में हिटलर का साथ देने के जुर्म में मुकदमों का सामना करने के डर के चलते जर्मनी में आत्महत्याओं की एक लहर सी चल पड़ी। अगर बात केवल-बर्लिन शहर की जाए तो, ऐसा माना जाता है कि केवल मई 1945 में 1000 से अधिक तथा आने वाले दिनों में चलाए गए मुकदमों के डर 7000 से अधिक लोगों ने आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी ओर हिटलर की मौत के बाद 5 मई 1945 को उत्तर पूर्वी जर्मनी, नीदरलैंड और डेनमार्क में जर्मन कमानदारों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंततः जर्मनी की नवगठित डेन्नित्स सरकार ने 7 मई 1944 को समस्त थल सेना, नौसेना और वायु सेना ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया और 8 मई 1945 को यूरोप में आधिकारिक रूप से युद्ध समाप्त हो गया।

दिनांक 27 अक्तूबर 2021 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता । का निरीक्षण

इस अवसर पर समिति के सदस्यों के साथ मौजूद हैं- **श्री सुरेश कुलकर्णी** , उप महा प्रबंधक (राजभाषा) , **श्री जगदीश चंद्र** , सहायक महा प्रबंधक (राजभाषा) एवं क्षेत्रीय कार्यालय , कोलकाता । के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक **श्री अनिल कुमार**

नराकास से प्राप्त पुरस्कार

क्षे.का. अहमदाबाद – प्रथम पुरस्कार

क्षे.का. वाराणसी – प्रथम पुरस्कार

क्षे.का. दिल्ली – प्रोत्साहन पुरस्कार

ग्वालियर शाखा - द्वितीय पुरस्कार

नराकास , वाराणसी से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक , क्षेत्रीय कार्यालय , वाराणसी की ई-पत्रिका "काशी प्रभात" को प्रथम पुरस्कार

सरोगेसी- क्या कहता है नया कानून

फणीश मणि त्रिपाठी, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची

एक इंटरव्यू में जब फिल्म निर्माता- निर्देशक करण जौहर से पूछा गया कि आप अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे कि आपने उन्हें इस दुनिया में लाने के लिए सरोगेसी का रास्ता चुना? इस पर उनका जवाब था कि "बच्चों को ये समझाना कि मैं सिंगल फादर हूँ और मुझे सरोगेसी का विकल्प अपनाना पड़ा बेहद मुश्किल होगा लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उन्हें इतना प्यार दूंगा कि उन्हें कोई कमी नहीं खलेगी।" करण जौहर ने शादी नहीं की है। वे सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों, एक बेटे और एक बेटी, के पिता बने हैं। बॉलीवुड की दुनिया में सरोगेसी कोई नई बात नहीं है। कई फिल्मी सितारों ने सरोगेसी के जरिए खुद के माँ या पिता बनने की ख़्वाहिश को पूरा किया है। इस लिस्ट में कुछ नाम हैं आमिर खान, शाहरूख खान, प्रीति जिन्टा, तुषार कपूर, एकता कपूर, शिल्पा शेट्टी। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की है और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने शादी-शुदा होते हुए भी किन्हीं कारणों से सरोगेसी को अपनाया।

सरोगेट माँ बनने की शर्तें

हम आज इसलिए सरोगेसी की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भारत में सरोगेसी (विनियमन) कानून 2019 और सहायक प्रजनन तकनीक (विनिमयन) विधेयक 2020 राज्यसभा से पास हो गया है। हालांकि दोनों कानून एक दूसरे के पूरक हैं लेकिन सरोगेसी कानून को अलग से इसलिए पास कराया गया है ताकि महिला के प्रजनन अधिकारों की रक्षा की जा सके। नए सरोगेसी कानून के अंतर्गत कमर्शियल सरोगेसी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

सरोगेट माँ बनने की योग्यता

सरोगेट मदर बनने के लिए शादीशुदा होना ज़रूरी है। उम्र कम से कम 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसका अपना बच्चा भी होना चाहिए। सरोगेसी की इच्छा रखने वाले दंपत्ति की वो नज़दीकी रिश्तेदार होनी चाहिए। कोई भी औरत अब एक ही बार सरोगेट माँ बन सकती है। उसे सरोगेट माँ बनने के लिए लिखित रूप में अपनी सहमति देनी होगी।

अब बात आती है कि सरोगेसी के ज़रिए माता-पिता बनने का अधिकार किसके पास होगा? सिर्फ भारतीय विवाहित दंपत्ति, जो कम से कम पांच वर्षों से वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हों और जो मेडिकल कारणों से माता-पिता बनने का सुख नहीं ले सकते, वे ही सरोगेसी का रास्ता अपना सकते हैं। ऐसे दंपत्ति को सरोगेसी बोर्ड में आवेदन करना होगा। उन्हें ये बताना होगा, मेडिकल रिपोर्ट देनी होगी कि वे किस वजह से बाँझपन के शिकार हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जब सरोगेसी बोर्ड को ये लगेगा कि दंपत्ति के पास सरोगेसी के अलावा कोई चारा नहीं है तो वे इसकी मंजूरी देंगे।

नए सरोगेसी कानून से भारत में कमर्शियल सरोगेसी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। विदेशी दम्पतियों के लिए सरोगेसी के दरवाज़े भारत में बंद हो चुके हैं। सरोगेसी की प्रक्रिया विदेशों के मुकाबले कई गुना सस्ती होने की वजह से और कोई पुख्ता कानून नहीं होने के वजह से भारत विदेशियों के लिए सरोगेसी का एक बड़ा बाज़ार बन चुका था। ये बाज़ार अनुमानित रूप से करीब 40 से 60 लाख डॉलर का था। भारत में सरोगेसी के जरिए माता-पिता बनने के लिए 10 से 20 लाख रुपए खर्च पड़ते है, जो विदेशों की अपेक्षा काफी सस्ता है। यही वजह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे विकसित देशों से विदेशी दंपत्ति अपनी अधूरी ख़्वाहिशों को पूरा करने के लिए भारत का रुख़ करते थे। सरोगेसी भारतीय पर्यटन को बढ़ा देने का एक बड़ा ज़रिया बन गया था। लेकिन नए कानून से सरोगेसी के कमर्शियल पहलू को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और अब सिर्फ मदद और परोपकार के लिए सरोगेसी की प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी।

सरोगेसी बोर्ड और उसके अधिकार

नए कानून के तहत सरोगेसी बोर्ड का गठन केंद्र और राज्य स्तर पर किया जाएगा। सरोगेसी बोर्ड की कमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के हाथों में होगी। इनके अलावा बोर्ड में 3 महिला सांसद होंगी। महिला विकास मंत्रालय, कानून और गृह मंत्रालय से भी सदस्य होंगे। सरोगेसी के लिए दंपत्ति को पहले सरोगेसी बोर्ड में अनुमति लेनी होगी। मंजूरी मिलने पर ही वे सरोगेट मदर के जरिए माता-पिता बनने की राह चुन सकेंगे। सरोगेसी कानून का उल्लंघन करने पर 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना अथवा दस साल की जेल हो सकती है।

सरोगेसी कानून से पहले की स्थिति

भारत में 2013 में एक जैसे सेक्स वाले विदेशी जोड़ों और एकल माता-पिता के लिए सरोगेसी पर रोक लगा दी गई। 2015 में कमर्शियल सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद 2016 में एक बिल लोकसभा में पेश किया गया जिसके तहत सिर्फ हिट्रोसेक्सुअल यानि विपरीत लिंग वाले, 5 साल से विवाहित दंपत्ति को ही सरोगेसी से माँ-पिता बनने का अधिकार होगा। हालांकि तब बिल पास नहीं हो पाया। फिर इसे 2019 में दोबारा लोकसभा में पेश किया गया और पारित कर दिया गया।

सरोगेसी कानून की आवश्यकता क्यों?

वर्ष 2008 में भारत में एक जापानी दंपत्ति के बच्चे का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ जिसका नाम मंजी यमादा था। हालांकि जन्म के तीन महीने तक बच्ची को भारत से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि उसके पैदा होने तक माँ-बाप अलग हो गए और अब बच्ची के पास न तो जापानी नागरिकता थी और न ही उसे भारतीय माना जा रहा था। मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जापान सरकार ने उस बच्ची के लिए एक साल का वीज़ा जारी किया और अंतत: वो बच्ची अपनी दादी के साथ जापान पहुंच पाई।

इसी तरह का एक मामला गुजरात में हुआ जहाँ कोर्ट ने माना कि उसे सरोगेट माँ और बच्चे के माता-पिता से भी अधिक चिंता उन नन्हें बच्चों एवं उनके अधिकारों की है, जो सरोगेसी से पैदा हो रहे हैं।

दरअसल अब तक भारत विदेशियों के लिए सरोगेसी के लिए बेहद सस्ता और आसान सा केंद्र बना हुआ था। सरोगेसी का पैकेज 10 से 28 हजार डॉलर के बीच हुआ करता था जिसमें क्लिनिक, सरोगेट माँ का खर्च और हवाई टिकट शामिल है। ये खर्च ब्रिटेन से एक तिहाई और अमेरिका से 1/5 गुना कम है। एक अनुमान के अनुसार भारत में हर साल कम से कम पच्चीस हजार बच्चे सरोगेसी से पैदा हो रहे हैं और इनमें से आधे बच्चे विदेशियों के हैं। विकसित देशों में प्रजनन क्षमता कम होने की वजह से वहां के लोग भारत में सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा कर रहे हैं। भारत में भी अमीर वर्ग और सेलेब्रिटीज़ आदि सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा कर रहे थे। कोई इसलिए सरोगेसी अपना रहा था कि उसका रूप-रंग न खराब हो जाए, तो कोई शादी को चोंचला मानकर सिंगल फादर बनने की इच्छा रखता था। पर अब इन कारणों से सरोगेसी की इजाज़त नहीं होगी।

कानूनी दाव-पेंचों के अलावा सरोगेट मदर को कई बार भरपूर पोषण नहीं मिल पाता था जिसकी वजह से कुछ मामलों में सरोगेट माँ की मौत हो जाती थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सरोगेसी को कानूनी दायरे में बाँधना उचित समझा।

भारत में सरोगेसी का केंद्र गुजरात के आणंद को माना जाता है। जहाँ औरत को 1-4 लाख रुपए सरोगेट मदर बनने के लिए मिलते हैं। 7 से 8 हजार क्लिनिक हैं जो सरोगेसी या प्रजनन तकनीक के जरिए बच्चे पैदा कराते हैं। इनमें से अधिकतर क्लिनिक गैर-कानूनी रूप से संचालित किए जा रहे हैं। भारत में गरीबी इस कदर है कि औरतें अपने परिवार और पति की सहमति से या दबाव में भी सरोगेट मदर बनने को तैयार हो जाती हैं। उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं जिससे परिवार भी खुश हो जाता है। गुजरात और राजस्थान में पति से अलग हुई गरीब औरतों के लिए ये सरोगेसी आजीविका का बड़ा सहारा है। आणंद जहाँ सहकारी दुग्ध के बड़े ब्रैंड अमूल का जन्म हुआ आज वो किराए की कोख का केंद्र बन चुका है। करीब 3000 लोगों का रोजगार और उनकी रोज़ी-रोटी सरोगेसी उद्योग पर टिकी है। पर नए सरोगेसी कानून के बाद अब इस उद्योग पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं।

कुछ अनुत्तरित प्रश्न

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरोगेसी को लेकर अलग-अलग मत और राय हैं। कुछ विकसित देशों में कमर्शियल और परोपकारी दोनों सरोगेसी की इजाज़त है। कहीं ये पूरी तरह से बैन है तो कहीं सिर्फ भारत की तरह ही परहितकारी सरोगेसी की इजाज़त है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ कोई औपचारिक कानून नहीं है। पर हकीकत ये है कि गैर कानूनी रूप से सरोगेसी ऐसे देशों में भी हो रही है। ऐसे में हमारे सामने भी कई सुलगते सवाल हैं। नया कानून आने के बाद क्या सरोगेसी के लिए धड़ल्ले से चल रहे अवैध क्लीनिक्स बंद हो जाएंगे? जब ये कानून अमल में आने की प्रक्रिया में है तब ऐसे सैकड़ों सरोगेट बच्चे जो किराए की कोख में पल रहे हैं, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा ? क्या सरोगेसी को अपनी आजीविका मान कर जी रही महिलाएं अब अपना ये काम बंद कर देंगी? क्या सरोगेसी के जरिए माँ बनने का सपना साकार करने वाली महिला यदि कामकाजी है तो क्या उसे मेटरनिटी या पोस्ट मेटरनिटी फायदे मिलेंगे? क्या सरोगेसी बोर्ड के सामने बाँझ पुरुष अपनी मेडिकल रिपोर्ट जाहिर होने देने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि पुरुष अपनी कमी कभी अकेले में स्वीकार नहीं करते तो सार्वजनिक रूप से कैसे स्वीकारेंगे? आज दुनिया समलैंगिक अधिकारों की बात कर रही है। भारत में भी समलैंगिकता को कानूनी मान्यता और पहचान दी गई है। तो क्या समलैंगिक दंपत्तियों को सरोगेसी के जरिए संतान सुख का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या सरोगेसी के लिए महिलाओं पर हो रहा शोषण या उनके अधिकारों का हनन नए कानून के आने से रुक जाएगा ? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना ज़रूरी है।

किन्हें होगी सरोगेसी की इजाज़त

- भारतीय विवाहित दंपत्ति जो 5 साल से शादी शुदा हैं।
- पति की उम्र 26 से 55 साल के बीच होनी चाहिए
- पत्नी की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- दंपत्ति को प्रमाण-पत्र देना होगा कि पति या पत्नी बांझपन के शिकार हैं
- शपथ पत्र देना होगा कि सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को छोड़े या त्यागेंगे नहीं

कौन बन सकती है सरोगेट माँ

- औरत उस दंपत्ति के नजदीकी रिश्ते में होनी चाहिए
- औरत शादी-शुदा होनी चाहिए
- उनका अपना एक बच्चा भी होना चाहिए
- आयु 25-35 साल के बीच होनी चाहिए

- पहले कभी सरोगेट माँ नहीं होनी चाहिए
- सरोगेसी की प्रक्रिया के लिए लिखित हामी देनी होगी
- सरोगेट माँ को प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद तक का बीमा कवर होना चाहिए
- भारत में सभी सरोगेसी क्लीनिक्स को अनिवार्य रूप से सरोगेसी बोर्ड में पंजीकृत कराना पड़ेगा
- बच्चे के लिंग की जाँच नहीं होगी

सरोगेसी बोर्ड का गठन

- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाएगा
- सरोगेसी बोर्ड की अगुवाई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री करेंगे
- इनके अलावा 3 महिला सांसद एवं महिला विकास, कानून और गृह मंत्रालय से भी सदस्य होंगे
- दंपत्ति को पहले सरोगेसी बोर्ड से अनुमति लेनी होगी
- सिर्फ बिना पैसे लिए, भलाई के लिए सरोगेसी की अनुमति होगी
- व्यवसाय के तौर पर सरोगेसी की इजाज़त नहीं होगी

सरोगेसी कानून में सजा का प्रावधान

- कमर्शियल सरोगेसी करवाना या उसके बारे में विज्ञापन देना अथवा प्रचार करना अपराध होगा-10 साल की जेल या 10 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है।
- सरोगेसी से हुए बच्चे को छोड़ने, शोषण करने पर 10 साल की सजा या रु10 लाख जुर्माना
- सरोगेट माँ का शोषण करने वाले को भी 10 साल की सजा या 10 लाख रुपए जुर्माना
- पहली बार कानून तोड़ने पर 5-10 लाख रुपए जुर्माना
- दूसरी बार जुर्म करने पर 10-20 लाख रुपए जुर्माना या 8 साल की जेल

अंतरराष्ट्रीय स्थिति

- कनाडा, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, डेनमार्क में परहित सरोगेसी की इजाज़त
- फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल जैसे देशों में सरोगेसी पूरी तरह प्रतिबंधित
- अमेरिका, जॉर्जिया, कज़ाख़िस्तान, रूस, यूक्रेन में कमर्शियल व परोपकारी दोनों सरोगेसी
- केन्या, मलेशिया में कोई औपचारिक कानून नहीं

कोलाहल

शब्दों का कोलाहल है, बातों की कमी है।
जिंदगी के एक ऐसे ही मोड़ पर नायिका खड़ी है।
दूर से सब अच्छा है, पर मन में दरारें पड़ी है।
दुनिया बदल गई दो सालों में,
पर नायिका वहीं की वहीं खड़ी है।
मुंह पर मास्क और पर्स में सैनिटाइजर है ।
और दुनिया से छुपा हुआ मन का झंझावत है।
एक नए कल की आस में, वर्तमान से
आजमाइश है।
हर दिन एक नई चुनौती और नया उत्साह है।
रोज सुबह कुछ कर गुजरने का अरमान है।
पर जिम्मेदारियां बड़ी है और कदम छोटे
नायिका एक पड़ाव पर खड़ी होकर ये सोचे
किधर जाऊं पता नहीं, कहां जाऊं पता नहीं
जीवन में एक तिनके की दरकार है।
पर इस डूबती हुई नायिका के लिए तिनका
भी दरकिनार है।
सब के बीच में खड़ी, सबके लिए लड़ी है।
आज अपने ही जीवन का अर्थ खोजने को
करार हुई है।
बस हर तरफ बस शब्दों का कोलाहल है।

प्रियंका सारस्वत,
वरिष्ठ प्रबन्धक,
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

शब्द शब्दांतर

शब्द	उच्चारण	उद्भव	अर्थ
Annulment	uh-nuhl-muhnt	लैटिन	विलोपन
Ravage	ra-vuhj	फ्रेंच	विध्वंस
Congruence	kawng-groo-uhns	लैटिन	अनुरूपता
Scathing	skaydh-uhng	प्राचीन अंग्रेज़ी	तीखा
Unsung	uhn-suhng	जर्मन	विस्मृत
Somber	Som-buh	लैटिन	निराशाजनक
Deleterious	deh-luh-teeuh-ree-uhs	ग्रीक	हानिकारक
Brazen	bray-zn	प्राचीन अंग्रेज़ी	निर्लज
Ridicule	ri-duh-kyool	लैटिन	उपहास
Exquisite	ek-skvuh-zuht	लैटिन	उत्कृष्ट
Tranquillize	Tran- kwuh - lyz	लैटिन	तसल्ली देना/ शांत करना
Feasible	fee-zuh-bl	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	व्यवहार्य
Improbable	im-praw-buh-bl	लैटिन	असंभव
Wrecked	rekt	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	बर्बाद
Decennial	duh-seh-nee-uhl	लैटिन	दसवर्षीय
Untenable	uhn-teh-nuh-bl	प्राचीन फ्रेंच	अस्थिर, असमर्थनीय
Unprecedented	uhn-preh-suh-duhn-tuhd	प्राचीन अंग्रेज़ी	अभूतपूर्व/ बेमिसाल
Disengage	dis-uhn-gayj	फ्रेंच	छुड़ाना/अलग करना
Ameliorate	uh-mee-lee-uh-rayt	फ्रेंच	सुधारना
Entrenched	uhn-trencht	प्राचीन फ्रेंच	आरोपित हुआ

संकलनकर्ता
नेहा रंजन
सहायक प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

बैंकों में धोखाधड़ी रोकने में विजिल ब्लोअर की भूमिका

स्वाति, सहायक प्रबंधक, बेंगलुरु क्षेत्र

विजिल ब्लोअर का अर्थ है "अवैध या अनैतिक कार्य में लिप्त व्यक्ति के विषय में जानकारी देनेवाला व्यक्ति अथवा सूचक। वह व्यक्ति जो किसी भी अनैतिक या अवैध कार्यप्रणाली या उद्देश्यों की पहचान ही नहीं करता, बल्कि उसे उजागर भी करता है। जैसे घोटाला, धोखाधड़ी आय-रिसाव और ऐसी गतिविधियां जिसे किसी संगठन के अंदर अवैध या अनैतिक माना जाता है।

पृष्ठभूमि: केंद्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकहित प्रकटन तथा सूचना प्रदाता संरक्षण संकल्प (पीआईडी व पीआईआर) की तर्ज पर अप्रैल 2006 में बैंक द्वारा भी विजिल ब्लोअर नीति का शुभारंभ किया गया, कई बार समीक्षा व अपेक्षित परिवर्तनों के बाद इस नीति को विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से परिचालित किया गया है।

- बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों :सूचीबद्ध संस्था एवं शेयर बाजार के बीच सूचीयन संबंधी करार के खंड 49 के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिनांक 17.04.2014 के दिशानिर्देशों एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 35 (क) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी यथास्थिति दिनांक 01.07.2016 के दिशानिर्देशों आदि जो विनिर्दिष्ट तौर पर किसी संगठन के कर्मचारियों के लिए उस संगठन के प्राधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय में कोई अनुचित व्यवहार के आरोपों की रिपोर्ट करने हेतु विजिल ब्लोअर तंत्र की व्यवस्था प्रदान करते हैं, द्वारा अधिशासित होते हैं।
- बैंक सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन के रूप में, व्यवसायिकता , सत्यनिष्ठा, नैतिकता, व्यवहार, ईमानदारी के उच्चतम मानकों को अपनाकर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपने मामलों को संचालित करने में विश्वास रखता है। बैंक ऐसी संस्कृति विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां पर यह उन सभी के लिए सुरक्षित वातावरण हो, जो किसी भी स्तर पर किसी भी अस्वीकार या अनैतिक प्रथा को या कदाचार के बारे में आशंका का संदेश देते हैं।
- यदि शिकायतकर्ता बैंक के किसी भी विभाग/ शाखा/ कार्यालय में कोई भी अनैतिक व्यवहार देखता है तो वह इस नीति के तहत शिकायत कर सकता है जिसे बैंक की विजिल ब्लोअर नीति के तौर पर जाना जाएगा।
- सेबी तथा कंपनी अधिनियम के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत विजिल ब्लोअर शिकायतें , लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को भी की जा सकेंगी। कंपनी अधिनियम 2013 एवं दिनांक 2016 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों में निहित

प्रावधानों के अनुसार, मुख्य सतर्कता अधिकारी विजिल ब्लोअर से सीधे शिकायत प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत नहीं है।

उद्देश्य: इस नीति का उद्देश्य कामकाज के दौरान व्यवसायिक मानकों का उच्चतम स्तर सुनिश्चित करना और बैंकिंग अधिनियम तथा प्रशासन की एक स्थायी और मजबूत संस्कृति का निर्माण करना है। इस नीति के माध्यम से एक ऐसे तंत्र की स्थापना की गई है जिसके द्वारा कर्मचारी को उनके संस्था या कार्यालय या शाखा में हो रहे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या बैंक की आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी शीर्ष प्रबंधन तक पहुंचा सकें।

इस नीति के संदर्भ में कर्मचारी बिना किसी प्रतिशोधात्मक डर और असुरक्षा की भावना के साथ अपनी आवाज उठा सकते हैं। यह नीति सूचना देने वाले व्यक्ति को आवश्यक सुरक्षा भी प्रदान कराती है।

जनहित प्रस्तुतीकरण व प्रकटीकरण:

- शिकायतकर्ता बैंक के किसी भी विभाग में अथवा शाखा में हो रहे किसी भी गलत आचरण अथवा संदेहास्पद गतिविधि को इस नीति के तहत प्रकटीकरण कर सकता है।
- विजिल ब्लोअर नीति के प्रावधानों के अनुसार किए गए प्रत्येक प्रस्तुतीकरण को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जनहित या सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण माना जाएगा।

- प्रकटीकरण में सत्यता होगी तथा इसे सदभावपूर्वक प्रस्तुत किया जाएगा। घोषणाकर्ता व्यक्ति व्यक्तिगत घोषणा करेगा कि वह पूरी तरह से मानता है कि उसके द्वारा मांगी गई जानकारी और उसमें निहित आरोप वास्तव में सत्य है।
- विजिल ब्लोअर यह सुनिश्चित करेगा कि उसने इस विषय पर किसी बाहरी एजेंसी या बैंक के उच्चाधिकारियों से कोई शिकायत नहीं की है।
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रकटीकरण मे इस नीति के अनुच्छेद 11 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप में लिखित रूप से किए जाएंगे, जिसमें प्रकटीकरण पूर्ण विस्तृत विवरण होगा तथा प्रकटीकरण के साथ ही साथ सहायक दस्तावेज या अन्य साक्ष्य, यदि हो तो प्रस्तुत किए जाएंगे।
- यदि सक्षम पदाधिकारी प्रकटीकरण यदि उचित समझे तो प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति से उस विषय पर अधिक जानकारी या साक्ष्य मांग सकता है।
- यदि प्रकटीकरण शिकायतकर्ता की पहचान को इंगित नहीं करता है तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा सार्वजनिक हित प्रकटीकरण पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- शिकायतकर्ता यदि अपनी पहचान को गलत बताता है तो उसके द्वारा किया गया प्रकटीकरण सत्य नहीं माना जाएगा और उसके द्वारा प्रस्तुत प्रकटीकरण पर कोई सुनवाई नहीं होगी।

कार्य प्रणाली तथा कार्य क्षेत्र:

- वित्तीय कदाचार, अनैतिक व्यवहारों का संचालन, बैंकिंग अधिनियम के विरुद्ध की जाने वाली घटनाओं को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- यह नीति उन सभी हितधारकों की सहायता करना चाहती है जो बैंक के भीतर होने वाले किसी भी गलत कार्य जैसे कि अनुचित आचरण,अनैतिक व्यवसायिक आचार, किसी भी कानूनी या विनियामक प्रावधानों के उल्लंघन, वित्तीय कुप्रबंधन, लेखा अनियमितताओं आदि की रिपोर्ट करने हेतु प्रयत्नशील है।
- अनैतिक तथा अनुचित व्यवसायिक कदाचार की तथा बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों की सही-सही अनुमानित सूची की गणना करना संभव नहीं है, परंतु इस नीति के तहत निम्नांकित कार्यों की सूचना दी जा सकती है-

i) कानूनी/ विनियामक प्रावधानों का पालन नहीं करना

ii) धोखाधड़ी, वित्तीय चोरी, आय- रिसाव होने या इसके होने की संभावना

iii) केवाईसी नीति का उल्लंघन जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या पैदा होगी

iv) ग्राहकों के भरोसे का उल्लंघन

v) अनाधिकृत तरीके से उपयोग की गई बैंक निधियां

vi) खाते में धोखाधड़ी करना,

vii) वित्तीय सहायता तथा ऋण देने के लिए उपहार या कमीशन लेना

viii) बैंक के ग्राहकों के पैसे का अनुचित उपयोग

ix) स्टाफ सदस्य का मानसिक या शारीरिक शोषण

x) अनुचित कार्रवाई या आचरण या कोई अन्य प्रकार

xi) उपरोक्त किसी भी जानकारी को जानते हुए भी जानबूझ कर छिपाना या उसे छिपाने का प्रयास करना

- बैंक का कोई भी कर्मचारी, महाप्रबंधक स्तर तक के अधिकारी के विरुद्ध विजिल ब्लोअर नीति के तहत प्रकटीकरण या प्रस्तुतीकरण कर सकता है। किसी भी निदेशक, कार्यपालक निदेशक, प्रबंध निदेशक के विरुद्ध प्रकटीकरण के संबंध में, इसे भारत सरकार के सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता संरक्षण विनियमों के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग या सचिव डीएफएस जैसे नामित प्राधिकारी के समक्ष दर्ज किया जा सकता है।
- विजिल ब्लोअर की भूमिका विश्वसनीय जानकारी के साथ एक रिपोर्टिंग पार्टी की है।
- विजिल ब्लोअर को अपने स्तर पर किसी भी जांच करने या किसी भी जांच पड़ताल के संचालन का अधिकार नहीं है।
- विजिल ब्लोअर जांच के साथ जुड़ा हो सकता है। यदि ऐसा है, तो मामले में उसे भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
- अन्वेषक के रूप में कार्य न करने के साथ ही साथ उसे यह भी निर्धारित करने का अधिकार नहीं है कि किसी मामले में उचित सुधारात्मक या उपचारात्मक कार्रवाई की जाए।
- संरक्षित प्रकटीकरण उचित रूप से सक्षम पदाधिकारी द्वारा निपटाया जाएगा।
- विजिल ब्लोअर संरक्षित प्रकटीकरण की रिपोर्ट लेखा परीक्षा एवं आचार समिति द्वारा नामित किसी अन्य सदस्य को करेगा। हालांकि उचित या असाधारण मामलों में वह इस मामले की रिपोर्ट लेखा परीक्षा एवं आचार समिति के अध्यक्ष को कर सकता है।

सुरक्षा और संरक्षण:

विजिल ब्लोअर नीति के तहत प्रश्न उठाने वाले को किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं होगा। बैंक सही प्रश्न उठाने वाले किसी भी कर्मचारी

के ऊपर होने वाले प्रतिशोधात्मक व्यवहार उत्पीड़न या हिंसा को सहन नहीं करेगा । विजिल ब्लोअर को स्थानांतरण, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाई, भेदभाव, उत्पीड़न के किसी भी प्रकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार या निलंबन/ प्रतिशोध की धमकी किसी भी अनुचित व्यवहार के विरुद्ध पूरी सुरक्षा दी जाएगी। उसे अपने कार्यों में होने वाली किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कठिनाइयों को कम करने का कदम कंपनी उठाएगी। विजिल ब्लोअर को पूरा संरक्षण उपलब्ध है बशर्ते कि-

i संचार / प्रकटीकरण सद्भावपूर्वक किया गया हो।

ii) वह यथोचित रूप से स्वीकृत करता हो कि उसके द्वारा दी गई जानकारी तथा उसमें निहित आरोप वास्तव में सही है।

iii) वह व्यक्तिगत लाभ के लिए यह कार्य नहीं कर रहा है । बैंक उसकी सहमति के बिना पहचान का प्रकटीकरण नहीं करेगा। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जहाँ बैंक पहचान प्रकट किए बिना समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं है (क्योंकि कोर्ट में उसकी गवाही की आवश्यकता है) तो बैंक उसके साथ उस मामले पर चर्चा करेगा जिसमें बैंक कार्रवाई करना चाहती है और सांविधिक आवश्यकताओं की सीमा के भीतर पहचान प्रकट करने पर उसकी वरीयता को पूरा करने का प्रयास करेगा। यदि विजिल ब्लोअर को अपनी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कमी आवश्यकता या नीति के अनुसार उल्लंघन प्रतीत होता है तो वह इसकी रिपोर्ट कर सकता है और पुन: सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी जांच कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कोई भी कर्मचारी जो विजिल ब्लोअर की सहायता कर रहा है, उसे भी संरक्षण दिया जाएगा ।

रिपोर्टिंग प्रक्रिया:

विजिल ब्लोअर नीति के प्रावधानों के तहत किए जाने वाले किसी भी प्रकटीकरण हेतु निम्नांकित बिंदुओं पर ध्यान देना अनिवार्य है-

i) संरक्षित प्रकटीकरण / शिकायत करने वाले कर्मचारी का विवरण ।

ii) लिफ़ाफे को अधिकारियों को संबोधित किया जाना चाहिए और उसके ऊपर 'विजिल ब्लोअर' नीति के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण लिखा जाना चाहिए । शिकायतकर्ता को अपना नाम और पता केवल विषय वस्तु की शुरुआत या अंत में देना चाहिए।

iii) यदि शिकायतकर्ता चाहता है कि उसके नाम का खुलासा नहीं किया जाए तो उसे शिकायत की विषय वस्तु को सावधानी से तैयार करना चाहिए ताकि प्रकटीकरण में उसकी पहचान का कोई विवरण या संकेत न प्रकटन हो । हालांकि शिकायत का विवरण विशिष्ट और सत्यापन योग्य होना चाहिए।

iv) यदि लिफ़ाफे के ऊपर कुछ न लिखा हो और वह बंद हो तो बैंक के लिए शिकायतकर्ता की पहचान करना संभव नहीं होगा । फिर भी, ऐसी शिकायतों को बैंक की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार ही सुलझाया जाएगा ।

v) संरक्षित प्रकटीकरण टाइप किया हुआ या हस्त लिखित सुपाठ्य अंग्रेजी अथवा हिंदी भाषा में होनी चाहिए । यह प्रकटीकरण क्षेत्रीय भाषा में भी हो सकता है । रिपोर्ट प्रासांगिक और तथ्यात्मक होनी चाहिए ।

vi) कोई भी अनुचित गतिविधि जो जांच या सरकारी कर्मचारियों को जाँच अधिनियम 1850 या 1952 के तहत जाँच आयोग के आदेश की विषय वस्तु है, इस नीति के दायरे में नहीं आएगा।

vii) किसी भी अनौपचारिक/सामाजिक समारोह / बैठक में इसकी चर्चा नहीं होगी । चर्चा केवल सीमित व्यक्तियों से की जाएगी। कागजात किसी भी समय पहुंच से बाहर न रहे।

रिपोर्टिंग और समीक्षा :

अन्वेषकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यदि सक्षम प्राधिकारी की राय है कि जांच में अनुचित गतिविधियों का खुलासा हुआ है जो दंडनीय है तो सक्षम प्राधिकारी संबंधित अधिकारी को लागू वैधानिक प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु निर्देश मुख्य सतर्कता अधिकारी को देंगे । अगर जांच में किसी अपराध की पुष्टि नहीं होती है तो रिपोर्ट को गोपनीय अनुभाग में फाइल कर दिया जाता है।

शिकायतकर्ता की पहचान को छिपाए रखने के लिए, बैंक कोई पावती जारी नहीं करेगा। यह नीति आम जनता के लिए नहीं बल्कि बैंक कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत विजिल ब्लोअर और शिकायतों की समीक्षा एफएमजी (धोखाधड़ी निगरानी समूह) द्वारा की जाती है। इस नीति के तहत अपने विरुद्ध शिकायत दर्ज़ कराने के लिए प्रतिशोध में किसी कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्रवाही की सिफारिश नहीं की जाएगी। परंतु उसे भी भविष्य में अपने किए गए किसी कदाचार, अनैतिक कार्य तथा धोखाधड़ी के लिए संरक्षित नहीं किया जाएगा।

किसी कर्मचारी द्वारा किए गए गलत आचरण, अनैतिक तथा अनुचित व्यवहार व धोखाधड़ी के गलत आरोप लगाने वाले कर्मचारी को भी संरक्षित नहीं किया जाएगा तथा उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस नीति के तहत नियुक्ति, स्थानांतरण आदि संबंधित मामलों पर सामान्य रूप से विचार नहीं किया जाएगा। विजिल ब्लोअर नीति की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है।

यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि बैंकों में हो रही धोखाधड़ी को रोकने में विजिल ब्लोअर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी नीति है जो कर्मचारियों को पूर्ण स्वतंत्रता तथा साथ ही उनकी सुरक्षा तथा गोपनीयता की रक्षा करते हुए बैंकों में होने वाले अनैतिक व धोखाधड़ी करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध आवाज उठाने को प्रेरित करती है। इसी नीति का मुख्य उद्देश्य बैंकों के किसी भी कार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार धोखाधड़ी या अपने अधिकारों का जानबूझकर दुरुपयोग करने के किसी भी आरोप से संबंधित संरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त करने हेतु एक प्रणाली स्थापित करना है तथा इस प्रकार के प्रकटीकरण के कारण की जांच करना एवं ऐसा संरक्षित प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई एवं उससे जुड़े और संबंधित आकस्मिक मामलों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करना है।

जाँच तथा जाँच कर्ताओं की भूमिका:

लेखा परीक्षा और आचार समिति प्रारंभिक समीक्षा के बाद संतुष्ट हो जाती है तो जांच शुरू की जाएगी।

i) शिकायतकर्ता की पहचान पुष्ट करते हुए संरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त होने पर यह पता लगाने के लिए कि गई प्रकटीकरण पर आगे की कार्रवाई की है या नहीं सक्षम पदाधिकारी द्वारा अधिकतम 45 दिनों की अवधि के भीतर सावधानीपूर्वक जाँच करेगा।

ii) यदि जांच करने के बाद यह राय होती है कि सक्षम प्राधिकारी मामले को बंद कर सकता है तो शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य या आरोप परेशान करने वाले हैं या कार्रवाई करने का पर्याप्त कारण नहीं है।

iii) धोखाधड़ी से संबंधित किसी भी शिकायत को आगे की कार्यवाही के लिए केंद्रीय सतर्कता समिति को सौंपा जाएगा।

iv) जाँच करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि धोखाधड़ी या अन्य अनैतिक कार्य जानबूझकर किए गए हैं तो सक्षम पदाधिकारी बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दोषी अधिकारी / अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई या प्रशासनिक कार्यवाही शुरू करने की अनुशंसा अधिकारी जो इसके लिए नियुक्त किए गए हैं,से करेगा। इसके साथ ही सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा भी की जा सकती है।

v) आरोप की गंभीरता, मामले के गुण-दोष के आधार पर मामले को बंद करने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई का निर्णय ले भी सकता है या नहीं भी ले सकता है।

vi) विजिल ब्लोअर की यह जिम्मेदारी होगी कि वह जांच में साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट ना करें और गवाहों को धमकी से प्रभावित न करें। सही कारण होने पर ही विजिल ब्लोअर को जांच के परिणाम से अवगत कराया जाएगा।

vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन निम्नांकित मामलों पर जांच नहीं की जाएगी।

अ) यदि किसी निर्दिष्ट मामले या प्रकटीकरण में उठाए गए मुद्दे का निर्धारण किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है, जो इस मामले को निर्धारित करने के लिए अधिकृत है, तो निर्दिष्ट मामले या प्रकटीकरण में उठाए गए मुद्दे पर विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी प्रकटीकरण पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक उस मुद्दे को फिर से खोलने की मांग न की जाए।

ब) यदि लोक सेवक अधिनियम के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक जांच का आदेश दिया जा चुका है या जांच आयोग अधिनियम के तहत जांच के लिए संदर्भित किया गया है।

स) यदि संरक्षित प्रकटीकरण उस तिथि से सात वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाता है।

विजिल ब्लोअर तथा अन्वेषकों की भूमिका:

विजिल ब्लोअर से प्राप्त तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करने का कार्य अन्वेषकों का है। अनुदेशकों के लिए यह जरूरी है कि वह तथ्य खोजने तथा विश्लेषण की दिशा में प्रक्रिया का संचालन करें। अन्वेषक सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त तथ्यों के आधार पर अपनी जांच को पूरा करेगा तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सभी जांचकर्ता अपनी भूमिका तथा कर्तव्य का संचालन निष्पक्ष रुप से करेंगे। वह अपनी जांच प्रक्रिया में नैतिक व्यवहार तथा अन्य पेशेवर मानकों का पूर्णत: पालन करेंगे। किसी भी अपराध की धारणा के बिना सत्य खोजा जाएगा तथा अपनी जांच के आधार पर एक निष्पक्ष लिखित रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कर्मचारी का नाम, अनुक्रमांक और जगह संलग्न की जानी चाहिए तथा इसे बंद लिफ़ाफे में डाल कर भेजा जाए। इस योजना के तहत गुमनाम शिकायतों / रिपोर्टों को शामिल नहीं किया जाएगा।

क्रिप्टो करेंसी : एक आभासी मुद्रा

पवन कुमार, लिपिक, लखनऊ क्षेत्र

क्रिप्टोकरेंसी का तात्पर्य एक विशेष प्रकार की डिजिटल करेंसी (आभासी मुद्रा) से है जिसमें विकेंद्रित डेटाबेस में लेन-देन से सम्बंधित सभी सूचनाओं को एनकोड करके सुरक्षित रखा जाता है। चूँकि इसमें विश्वासपात्र अन्य पार्टी (जैसे केंद्रीय बैंक , प्राधिकरण , आदि) का हस्तक्षेप नहीं होता है इसलिए लोगों के मन में इसकी वैधता को लेकर हमेशा भय बना रहता है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए लेन-देन के विवरणों को ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा सत्यापित किया जाता है। क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग वस्तुओं की खरीद या बिक्री तथा किसी भी भुगतान के लिए किया जा सकता है। भारत में आरबीआइ ने अप्रैल 2018 के आदेश से सभी क्रिप्टोकरेंसी के विनिमयन पर रोक लगा दी थी। किंतु सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस पर लगी रोक हटा दी गई और अब भारत सरकार द्वारा डिजिटल करेंसी विधेयक 2021 तैयार किया गया है जिसमें आरबीआइ द्वारा भारत में एक डिजिटल करेंसी लाने की बात की गई है । इस विधेयक के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी पर आरबीआइ का नियमन होगा जिससे आभासी मुद्रा वैध हो सकेगी और लोगों द्वारा निवेशित धन सुरक्षित रह सकेगा।

क्रिप्टोकरेंसी का इतिहास

ऐसा माना जाता है कि क्रिप्टोकरेंसी की शुरुआत वर्ष 2009 में सतोशी नाकामोतो द्वारा बिटकॉइन के रूप में की गई थी। परंतु ऐसा नहीं है इससे पहले भी कई निवेशकों ने या देशों ने डिजिटल मुद्रा पर काम किया था। यूएस ने 1996 में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बनाया था, ऐसा गोल्ड जिसे सिर्फ आभास किया जा सकता था, छुआ नहीं जा सकता था लेकिन इससे दूसरी वस्तुएँ खरीदी जा सकती थीं हालांकि इसे 2008 में बैन कर दिया गया था वैसे ही 2000 में नीदरलैंड ने पेट्रोल भरने के लिए कैश को स्मार्ट कार्ड से जोड़ा था । वर्तमान में 1800 से ज्यादा क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिसमें बिटकॉइन, एथेरियम, लिटकॉइन, फेयरकॉइन, डैश, परिकॉइन तथा रिपल मुख्य है।

कैसे काम करती है क्रिप्टोकरेंसी

पिछले कुछ सालों से क्रिप्टोकरेंसी मुद्राओं की लोकप्रियता बढ़ी है इन्हें ब्लॉक चेन सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डिजिटल मुद्रा इंक्रिप्टेड यानि कोडेड होती है इन्हें एक डिजिटलाइज़्ड सिस्टम के ज़रिए मैनेज/प्रबंधित किया जाता है । इससे प्रत्येक लेन-देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन होता है। क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। क्रिप्टोकरेंसी के जरिए खरीददारी को क्रिप्टोमाइनिंग कहते हैं क्योंकि हर जानकारी का डिजिटल रूप से डाटाबेस तैयार करना पड़ता है। जिनके द्वारा यह माइनिंग की जाती है ,उन्हें माइनर्स कहा जाता है। आसान भाषा में और अधिक समझें तो क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। यह सारा काम पावरफुल कम्प्यूटर्स के द्वारा किया जाता है।

क्रिप्टोकरेंसी में जब कोई ट्रांजेक्शन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज़ की जाती है यानि उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है। इस ब्लॉक की सिक्यूरिटी और इंक्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है। इसके लिए वे एक क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल कर ब्लॉक के लिए एक उचित हैश (एक कोड) खोजते हैं। जब कोई माइनर पुख्ता हैश खोजकर ब्लॉक सिक्योर कर देता है तो उसे ब्लॉकचेन से जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क में दूसरे नोड के जरिए उसे वेरिफाई किया जाता है। अगर आम सहमति हो गई और वह सही पाया गया तो माइनर को क्रिप्टोकॉइन दे दिया जाता है। यह एक रिवार्ड है जिसे काम का सबूत माना जाता है।

क्रिप्टोकरेंसी के लाभ

- हमारी पारंपरिक मुद्राओं की तुलना में क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन तेज, सुरक्षित व लागत प्रभावी है। इस में उपयोग की जाने वाली तकनीक पूरी तरह से एंक्रिप्टेड है, जो अपने उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को गुमनाम बनाती है और यह उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनाए रखने के साथ-साथ साइबर अपराध, धोखाधड़ी से भी बचाती है।
- क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग फ्री फ्लो और ग्लोबल रीच – क्रॉस बॉर्डर एक्सेसिबिलिटी के रूप में किया जाता है जिसमें जालसाजी करना बहुत कठिन है।
- क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग बिना किसी अतिरिक्त शुल्क दिए विश्व के किसी भी देश में किया जा सकता है हालांकि क्रिप्टोकरेंसी को मुद्रा के रूप में किसी भी देश द्वारा वैधानिकता प्रदान नहीं की गई है।
- क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार के लिए किसी भी प्रकार के प्रपत्र (पहचान –पत्र, आदि) की आवश्यकता नहीं होती है। अतः कोई भी व्यक्ति

इससे प्रणाली के माध्यम से जुड़ सकता है।

- क्रिप्टोकरेंसी का सबसे बड़ा लाभ इसकी गोपनीयता है। किसी प्रपत्र की अनिवार्यता के अभाव में लेन-देन के दौरान लोगों की निजी जानकारी पूर्णतः सुरक्षित रहती है।

क्रिप्टोकरेंसी के दुष्परिणाम

- क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन गुप्त होते हैं इसलिए इसमें आतंकवादी गतिविधियों, ड्रग्स सप्लाई गतिविधियों की आशंका सदैव बनी रहती है।
- क्रिप्टोकरेंसी के लेन देन को विनियमित करने के लिए कोई केंद्रीय एजेंसी नहीं है इसलिए आरबीआइ के साथ - साथ सरकार के लिए मौद्रिक नीति का प्रबंधन कठिन हो जाता है।
- क्रिप्टोकरेंसी का लेन देन केवल इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है जिससे अशिक्षित और कम पढ़े लिखे लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं।
- क्रिप्टोकरेंसी की दरें बहुत अस्थिर रहती हैं, जो बहुत कम समय में भारी नुकसान या लाभ का कारण बन सकती हैं। इससे सट्टा या सट्टेबाजी को बढ़ावा मिल सकता है।
- क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार की मौद्रिक नीतियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को बढ़ावा देना देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
- क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन के व्यवस्थित संचालन के लिए लाखों की संख्या में बड़े – बड़े कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है जो कि उर्जा के अपव्यय का एक कारण है।

निष्कर्ष:

यद्यपि क्रिप्टोकरेंसी व्यापार, निवेश, तकनीक और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में तेज और कम खर्च वाली भविष्य की विनिमय प्रणाली की अवधारणा प्रस्तुत करती है। परंतु वर्तमान में क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में अनेक समस्याओं (जैसे गोपनीयता, मूल्य अस्थिरता और इसके विनियमन की किसी नीति का अभाव) को देखते हुए देश में निजी मुद्रा की अनुमति देना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। अतः भविष्य की जरुरतों और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में सरकार, डिजिटल मुद्रा के विशेषज्ञों और सभी हितधारकों के बीच समन्वय को बढ़ाया जाए जिससे इस क्षेत्र के बारे में जन – जागरुकता को बढ़ाया जा सके। साथ ही भविष्य की जरुरतों को देखते हुए क्रिप्टोकरेंसी के विनियमन के लिए एक मजबूत एवं पारदर्शी तंत्र का विकास किया जा सके।

यादों का झरोखा

छोटे छोटे आले हुआ करते थे
सुख के कुछ निवाले हुआ करते थे
कच्चे मकानों में बसती थी ज़िन्दगी
दिन बहुत मतवाले हुआ करते थे

सुबह के सूरज में भी बड़ी रौनक थी
सर्दी की धूप भी जैसे कनक थी
अपनापन हर दिल में था
भले ही चेहरे गोरे और काले हुआ करते थे

मेहनत की रोटी में स्वाद था
गरीबी में भी घर आबाद था
पसीने में भी सुकूँ की ठंडक थी
भले ही पैरों में छाले हुआ करते थे

हर खंडहर में प्रेम का निशान था
हर प्रेम में वफ़ा का सामान था
हर ईमारत में प्यार का पैगाम था
भले ही छतों पे लगे जाले हुआ करते थे

चिट्ठियों में यादों की खुशबु थी
ख़ुशी हर रिश्ते से रूबरू थी
सुलझे सरल से लोग थे
वहीं फ़ितरत में गड़बड़झाले हुआ करते थे

आशीष कुमार शुक्ला
वरिष्ठ प्रबंधक
निरीक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय

पर्दानशीन महिलाएं और बैंकिंग सुविधाएं

शबनम बानो, सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

हम अक्सर बुर्का पहनने वाली महिलाओं के साथ भ्रमित होते हैं कि वे पर्दानशीन महिलाएं हैं लेकिन यह एक गलत धारणा है । पर्दानशीन महिलाएं वे महिलाएं हैं, जिनका बाहरी दुनिया से संपर्क न के बराबर है, वे अपने घरों में रहती हैं, वे अपने पिता के घर से उस घर में जाती हैं जिसमें उनका विवाह होता है । पर्दानशीन महिलाओं की बाहरी दुनिया के साथ बातचीत नहीं होती है । वे अपने घर में ही रहने वाले सगे-संबंधियों से ही संबंध रखती हैं, यहाँ भी वो 'पर्दा' या 'घूंघट' के पीछे से बात करती हैं ।

पर्दानशीन महिलाएं कौन हैं ?

इसे एकांत जीवन के रूप में भी लिया जा सकता है । एक पर्दानशीन महिला वह होती है जो उसके द्वारा पालन करने वाले विशेष समुदाय के रिवाज के कारण पूर्ण वैराग्य का पालन करती है जिससे वह संबंधित है । पहले के समय में 'पर्दा' की प्रथा को स्थिति के मानदंड के रूप में देखा जाता था । भारत में 19वीं शताब्दी में कुलीन वर्ग की महिलाओं द्वारा इस रिवाज का पालन किया जाता था । 'पर्दा' प्रथा का हिंदू और मुस्लिम समुदाय की कई महिलाओं द्वारा पालन किया जाता था। इन रीति-रिवाजों के कारण, इस प्रथा का पालन करने वाली महिलाएं को पूरी तरह से घर के पुरुषों पर निर्भर होना पड़ता था । आज के समय में भी भारत के कुछ हिस्सो में महिलाएं न्यूनतम प्रतिशत में यह रिवाज निभा रहीं हैं ।

पर्दानशीन महिलाओं की परेशानियाँ

भारत में प्रगति के इस समय में भी अधिकतर महिलाएं उतनी प्रगतिशील नहीं हो पाई हैं जितनी अन्य देशों में हुई हैं और पर्दानशीन महिलाओं के मामले में तो स्थिति और भी बिगड़ी हुई है । रीति-रिवाज के कारण पर्दानशीन महिलाएं अपने स्वयं के दृष्टिकोण को विकसित करने का विशेषाधिकार नहीं रख पाती हैं। यह महिलाएं अन्य व्यक्तियों के साथ बातचीत की कमी के कारण अनुभवहीन रहती हैं। इन्हें सामाजिक ज्ञान उतना नहीं होता क्योंकि यह कम शिक्षित या अनपढ़ होती हैं । पर्दानशीन महिलाएं घर के बाहर के अधिकतर कार्य के लिए अपने घर के पुरुष (पिता या पति अथवा भाई) पर निर्भर रहती हैं । ये अपने घर के बाहर किसी के साथ बातचीत नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें नहीं पता होता है कि उनके अपने घर के बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ।

पर्दानशीन महिलाओं को कुछ मामलों में बड़ी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है क्योंकि उनका दायरा सीमित होता है जिस कारण वे अलग-अलग दृष्टिकोणों से स्थिति का विश्लेषण नहीं कर सकती हैं,

अत: हम कह सकते हैं कि एक छोटे बच्चे की तरह ही उन्हें अपने माता-पिता पर निर्भर रहना पड़ता है । उपर्युक्त कारणों से, पर्दानशीन महिलाओं को अपने सभी मामलों (कानूनी या अन्यथा) का प्रबंधन अपने पति या अपने परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा ही करवाना पड़ता है ।

कानूनी संरक्षण:

एक पर्दानशीन महिला अनुचित प्रभाव के लिए अतिसंवेदनशील होती है और इसलिए कानून द्वारा इन्हें चारों ओर "सुरक्षा का विशेष लबादा" दिया जाता है, यानी जहां पर्दानशीन महिला बिक्री, बंधक, उपहार या रिहाई पर हस्ताक्षर करती है, उसका हस्ताक्षर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि लेनदेन अथवा संबन्धित कार्य के संबंध में न केवल उस महिला को समझाया गया है बल्कि उसे यह भी बताया गया है कि वह लेन-देन अथवा कार्य को समझ गई है और उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया गया है।

वित्तीय मामलों में भी यह एक सामान्य प्रथा है कि किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति ने इसे समझ लिया है, पर पर्दानशीन महिला के मामले में इसका पालन नहीं किया जाता है। एक पर्दानशीन महिला के मामले को असाधारण माना जाता है और दूसरे पक्ष को यह साबित करना होता है कि पर्दानशीन महिला किसी से प्रभावित नहीं थी और वह उस स्थिति को पूरी तरह से उसी प्रकार समझती है जैसे कि कोई अन्य सामान्य व्यक्ति समझता हो ।

पर्दानशीन शब्द को एक निश्चित कानूनी अर्थ दिया गया है। एक महिला पर्दानशीन होने का दावा तब ही कर सकती है, जब:

1) वह अनपढ़ है;

2) वह अज्ञानी है क्योंकि उसने कभी बाहरी दुनिया में पैर नहीं रखा है।

उपरोक्त दो शर्तों को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी महिला जो अनपढ़, अज्ञानी है जिसमें अनुभव की कमी है और जो अनुबंध की शर्तों को समझने में असमर्थ है, अनुचित प्रभाव में पर्दानशीन महिलाओं को दी गई सुरक्षा का दावा कर सकती है।

बैंकिंग मामले:

शाखा में एक बैंकर प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के बैंक खातों से संबंधित समस्याओं का सामना करता है। ऐसे खातों में कुछ विशेष श्रेणी के ग्राहक भी होते हैं जिनमें पर्दानशीन महिला के खाते भी शामिल हैं। अधिकांश बैंकरों को इसके बारे में पता है कि पर्दानशीन महिला के साथ व्यवहार करते समय उन्हें व्यापक नियमों को ध्यान में रखना होगा, लेकिन वे कानूनी प्रावधानों और ऐसे खातों से जुड़े जोखिमों के बारे में गलत जानकारी रखते हैं । इस लेख में, हम कुछ कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, जिन्हें हर बैंकर को ध्यान में रखने की जरूरत है ।

एक पर्दानशीन महिला द्वारा लेनदेन के संबंध में बनाए गए नियम एक अनपढ़ और अज्ञानी महिला पर समान रूप से लागू होते हैं, हालांकि वह अनपढ़ महिला पर्दानशीन हो यह ज़रूरी नहीं है । यह नियम पर्दानशीन महिला के आसपास कानूनी सुरक्षा के कारण ही नहीं बनाए गए हैं, बल्कि उन अक्षमताओं के कारण भी बने हैं जहां ऐसी महिलाएं एकांत का जीवन जी रही थीं ।

बैंकिंग खाते खोलते समय दिशानिर्देशों का पालन:

- केवाईसी के समय खाताधारकों के फोटोग्राफ: बैंकों को सभी नए खाते खोलते समय जमाकर्ताओं के /खाताधारकों के फोटोग्राफ प्राप्त करने होते हैं जिनमें पर्दानशीन महिलाएं भी हैं जो खातों का परिचालन करने के लिए प्राधिकृत की जाती हैं ।
- पर्दानशीन महिलाओं के अनपढ़ होने पर कोई खाता नहीं खोला जाएगा, यदि पर्दानशीन महिला हस्ताक्षर करने में सक्षम है, और वह अपने निवास पर अपने पति/पिता(महिला के हस्ताक्षर को प्रमाणित करने के लिए) के सामने खाता खोलने का फॉर्म और नमूना हस्ताक्षर पत्र (स्पेसीमन सिग्नेचर शीट) पर हस्ताक्षर कर सकती है तब ही वह खाता खोल सकती है ।
- इसके अलावा, पर्दानशीन महिलाओं के लिए खोले गए बचत बैंक खातों/चालू खातों (अपवाद मामलों में) के संबंध में, सभी लिखतों सहित उसके द्वारा निष्पादित आहरण पर्ची /चेक आदि को विधिवत रूप से उसके पति या बैंक के दो खाताधारकों द्वारा सत्यापित करवाया जाना चाहिए ।
- बैंकर को पर्दानशीन महिला के नाम से खाता खोलने में सावधानी बरतनी चाहिए । चूंकि ऐसी महिला की पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, बैंकर आमतौर पर उसके नाम पर खाता खोलने से इंकार कर देते हैं । जो कि गलत है, इसलिए बैंक को इस संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए ।

लीगल गार्डियन (कानूनी अभिभावक):

अगर पर्दानशीन महिला अविवाहित है और वह हस्ताक्षर करती है तो उसके निवास पर अकाउंट ओपेनिंग फार्म और नमूना हस्ताक्षर पत्रक, पर लिए गए उसके हस्ताक्षर उसके प्राकृतिक संरक्षक (नैचुरल गार्डियन) द्वारा प्रमाणित किया जाना है। साथ ही बैंक में खाता खोलते समय पर्दानशीन महिला की फोटो लेना अनिवार्य है। विवाहित होने के मामले पर्दानशीन महिला का पति उसका कानूनी अभिभावक कहलाएगा ।

पर्दानशीन महिला द्वारा ऋण दस्तावेज़ों का निष्पादन:

पर्दानशीन महिलाओं के मामले में, कानून के अनुसार उनसे निपटने में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है । ऐसे मामले में जहां पर्दानशीन महिलाओं को ऋण दिया जाता है, या गारंटी प्राप्त की जाती है, बैंक के पास सबूत होना चाहिए कि

- ऐसी महिलाओं द्वारा दस्तावेजों को उनकी स्वतंत्र इच्छा से और लेन-देन की प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझने के बाद, बिना किसी अनुचित प्रभाव के निष्पादित किया गया था या यदि दस्तावेज मातृभाषा में नहीं है तो निष्पादकों, बैंक को यह सत्यापित करना होगा कि ऐसी महिलाओं को उनकी मातृभाषा में दस्तावेज समझाए गए थे, और वे इसके निहितार्थों को समझती हैं ।
- जहां कहीं भी पर्दानशीन महिलाओं द्वारा दस्तावेजों को निष्पादित किया जाता है, उपरोक्त सभी ऋण दस्तावेजों को स्वतंत्र गवाह (इन महिलाओं को दस्तावेज़ों की सामग्री के निहितार्थ के बारे में बताने के बाद) के हस्ताक्षर के द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए । केवल दस्तावेज़ निष्पादन रजिस्टर जो एक आंतरिक रिकॉर्ड है, में इस कथन की प्रविष्टि करना ही पर्याप्त नहीं है ।
- बैंक को एक स्वतंत्र व्यक्ति (गवाह) से एक घोषणा प्राप्त करनी चाहिए जिसमें कहा गया है कि "दस्तावेज़ों को पर्दानशीन महिला के सामने पढ़ा गया और निष्पादक को समझाया गया और उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से इसे समझने के बाद बिना किसी जबरदस्ती के इसे निष्पादित किया ।

निष्कर्ष:

पर्दानशीन महिलाओं को बैंकिंग संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे समाज से उतनी घुली-मिली नहीं होती जितनी अन्य सामान्य महिलाएं । इसके अलावा उन्हें घर की बन्दिशों के कारण सामान्य जीवन जीने का या कहें सामान्य रूप से पढ़ने-लिखने का अवसर नहीं मिलता है जिस कारण वे समाज में पीछे रह जाती हैं और बैंकिंग ज्ञान से भी दूर रहती हैं । बैंकर होने के सभी बैंक कर्मियों की यह नैतिक ज़िम्मेदारी भी है कि इस तरह के विशेष ग्राहकों को बैंकिंग की सुविधाओं से वंचित न करें और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए बैंक की सुविधाओं से इन्हें अवगत कराएं तथा इन पर्दानशीन महिलाओं को सामान्य बैंकिंग से जोड़ने का प्रयास करें । आरबीआई द्वारा भी इस विषय के संबंध में स्पष्ट निर्देश बैंकों को दिए जाने चाहिए ताकि बैंकर को पर्दानशीन महिलाओं के खाते खोलते समय कोई दुविधा न हों । हमें सभी तबकों को बैंकिंग से जोड़ना होगा ताकि भारत की अर्थव्यवस्था अग्रणी देशों की अर्थव्यवस्था से बराबरी कर अधिक सुदृढ़ हो सके ।

बैंकों में साइबर सुरक्षा के विविध आयाम

अनुराग सिंह क्षत्रिय, मुख्य प्रबन्धक, गुवाहाटी क्षेत्र

प्रस्तावना:

हम लोग जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी ही तेजी से साइबर अपराधों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। जिस गति से तकनीक ने उन्नति की है, उसी गति से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। एक ही जगह पर बैठकर इंटरनेट के जरिए मनुष्य की पहुंच, विश्व के हर कोने तक आसान हुई है। आज के समय में हर वो चीज जिसके विषय में इंसान सोच सकता है, उस तक उसकी पहुंच इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डाटा स्टोर करना, गेमिंग, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब आदि। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के विकास और इसके लाभों के साथ-साथ साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है। इन सुविधाओं के बीच आज दुनिया भर में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही लोगों की व्यक्तिगत जानकारियों की चोरी कर रहे हैं, जिसे साइबर क्राइम/ साइबर अपराध कहा जाता है।

साइबर अपराध का तात्पर्य:

साइबर अपराध विभिन्न रूपों में किए जाते हैं। कुछ साल पहले, इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता का अभाव था। साइबर अपराधों के मामले में भारत भी उन देशों से पीछे नहीं है, जहाँ साइबर अपराधों की घटनाओं की दर भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साइबर अपराधों के मामले में एक साइबर अपराधी किसी उपकरण का उपयोग, उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीय व्यवसाय की जानकारी, सरकारी जानकारी या किसी डिवाइस को अक्षम करने के लिए कर सकता है। उपर्युक्त सूचनाओं को ऑनलाइन खरीदना या बेचना भी एक साइबर अपराध है।

इसमें कोई संशय नहीं है कि यह एक आपराधिक गतिविधि है, जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग द्वारा अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराध जिसे इलेक्ट्रॉनिक अपराध के रूप में भी जाना जाता है, यह एक ऐसा अपराध है, जिसमें किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग, एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है। इन अपराधों में जबरन वसूली, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, कंप्यूटर से व्यक्तिगत डाटा हैक करना, फिशिंग, अवैध डाउनलोडिंग सहित कई प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं।

साइबर अपराध का आशय उन अपराधों से है जो इंटरनेट, कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्यत: कोई भी ऐसा काम जिससे कंप्यूटर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है साइबर क्राइम की परिधि में आता है। वस्तुतः साइबर क्राइम को ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे इंटरनेट एवं कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ऐसा अपराध, जिसका उद्देश्य कंप्यूटर पर काम में बाधा डालना है, साइबर अपराध है।

द ऑर्गनाइज़ेशन फॉर इकोनमिक कोऑपरेशन एंड डवलपमेंट (ओईसीडी) के अनुसार "बिना पूर्व अनुमति के आंकड़ों के संसाधन और संचरण से संबंधित कोई भी गैरकानूनी अनैतिक अनाधिकृत काम साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। साइबर अपराधों का दायरा बहुत व्यापक है क्योंकि यह विश्व स्तर पर घटित होते हैं। कहीं भी बैठकर इन्हें अंजाम दिया जा सकता है। एक वायरस के जरिए व्यवस्था को बाधित/ ठप्प करना, चाइल्ड पॉर्नोग्राफी, आपत्तिजनक प्रसार, ई-मेल पर धमकी देना, पैसों की मांग करना, आतंकवादी गतिविधियों का संचालन, कंप्यूटर से संबंधित प्रॉपर्टी को नष्ट करना, किसी कंपनी या व्यक्ति के डेटाबेस को चुरा लेना, साइट हैक करना, इंटरनेट के ज़रिए ठगी करना जैसे कुकृत्य साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं।

साइबर अपराध हमेशा आर्थिक लाभ से प्रेरित नहीं होते हैं अपितु साइबर अपराध में गैर आर्थिक लाभ भी शामिल हैं। इसमें नौकरी से संबंधित धोखाधड़ी, वैवाहिक धोखाधड़ी, व्यक्तिगत जानकारी, आधार कार्ड का विवरण, क्रेडिट/ डेबिट कार्ड का विवरण, बैंक खातों की सूचना आदि को चुरा कर उनका दुरुपयोग करना, सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की मानहानि या कंप्यूटर वायरस फैलाना आदि शामिल है।

साइबर अपराध के प्रकार:

1. पहचान की चोरी
2. क्रेडिट डेबिट कार्ड स्किमिंग
3. क्रेडिट डेबिट कार्ड धोखाधड़ी
4. ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी
5. डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन संबंधित हमले
6. कमजोर पासवर्ड के कारण बैंक खाते की हैकिंग
7. पर्सनल कंप्यूटर/लैपटॉप पर वायरस का हमला
8. विद्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से वायरस का हमला
9. मोबाइल एप्लीकेशन धोखाधड़ी
10. संक्रमित मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से साइबर हमला
11. मनोवैज्ञानिक धोखाधड़ी/तरकीबें

1. पहचान की चोरी से आशय है कि किसी की व्यक्तिगत जानकारी

उसकी अनुमति के बिना गलत तरीके से प्राप्त करना । व्यक्तिगत जानकारी में उसका नाम, फोन नंबर, पता, बैंक खाता, आधार कार्ड नंबर या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर आदि शामिल हो सकते हैं। पहचान की चोरी के कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं । धोखा देने वाला व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग:

- आपके बैंक खाते तक पहुँच के लिए
- डेबिट/क्रेडिट कार्ड के अवैध उपयोग या बीमित राशि हड़पना
- आपके नाम से कर वापसी फाइल करने और धन प्राप्त करने के लिए
- ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए
- नए उपयोगिता खाता खोलने के लिए
- सोशल मीडिया पर आपकी पहचान का दुरुपयोग करने के लिए
- आपके स्वास्थ्य बीमा पर चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए

2. क्रेडिट / डेबिट कार्ड स्किमिंग एक छोटे उपकरण का उपयोग करके की जाती है जिसे स्किमर कहा जाता है । सबसे पहले क्रेडिट/ डेबिट कार्ड को एक स्किमर के माध्यम से स्वाइप किया जाता है । सामान्यतः कार्ड की चुंबकीय पट्टी में कार्ड की महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे नाम, क्रेडिट/ डेबिट कार्ड नंबर और समाप्ति की अवधि अंकित होती है । फिर स्किमर इन सभी विवरणों को कैप्चर करता है । अपराधी के द्वारा उपरोक्त सूचना का उपयोग ऑनलाइन लेनदेन करने, डुप्लीकेट क्रेडिट/ डेबिट कार्ड बनाने अथवा एटीएम से पैसे निकालने के लिए किया जा सकता है ।

3. डेबिट कार्ड धोखाधड़ी में हमलावर (अपराधी), पीड़ित को यह बता कर डराने की कोशिश करता है कि उसका क्रेडिट और डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है । पीड़ित चिंतित हो जाता है और घबराने लगता है । हमलावर इस स्थिति का फायदा उठाता है और पीड़ित को कार्ड फिर से सक्रिय करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए कहता है । और फिर यही जानकारी पीड़ित के पैसे चुराने एवं वित्तीय नुकसान पहुंचाने के काम में ली जाती है ।

4. **ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी :** आजकल सभी बैंकिंग सेवाएं जैसे खाता विवरण, धन प्राप्त करने का अनुरोध करना आदि सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं । इन सेवाओं को घर बैठे ही बिना बैंक जाए प्राप्त किया जा सकता है । जैसे-जैसे सेवाएँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही हैं, बैंक से संबंधित अपराध बढ़ते जा रहे हैं ।

ऑनलाइन बैंकिंग खाता एक मजबूत पासवर्ड के साथ होता है । अगर पासवर्ड चोरी हो जाता है तो बैंक खातों से पैसे चोरी हो जाएंगे । इसलिए इसकी सुरक्षा अत्यावश्यक हो जाती है ।

5. **डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन संबंधित हमले** आज के जीवन में बहुत आम हो गए हैं । यदि अकाउंट हैक हो जाए तो यह बहुत खतरनाक है ।

6. **कमजोर पासवर्ड के कारण बैंक खाते की हैकिंग:** इस प्रकार के हमले में हमलावर अनुमान लगाकर सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले पासवर्ड के माध्यम से खाते को हैक करने का प्रयास करता है । एक बार अकाउंट हैक हो जाने के बाद हमलावर पैसे चुरा सकता है या पीड़ित को बदनाम करने अथवा फसाने के उद्देश्य से अवैध लेनदेन कर सकता है ।

7. **पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप पर वायरस का हमला :** पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । हम इसमें हमारी महत्वपूर्ण जानकारी, बैंक खाता संख्या, व्यवसाय दस्तावेज, पर्सनल फ़ाइल जैसे फोटो, म्यूजिक, मूवी आदि संरक्षित रखते हैं । इन सभी डेटा की सुरक्षा अत्यधिक आवश्यक है ।

8. **बाहरी उपकरणों के माध्यम से वायरस का हमला :** एक वायरस बाहरी उपकरणों जैसे पेन-ड्राइव, या हार्ड डिस्क, आदि के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है । वायरस म्यूजिक फाइल्स, वीडियोज या किसी भी आकर्षक विज्ञापन में छुपा हो सकता है ।

9. **मैलेशियस सॉफ्टवेयर इन्स्टाल करने से वायरस का हमला:** वायरस अविश्वसनीय स्रोतों से सॉफ्टवेयर इन्स्टाल करने से कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है । अज्ञात गेम फाइलों या किसी अज्ञात सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस छुपा हो सकता है । यह वायरस कंप्यूटर की सभी फाइलों में फैल सकता है । वायरस/ मैलेशियस एप्लीकेशन के कारण कंप्यूटर का धीमा होना, डेटा खराब होना, विलोपित होना या हानि हो सकती है ।

10. **मोबाइल एप्लीकेशन धोखाधड़ी:** स्मार्टफोन के उपयोग में वृद्धि और उसके परिणाम स्वरूप मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग की वृद्धि हुई है, जिसने इससे जुड़े हुए सुरक्षा जोखिम को भी बढ़ा दिया है । साइबर अपराधी डाटा और रुपए प्राप्त करने के लिए नए मोबाइल उपयोग कर्ताओं को निशाना बना रहे हैं । मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि दिन प्रतिदिन के कार्यों जैसे कि बिल भुगतान, बैंक खातों का प्रबंधन सेवा वितरण आदि को आसान एवं सुविधाजनक बनाने के लिए भी किया जा रहा है । यह एप्लीकेशन साइबर हमलों के लिए प्रवण है । उपयोगकर्ताओं को आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले मोबाइल एप्लीकेशन जैसे डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन एवं गेमिंग पर होने वाले हमलों के प्रति जागरूक रहना चाहिए ।

11. **संक्रमित मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से साइबर हमला :** आमजन कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग के अभ्यस्त हो जाते हैं नतीजा वे सुरक्षा की अनदेखी करते हैं । धोखा देने वाले व्यक्ति ऐसे लोकप्रिय मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग पीड़ित पर हमला करने के लिए करते हैं । हमलावर संक्रमित सॉफ्टवेयर जिसे ट्रोजन कहा जाता है, के माध्यम से एप्लीकेशन को संक्रमित करते हैं । यह ट्रोजन आपके संदेश, ओटीपी, कैमरा, संपर्क सूची, ई-मेल, फोटो आदि का उपयोग कर सकता है या ये आपको अश्लील विज्ञापन भी दिखाते हैं और उपयोगकर्ताओं को सदस्यता शुल्क के लिए आमंत्रित करते हैं एवं मोबाइल से व्यक्तिगत सूचनाएं चोरी करते हैं ।

12. **मनोवैज्ञानिक धोखाधड़ी/तरकीबें :** मनोवैज्ञानिक तरकीबें वे हैं

जहाँ हमलावर आकर्षक प्रस्ताव के माध्यम से उपयोगकर्ता के साथ खेलते हैं। एक बार फंसने के बाद हमलावर पीड़ित के पैसे/ व्यक्तिगत सूचना, नाम, आधार विवरण, बैंक खाते का विवरण आदि चोरी करके पीड़ित का शोषण कर सकते हैं। यह सभी कार्य पीड़ित को एक फोन कॉल या एसएमएस के माध्यम से किए जाते हैं।

फिशिंग: फिशिंग धोखाधड़ी देने वाली ई-मेल के द्वारा दिया जाने वाला कृत्य है जो कि एक वैध स्रोत जैसे बैंक, नियोजक या क्रेडिट कार्ड कंपनी इत्यादि से प्राप्त होने का प्रतीत होता है। जिसके माध्यम से पीड़ित से व्यक्तिगत सूचना, बैंक खाता विवरण प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

विशिंग: विशिंग फिशिंग के समान है। लेकिन इसमें ई-मेल के स्थान पर टेलीफोन के ज़रिए पीड़ित की व्यक्तिगत व वित्तीय सूचनाएँ प्राप्त की जाती हैं।

स्मिशिंग: स्मिशिंग फिशिंग के समान धोखाधड़ी वाले टेक्स्ट संदेशों को भेजने के लिए एस.एम.एस. का उपयोग करता है। इसमें एस.एम.एस. प्राप्तकर्ता को एक वेबसाइट या वेबलिंक पर जाने या फोन कॉल करने के लिए कहा जाता है।

लॉटरी फ्रॉड: अपराधी पीड़ित को ई-मेल व एस.एम.एस. के माध्यम से लॉटरी जीतने के लिए बधाई देता है। पीड़ित खुश होता है और लॉटरी के पैसे पाने के लिए उत्सुक हो जाता है। अपराधी लॉटरी की राशि प्राप्त करने के लिए पीड़ित को टोकन अंतरित करने और महत्वपूर्ण सूचना प्रेषित करने के लिए कहता है। पीड़ित अपने पैसे व महत्वपूर्ण जानकारी अपराधी को उपलब्ध करवा देता है और उसे धन हानि का शिकार होना पड़ता है।

नौकरी से संबन्धित धोखाधड़ी: हमलावर एक आकर्षक वेतन के साथ नौकरी का प्रस्ताव पीड़ित को एक फेक ईमेल के माध्यम से भेजता है। पीड़ित विश्वास करता है और निर्देशों का पालन करता है। फिर हमलावर पैसे चुराता है या पीड़ित को अनावश्यक रूप से परेशान करता है।

साइबर सुरक्षा का आशय है कि साइबर स्पेस को हमले, क्षति, दुरुपयोग और आर्थिक जासूसी से सुरक्षित करना। सुरक्षा की अवधारणा साइबर और कंप्यूटर संबंधी अपराधों से सुरक्षा प्रदान करती है।

- साइबर सुरक्षा का अर्थ होता है कि डाटा, नेटवर्क, कार्यक्रमों और अन्य सूचनाओं को अनाधिकृत या अनऑथराइज्ड पहुंच, विनाश या परिवर्तन से बचाना। आज की दुनिया में कुछ सुरक्षा खतरों और साइबर हमलों के कारण साइबर सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। डाटा सुरक्षा के लिए कई कंपनियां सॉफ्टवेयर विकसित करती हैं। यह सॉफ्टवेयर डेटा की सुरक्षा करता है। साइबर सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल जानकारी को सुरक्षित करने में मदद करता है बल्कि वायरस हमले से भी हमारे सिस्टम को बचाता है।

बैंकों में साइबर हमले: हाल ही के समय में हम लोगों ने भारत में और वैश्विक स्तर पर भी हाईप्रोफाइल साइबर हमले की घटनाएं देखी हैं। आपको बांग्लादेश की बैंक की घटनाएं स्मरण होगी जिसने बैंक/ केंद्रीय बैंकों को हिला कर रख दिया और हमेशा उन्हें सुरक्षा ओडिट और बारीकी से नजर रखने को मजबूर किया। वैयक्तिक सूचनाओं की चोरी होने, एटीएम के दुरुपयोग होने और डिस्ट्रीब्यूटर डिनायल ऑफ सर्विसेज़ के हमलों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। सन 2018 में भारत में महाराष्ट्र के पुणे स्थित सबसे पुराने कॉसमॉस कॉपरेटिव बैंक में साइबर अटैक का मामला सामने आया था। बैंक अधिकारियों के अनुसार हैकर्स ने मालवेयर अटैक के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया। हैकर्स ने 80.50 करोड़ रूपये डेबिट कार्ड से 14849 ट्रांजेक्शन के ज़रिए और 13.90 करोड़ रूपये स्विफ्ट ट्रांजेक्शन के ज़रिए विदेशी खातों में ट्रांसफर किए।

- आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में ढाई गुना की वृद्धि वर्ष की गई है और यह राशि में बढ़ कर 1.85 लाख करोड़ हो गया है। वहीं दूसरी ओर 2018-19 में यह 71,500 करोड़ रूपये था।
- इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम एक बड़े एप्लीकेशन, नेटवर्किंग डिवाइस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और अन्य चीजों की सहायता से काम करते हैं। ये सभी चीजें हमलावरों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती हैं, जिससे वे ठगी को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा कई और बैंक और वित्तीय संस्थान भी हैं जो थर्ड पार्टी सर्विस का इस्तेमाल करती हैं। अगर ये बाहरी कंपनियां ज़रूरी सिक्योरिटी सेटअप नहीं रखती हैं, तो बैंक को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
- साइबर क्रिमनल्स के लिए बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान सबसे बेहतर टारगेट होते हैं क्योंकि इनके पास लोगों का महत्वपूर्ण डाटा होता है और यह लोगों के वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं। अभी तक साइबर अटैक बैंक की रेटिंग पर बहुत कम प्रभाव डालते हैं, लेकिन आगे चलकर एक्सचेन्ज को और प्रभावित कर सकती है क्योंकि साइबर क्राइम की बहुत सारी घटनाएं सामने आने लगी हैं।

साइबर अपराध को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम

- बैंकों के पास साइबर घटनाओं के प्रति मजबूत सुरक्षा प्रणाली का हमेशा उपलब्ध होने की जरूरत है।
- कोई भी घटना होने पर स्पष्ट रूप से निर्धारित भूमिका एवं जिम्मेदारियों के साथ पुख्ता कार्य योजना का होना आवश्यक है।
- साइबर हमलों से निपटने के लिए जागरूकता तथा जानकारी को साझा करने की भूमिका महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की जानकारी बोर्ड के सदस्यों के साथ-साथ हितधारकों को भी होना जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी असामान्य साइबर घटनाओं को 2 से 6 घंटे के भीतर रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है। एक बार रिपोर्ट किए जाने के बाद कारणों के विश्लेषण के परिणामों के साथ ही अन्वेषी लेखा परीक्षा के परिणाम को तुरंत साझा किया जाना चाहिए ताकि अन्य बैंकों को समय रहते उचित चेतावनी जारी कर साइबर अपराधों से बचाया जा सके।
- साइबर धोखाधड़ी की ताजा घटनाओं में धोखेबाजी करने वालों द्वारा

स्त्री निर्मिति- फेमनिज़्म का ए बी सी डी

शुभम दीक्षित, सहायक प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यालय

हमने इस अंक के स्तम्भ कृति दर्पण के माध्यम से आप सभी का परिचय सुजाता कृत स्त्री निर्मिति से करवाने का निर्णय लिया है। ये मेरा अपना मत है कि कुछ नया सीखने और समझने के लिए कभी किसी की उम्र ज्यादा नहीं होती। इस संबंध में भारतीय परिपेक्ष्य में फेनिज़्म से मेरा पहला ठीक-ठीक परिचय सुजाता कृत स्त्री निर्मिति ने करवाया। ये किताब सरलतम शब्दों में नारीवाद का इतिहास, उसकी प्रासंगिकता और भारतीय परिपेक्ष्य में उसके औचित्य और आवश्यकता की पृष्ठभूमि की पड़ताल करने की कुंजी है जो पाठक के ज्ञान विस्तार के लिए कच्चा ख़ाका तैयार करने के साथ ही पाठक में आगे की जिज्ञासाओं का बीजारोपण भी करती है।

एक ओर जहाँ भारत में स्त्रीवाद की अवधारणा को विदेशायातित मान कर उसे हाशिये पर टाँक दिया जाता है तो वहीं दूसरी ओर महान संस्कृतिगत नैतिक मूल्यों एवं तथाकथित आसमानी किताबों से निकली श्रेष्ठतम पारिवारिक संस्थाओं की दुहाई देते हुए स्त्री विमर्श को दर-किनार कर दिया जाता रहा है। ऐसे में यह किताब लैंगिक विभाजन से मुक्त समाज की पैरवी करने के साथ संस्कृति के नाम पर आदिम युग से चले आ रहे शोषण चक्र की परत-दर-परत बखिया उधेड़ने का काम भी करती है। अगर किताब की बात करें तो इस किताब के स्त्री विमर्श के मायने कहीं ज्यादा व्यापक, विस्तृत, बहुभाषी हैं, वे किसी एक खास मुद्दे को उठाने को स्त्रीवाद नहीं मानते। सुजाता कृत स्त्री निर्मिति देश, स्थान, समय, वर्ग, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार ही महिलाओं के मुद्दों को सामने लाए जाने और उसके लिए एक कच्ची पक्की कैसी भी पहल करने को स्त्रीवाद या कहें स्त्री-विमर्श के ही विभिन्न विषयों के रूप में चिन्हित करने की पैरवी करती है।

किताब, महिलाओं के जीवन पर वक्र दृष्टि रखने वालों या उनका मूल्यांकन करने वाले किसी भी व्यक्ति, सोच, नज़र को नहीं बख़्शती यानि स्त्री-विमर्श से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा मुद्दा होगा जिस पर यह अपनी विचाराभिव्यक्ति न करती हो। फिर चाहें वो विदेशी धाकड़ मनोविज्ञानी हों या कि भारतीय समाज सुधारक। किताब बड़ी ही सरलतम भाषा में महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम पर घर-परिवार या फिर राज्य द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के पुरुषोचित बन जाने से लेकर उनके ऊपर ढेरों अनचाहे नियंत्रणों को थोप दिए जाने तक और पितृसत्तामक समाज में स्त्री के औचित्य व उसकी सामाजिक स्थिति संबंधी वस्तुस्थिति का सार्थक चित्रण करती है। कई बार ये नियंत्रण इतने अस्वाभाविक व अप्राकृतिक होते हैं; इन अवधारणाओं का इतनी सुघड़ता से पूर्वाभ्यास करवाया जाता है कि आज के समय में इनका सामान्यीकरण होते-होते इनको सहज सुग्राह्यता प्राप्त हो चुकी है। किताब समझती है कि किस तरह से अस्मिता और परंपरा के नाम पर पहनावे पर नियंत्रण, कि कब; कितना; क्या पहनना है, समय पर नियंत्रण, कि क्यूँ; कहाँ; कैसे जाना है, सम्बन्धों पर नियंत्रण, कि किसलिए; किससे; कितना मिलना है, जैसे अनगिनत नियंत्रण लाद दिए जाते हैं। यहाँ इन सब में सबसे मज़ेदार बात जो सामने निकल कर आती है वह यह कि इन सभी नियंत्रणों का महिला की सहजता से कहीं कोई सरोकार नहीं होता। किताब समझाती है कि अमूमन इस तरह के नियंत्रणों को थोपने वाले आज भी स्त्री को एक मादा से अधिक और कुछ नहीं समझते जिसका मूल कर्तव्य देह और पेट की भूख मिटाने के साथ पितरों के वंश को आगे बढ़ाना है।

सुजाता समझाती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सांप्रदायिक सौहार्द पर बेहतरीन बाते कहने वाला व्यक्ति, जेंडर के मुद्दे पर भी बहुत प्रगतिशील और तटस्थ सोच रखता हो। वो हर उस शै को खरी-खोटी सुनाती हैं जो लिंगभेद को परोसता है। "स्त्री निर्मिति" के शुरुआती दो अध्याय भले ही अपने आप में कुछ नए न लगें मगर किताब की भूमिका बांधने का अपना काम बखूबी करते हैं। ये दो अध्याय उस पाठ की तरह हैं जो मछलियों को ये समझते हैं कि ये वो पानी ही है जिसमें वो आज जीती आई हैं, यही उनको चारों तरफ से घेरे हुए है और कितना कुछ है जो इस पानी की ज़द से बाहर आता है। इनमें उन पश्चिमी विचारकों के शोध और सोच का निचोड़ है, जिसे समझने के लिए आपको दर्जनों लेखकों की सैकड़ों किताबों में खोजबीन करनी पड़ सकती है।

इक्कीसवीं शताब्दी आ जाने के बावजूद भी आज तक महिलाओं से जुड़े सभी छोटे-बड़े मुद्दे पर केवल तभी चर्चा की जाती है जब बाकी सभी ज़रूरी मुद्दों की जबानी जुगाली की जा चुकी हो। आम तौर पर महिलाओं के मुद्दों को केवल महिलाओं से जुड़ा हुआ मान कर परोक्ष पर धकेल दिया जाता रहा है। यहाँ तक कि उन पर बेबाकी से अपनी राय रखने वालों को सीधे तौर पर या घुमाफिरा कर चाही-अनचाही सलाहों से निपटना पड़ता है। इस बारे में सुजाता अपने निजी अनुभवों

का निचोड़ और अपने ऊपर की गई टिप्पणियों के जवाब में, स्त्रियों की समस्याओं को रेखांकित किए जाने और की आवश्यकता के बारे में अपनी किताब में लिखती हैं- "आप स्त्री विषय को छोड़ कर कुछ और नहीं लिख सकतीं ? कुछ गंभीर और पॉलिटिकल !... लेकिन सच यही है कि आम आदमी ही नहीं, बहुसंख्यक बुद्धिजीवी भी फ़ेमिनिस्ट वाला 'एफ़' सही से नहीं जानते और स्त्री मुद्दों को अ-राजनैतिक और अगंभीर मान कर चलते हैं। लेकिन स्त्रियों की एक पूरी पीढ़ी को दिन-रात बलात्कार और यौन नियंत्रण के भय के साए में पलने से बचा सकना किसी देश पर परमाणु हमला होने से बचा सकने से कम महत्वपूर्ण नहीं है और न ही एक देश के दूसरे देश को परमाणु बम से निस्तोनबूत कर दिए जाने की रणनीति से कम राजनैतिक।"

किताब, जहाँ लक्ष्मी कैद है... से सुजाता शनै-शनै भारत के संदर्भ में स्त्री संघर्ष की कलाई खोलती हैं और उन तथ्यों को परोसती हैं जिनसे पाठक हतप्रभ रह जाता है। सुजाता इस अध्याय के माध्यम से भारत के संदर्भ में स्त्री संघर्ष का तीन प्रमुख खंडों में विभाजन करती हैं, जिनमें पहला सुधार आंदोलन, दूसरा राष्ट्रवादी आंदोलन और तीसरा चरण आधुनिक संघर्ष के रूप में चिन्हित होता है। वो बताती हैं कि किस तरह भारत में जितने भी सुधारवादी आंदोलन चले उनके मूल में पुरुष समाज सुधारक ही थे। लेकिन उन सुधारकों का ध्यान भी केवल सामाजिक कुरीतियों पर ही पड़ा, पितृसत्ता सत्ता के स्त्री विरोधी पक्ष पर नहीं। पितृसत्ता की पहली शिनाख्त करने वाली भारतीय महिला के रूप में सुजाता सावित्री बाई फुले को याद करती हैं। दरअसल सावित्री बाई फुले उस सोच की बखिया उधेड़ती नज़र आती हैं जो इस गल्प का महिमामंडन करती थी सती प्रथा में जल कर मरने वाली स्त्रियाँ स्वेच्छा से आत्मदाह करती थीं। वे पूरी पितृसत्ता की सोच को महिलाओं की अपनी सोच और स्वेच्छा बनाने और बताए जाने की कवायद का कच्चा चिट्ठा खोलती हैं। इस संदर्भ को याद करते हुए सुजाता लिखती हैं- "वे कहती हैं कि स्वर्ग का विचार इस तरह से आनंदमय और रंगीन बनाया गया कि स्त्री अपने पति के साथ उसे पाने के लिए अधीर हो उठी... वैधव्य उसके जीवन की दुर्गति करके उसमें जो पीड़ाएँ और कलंक भर देता है, उसके प्रति सचेत स्त्री आग में कूद जाने को कम कष्टकर समझती थी, तो क्या गलत था। ऐसे में स्वैच्छिक और जबरन सती का फ़र्क करना या सती और विधवाओं की आत्महत्याओं में फर्क करना बहुत मायने नहीं रखता।"

स्त्री की देह और उसके दिमाग को एक साथ कैद करने के बहुव्यवस्थित प्रयास हर स्तर, हर दौर में और हर मुल्क में किए गए हैं। पितृसत्ता का ये प्रयास बहुत बार इस कदर महीन होता है, उसमें भावनाओं का ऐसा गहरा घाल-मेल होता है कि बहुत बार वहाँ ठोस तर्क भी आधे-अधूरे और नाकाफ़ी से जान पड़ते हैं। लेकिन इस सभी से इतर एक स्त्री क्या चाहती है, उसे जो चाहिए क्या उसके ऊपर उसका देशकाल प्रभावी नहीं होगा और एक स्त्री को जो चाहिए क्या दूसरी स्त्री को भी वही चाहिए होगा इस तरह के मानक कौन तय करेगा ? जिस तरह वर्जीनिया वूल्फ महिलाओं के लिए अपना एक कमरा होने की पैरोकारी करती हैं, उसी तर्ज़ पर किताब महिलाओं के लिए अपना समय होने की पैरोकारी करती हैं। आज़ाद देश की आज़ाद महिलाओं के लिए समय की आज़ादी भी एक सपने की ही तरह है। मतलब कि उनके चौबीस घंटों के एक दिन में ऐसा कोई भी वक्त हो जब किसी इंसान, घर, ऑफिस के लिए उन्हें कुछ न करना हो। ऐसा कोई भी समय हो जब वो सिर्फ निठल्ले होने का सुख भोग सकें। स्त्रियों की समय की उपलब्धता को हमेशा पुरुष और परिवार ने अपनी सुविधाओं के हिसाब से तय किया है। इसमें स्त्रियों के खुद के लिए समय की न ही कोई चाहत बची है और न ही कोई अवसर। ऐसे में खुद के लिए समय चाहने और उसका मनमाफिक प्रयोग करना भी एक बड़ी जद्दोजहद है। सुजाता इस कहीं न दिखने वाले, कहीं न उठाए जाने वाले ज़रूरी मुद्दे पर भी पाठकों का ध्यान खींचती हैं।

देश, समाज, घर में ऐसी किसी जगह की कल्पना करना भर कितना सुखद हैं जहाँ हम महिलाओं को जज करने वाली, उनका चरित्र चित्रण करने वाली, उन्हें अच्छी लड़की- बुरी लड़की का सर्टिफिकेट बांटने वाली एक्सरे जैसे भेदक नज़रें नहीं होंगी। स्त्री निर्मिति ऐसे ही "जेंडर फ्री ज़ोन" बनाने की, जगह बनाने की जगह बड़ी शिद्दत से तलाशती है। सुजाता की सहज सरल भाषा और तीखे तेवर पाठकों को आकर्षित करते हैं। वे इस किताब में स्त्रियों से जुड़े आंदोलन, राजनीति में उनके प्रवेश, धर्म, साहित्य, भाषा, फिल्म, टीवी, विज्ञापन आदि सभी मुद्दों को कवर करती हैं। 'स्त्री निर्मिति' को स्त्री विमर्श पर एक सहयोगी किताब की तरह पढ़ा जाना चाहिए।

पुस्तक का नाम: स्त्री निर्मिति
लेखक का नाम : सुजाता
प्रकाशक : सामयिक प्रकाशन
मूल्य: 250/- रूपये

वेस्टर्न वॉल : एक इबादतगाह

नेहा रंजन, सहायक प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यालय

प्रदक्षिणा के इस अंक में हम बात करेंगे जेरुसलम स्थित पश्चिमी दीवार या वेस्टर्न वॉल के बारे में जिसे यहूदी संप्रदाय के बीच पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यूँ तो जेरुसलम इज़राइल – अरब तनाव में सबसे विवादित मुद्दा रहा है लेकिन साथ ही यह शहर ईसाई, मुस्लिम और यहूदी संप्रदाय के अनुयायियों के बीच एक अहम स्थान रखने की वजह से हमेशा सुर्खियों में भी रहा है। इस शहर पर कई बार कब्जा किया गया, ध्वस्त किया गया, फिर से बसाया गया और यही वजह है कि यहाँ की मिट्टी की हर तह में इतिहास की एक परत छुपी है। जेरुसलम स्थित ईसाईयों का पहला चर्च "द चर्च ऑफ होली सेपुल्कर", मुस्लमानों की "अल- अक्सा मस्ज़िद" और यहूदियों का पवित्र स्थल "पश्चिमी दीवार" इस शहर के इतिहास को और भी अधिक आकर्षक और सुदृढ़ बनाती है।

वेस्टर्न वॉल या पश्चिमी दीवार जिसे पश्चिम में वेलिंग वॉल और इस्लाम में बुराक वॉल के नाम से भी जाना जाता है, जेरुसलम के पुराने शहर में स्थित चूनापत्थर से बनी एक प्राचीन दीवार है जिसका निर्माण हेरोड द ग्रेट (रोम साम्राज्य के अधीन जुडीआ नामक राज्य का शासक) द्वारा मूल रूप से यहूदियों के द्वितीय इबादत स्थल के विस्तार करने की प्रक्रिया के दौरान किया गया था।

आरंभिक रूप से वेस्टर्न वॉल शब्द का प्रयोग उस भाग के लिए किया जाता था जहाँ यहूदी प्रार्थना करते थे, इसे 'वेलिंग वॉल' के नाम से भी जाना जाता था, जो कि उस प्रथा को संदर्भित करता है जिसके अंतर्गत यहूदी इस स्थान पर इबादतगाहों के विनाश का शोक मनाया करते थे। जेरुसलम पर ईसाई रोमन शासन के दौरान यहूदियों को जेरुसलम में प्रवेश करने की मनाही थी, वे केवल तीशा बाव यानि इबादतगाहों के लिए राष्ट्रीय शोक दिवस के दौरान ही शहर में प्रवेश कर सकते थे और धार्मिक स्थलों पर शोक मना सकते थे। यहाँ आपको बताते चलें कि तीशा बाव, यहूदी इतिहास का वार्षिक उपवास या शोक दिवस है, जिस दिन यहूदी इतिहास के अनुसार कई आपदाएँ / विनाशकारी घटनाएँ घटीं, जिनमें से निओ – बेबिलोनियन साम्राज्य द्वारा सोलोमन के धार्मिक स्थल का विनाश और जेरुसलम में रोमन साम्राज्य द्वारा द्वितीय इबादत स्थल का विनाश प्रमुख है। तीशा बाव को यहूदी कैलेंडर में सबसे दुखद दिन माना जाता है और यह दिन ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार जुलाई या अगस्त महीने में आता है। इसे ऐसे दिन के रूप में माना जाता है जो कि सिर्फ त्रासदी के लिए ही बना है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि 'वेलिंग वॉल' शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से ईसाईयों द्वारा ही किया जाता है और इस शब्द का प्रचलन प्रमुख रूप से गैर यहूदी नियंत्रण अवधि यानि 1920 में ब्रिटिश शासन के स्थापत्य और 1967 के छह दिवसीय युद्ध की अवधि के मध्य, के दौरान किया गया। धार्मिक यहूदियों और वैसे लोग जो "वेलिंग वॉल" शब्द को अपमानजनक समझते थे, के द्वारा इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था।

टेम्पल माउंट से इस दीवार की नज़दीकी इसे पवित्र स्थलों में से एक बनाती है। यहाँ आपको बताते चलें कि टेम्पल माउंट जिसे मुसलमानों द्वारा हरम एल-शरीफ के रूप में जाना जाता है, जेरुसलम के पुराने शहर में स्थित एक पहाड़ी है जिसे हजारों वर्षों से यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में समान रूप से एक पवित्र स्थल के रूप में सम्मानित किया गया है। मौजूदा समय में यह स्थल एक समतल प्लाज़ा की तरह है जो कि धारक दीवार या रिटेनिंग वॉल से घिरा हुआ है जिसमें पश्चिमी दीवार का हिस्सा भी शामिल है। इस प्लाज़ा में प्रारंभिक उमय्यद काल के तीन स्मारकीय ढाँचे यानि कि अल – अक्सा मस्ज़िद, द डोम ऑफ रॉक व द डोम ऑफ चेन एवं चार मीनारों का प्रभुत्व है। वर्तमान में, इस स्थान पर ग्यारह मार्गों से पहुँचा जा सकता है, जिनमें से दस मुसलमानों के लिए और एक गैर मुसलमानों के लिए आरक्षित है। इन सभी मार्गों पर इज़राइली पुलिस के गार्ड तैनात किए गए हैं।

इतिहास

हिब्रू बाइबिल के अनुसार, सोलोमन द्वारा निर्मित प्रथम इबादतगाह का निर्माण 10 वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था जिसे 586 ईसा पूर्व में बेबीलोनियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसे टेंपल माउंट के रूप में जाना जाता है। इसी स्थान पर दूसरे इबादतगाह का निर्माण 516 ईसा पूर्व में पूरा किया गया था। 19 ईसा पूर्व के आसपास हेरोद द ग्रेट ने टेंपल माउंट के विस्तार हेतु बड़े पैमाने पर एक परियोजना की शुरूआत की जिसके तहत न केवल इसका पूर्ण रूप से पुनर्निर्माण व विस्तार किया गया बल्कि कृत्रिम रूप से उस प्लेटफॉर्म के आकार का भी विस्तार किया गया जिसके ऊपर यह माउंट अवस्थित था। वर्तमान समय की पश्चिमी दीवार इस प्लेटफॉर्म की रिटेनिंग पेरीमीटर वॉल का हिस्सा है। वर्ष 2011 में हुई खुदाई के दौरान इज़राइली पुरातत्वविदों को इस दीवार की नींव के पत्थरों के नीचे बेहतरीन रूप से ढाले हुए रोमन सिक्के बरामद हुए, जिन्हें हेरोद के शासन काल के बाद के वर्षों का माना जा रहा है। इस खोज से ऐसा प्रतीत होता है कि हेरोद द्वारा अपनी मृत्यु के समय यानि 4 ईसा पूर्व तक दीवार के निर्माण कार्य को पूरा नहीं करवाया जा सका था। यह खोज इतिहासकार जोसेफस

फ्लेवियस द्वारा की गई। उनकी खोज यह भी पुष्टि करती है कि इस दीवार का निर्माण कार्य राजा अग्रिप्पा द्वितीय के शासनकाल के दौरान पूरा हुआ जो कि सम्राट हेरोद के परपोते थे।

70वीं ईस्वी में पहले यहूदी-रोमन युद्ध के दौरान रोमनों ने हेरोद द्वारा निर्मित इस इबादतगाह को पूरे जेरुसलम शहर सहित नष्ट कर दिया।

रोमन और बीजान्टिन काल (135–638 ई.)

135 ईस्वीं में बार कोखबा विद्रोह, जिसे तीसरा यहूदी – रोमन युद्ध भी कहा जाता है, को पूरी तरह से दबाने के पश्चात यहूदियों के जेरुसलम में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्हें केवल चुनिंदा मौकों पर ही शहर में प्रवेश करने की इज़ाज़त थी, उनमें से प्रमुख हैं- मॉउंट ऑलिव व टेंपल माउंट पर इबादत के लिए शहर में प्रवेश करने की अनुमति थी। इसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टैंटाइन। के शासनकाल के दौरान यहूदियों को केवल तीशा बाव (जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है) के दिन ही शोक मनाने के लिए शहर में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई थी। 333 ईस्वी में एक अज्ञात बोर्दो तीर्थयात्री ने इस स्थान के बारे में यह लिखा था कि **सभी यहूदी इस दीवार के नींव के पत्थरों या मोरिया की चट्टान के पास हर साल आते हैं, उसका अभिषेक करते हैं और यहाँ विलाप करते हुए अपना शोक प्रकट करते हैं। उनके अनुसार ऐसा इसलिए था क्योंकि रोम के शाही फ़रमान के द्वारा यहूदियों को जेरुसलम में रहने से रोक दिया गया था। उन्हें केवल वर्ष में एक बार ही शहर में प्रवेश करने की अनुमति थी जब वे तीशा बाव के अवसर पर अपने लोगों के भाग्य पर शोक व्यक्त करने के लिए जेरुसलम आ सकते थे।** चौथी शताब्दी के ईसाई स्रोतों से यह पता चलता है कि यहूदियों द्वारा पश्चिमी दीवार के पास प्रार्थना करने के अधिकार को पाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था। 425 ईस्वी गलीली के यहूदियों ने बीजांटीन साम्राज्ञी एलिया यूडोसिया से यहूदियों के इबादतगाहों के खंडहरों में इबादत या प्रार्थना करने की अनुमति हेतु एक लिखित याचिका भेजी थी। इस याचिका को स्वीकार करते हुए उन्होंने यहूदियों को उनके इबादतगाहों में प्रार्थना करने की अनुमति के साथ – साथ आधिकारिक रूप से जेरुसलम में फिर से बसने की भी अनुमति प्रदान कर दी।

इज़राइली पुरावशेष प्राधिकरण ने मई 2020 में लगभग चौदह सौ साल पुराने मोजाइक फ़र्श के नीचे खाद्य भंडारण हेतु प्रयोग किये जाने वाले एक ऐसे भूमिगत कमरे की खोज की जो कि बीजांटीन संरचना में बनी थी।

प्रारंभिक मुस्लिम काल (638–1517ई.)

इस स्थान पर पहली बार इस्लामिक परंपरा की मौजूदगी का उल्लेख चौदहवीं शताब्दी में तब सामने आया जब इस बात के साक्ष्य मिले कि बुराक को इसी स्थान पर बांधा गया था। इस्लामी मान्यता के अनुसार बुराक वह दैवीय प्राणी है जिसने एक रात में पैगम्बर मुहम्मद को मक्का से जेरुसलम और फिर टेम्पल माउंट, जहाँ वर्तमान में अल अक्सा मस्ज़िद मौजूद है, से स्वर्ग की यात्रा करवाई थी। इब्न फ़ुरकाह ही पांडुलिपि में बाब – अल – नबी यानि पैगम्बर के द्वार का ज़िक्र है, जिसका प्रयोग हरम – अल- शरीफ की दक्षिणी – पश्चिमी दीवार के एक द्वार के लिए किया जाता था।

ऑटोमन काल (1517–1917 ई.)

वर्ष 1517 में तुर्की सम्राट सलीम। के शासनकाल में ऑटोमन्स ने मामलुकों को हराकर जेरुसलम पर कब्जा कर लिया। सेलिम के पुत्र सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसियंट ने शहर के चारो ओर एक बड़ी दीवार के निर्माण का आदेश दिया था, जो आज भी वहाँ मौजूद है। सुलेमान द्वारा इबादतगाह की खोज के संबंध में कई लोकगाथाएँ प्रचलित है जैसे कि पश्चिमी दीवार की खोज के बाद सुल्तान ने उसे गुलाबजल से धोने का आदेश दिया था। उसी काल में, यहूदियों को उस स्थान पर इबादत करने की इजाजत दी गई और ऑटोमन वास्तुकार मिमर सिनन ने यहूदियों के लिए एक इबादतघर का निर्माण किया। वर्ष 1625 में पहली बार पश्चिमी दीवार पर प्रार्थना की गई।

मई 1840 में इब्राहिम पाशा ने एक फ़रमान जारी करके यहूदियों को दीवार के सामने रास्ता बनाने से रोक दिया था। फ़रमान के अनुसार यहूदियों को वहाँ अपनी किताबों के प्रदर्शन की भी मनाही थी। हालांकि, यहूदियों को वहाँ जाने की मनाही नहीं थी।

19वीं सदी के मध्य में रब्बी जोसेफ श्वार्ज़ लिखते हैं:

इस दीवार पर हमारे सभी भाई हर दावत और त्योहार पर जाते हैं; और इसके निचले हिस्से का एक बड़ा स्थान अक्सर इतना भरा होता है कि सभी एक ही समय में यहां अपनी इबादत नहीं कर सकते। हालांकि कम संख्या में ही प्रत्येक शुक्रवार दोपहर को कई यहूदी इस स्थान पर आते हैं और कुछ तो प्रतिदिन ही आते हैं। मुसलमानों द्वारा इन यात्राओं में किसी भी प्रकार की कोई भी दखलंदाजी नहीं की जाती है, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टेंटिनोपल के सुल्तान का एक बहुत पुराना फ़रमान है जिसके अनुसार इस स्थान पर हमारे प्रवेश को रोका नहीं जा सकता, हालांकि इस सुविधा के लिए पोर्टे को विशेष कर/टैक्स दिया जाता है, जो कि बेहद कम है।

समय के साथ इस साइट पर लोगों की बढ़ती संख्या के परिणामस्वरूप यहूदी आगंतुकों (जो आसान पहुँच और अधिक स्थान चाहते थे) और वहाँ के निवासियों के बीच तनाव पैदा होने लगा। इसी वजह से यहूदियों के बीच पश्चिमी दीवार से सटी हुई भूमि पर अपना आधिपत्य / स्वामित्व हासिल करने की धुन सवार हो गई।

1830 के दशक के अंत में शेमारिया लुरिया नाम के एक धनी यहूदी ने दीवार के पास घर खरीदने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे

उसी प्रकार बॉम्बे (वर्तमान में मुम्बई) के यहूदी संत अब्दुल्ला ने वर्ष 1850 में पश्चिमी दीवार को खरीदने का एक असफल प्रयास किया था। 1869 में रब्बी(धार्मिक गुरु) हिलेल मोशे गेलबस्टीन जेरुसलम में बस गए। उन्होंने व्यवस्था की कि बेंचों और टेबलों को उनके द्वारा आयोजित अध्ययन समूहों और मिंयान के लिए दैनिक आधार पर दीवार पर लाया जाए। उन्होंने एक योजना भी तैयार की जिसके तहत दीवार के सामने के कुछ स्थानों को अधिग्रहित कर उनमें तीन इबादतगाह स्थापित की जाएं जो कि सेफ़र्डिम, हसीदीम और पेरुशिम को समर्पित हों। उनके द्वारा "गार्ड ऑफ ऑनर" की एक प्राचीन प्रथा को फिर से स्थापित करने का भी प्रयास किया, जो कि टेम्पल माउंट के समीप स्थित थे। उन्होंने दीवार के पास एक कमरा किराए पर लिया और माउंट के चारो ओर पहरा देने के लिए प्रहरियों की नियुक्ति की। हालांकि यह व्यवस्था धन की कमी या अरब आक्रोश की वजह से ज्यादा दिन तक बनी नहीं रह सकी।

1887 में बैरन रोथ्सचाइल्ड ने मोरक्कन क्वार्टर को "यहूदियों के सम्मान" के द्योतक के रूप में खरीदने और ध्वस्त करने की योजना का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्तावित खरीद को जेरुसलम के ऑटोमन गवर्नर राऊफ पाशा और जेरुसलम के मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुस्सैनी का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भी यह योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी क्योंकि प्राधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि क्वार्टर को ध्वस्त करने के बाद भी वहां किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो सकता है, यहाँ केवल क्षेत्र को हरा - भरा बनाए रखने वाले पेड़ लगाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहूदियों का इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा। इसका मतलब यह था कि उनके पास लोगों को इस प्लाज़ा का उपयोग करने से रोकने का किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं था और लोग इस स्थान का प्रयोग विभिन्न गतिविधियों जैसे कि जानवरों को चराने के लिए भी कर सकते थे जिससे इबादत करने में परेशानी उत्पन्न हो सकती थी।

प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ से ठीक पहले यहूदियों के लिए पश्चिमी दीवार के आसपास की जमीन खरीदने के लिए फिलिस्तीन भूमि विकास कंपनी द्वारा कई प्रयास किए गए जिसे कभी भी मूर्त रूप प्राप्त नहीं हो सका। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य के प्रवेश के प्रथम दो महीनों में जेरुसलम के तुर्की गवर्नर ज़की बे ने मोरक्कन क्वार्टर, जिसमें लगभग 25 घर शामिल थे, को यहूदियों को बेचने की पेशकश की, ताकि प्रार्थना के लिए उपलब्ध क्षेत्र का विस्तार किया जा सके। उन्होंने 20,000 पाउंड की राशि का अनुरोध किया जिसका उपयोग मुस्लिम परिवारों को फिर से बसाने और दीवार के सामने एक सार्वजनिक उद्यान बनाने के लिए किया जाना था। हालाँकि, शहर के यहूदियों के पास धन की कमी होने के कारण इस योजना को कभी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका।

हालांकि, कुछ ही महीनों के बाद अरब मुस्लिमों के दबाव में आकर जेरुसलम के तुर्की अधिकारियों ने एक आधिकारिक फ़रमान जारी कर के यहूदियों को दीवार के पास बेंच और मोमबत्तियाँ रखने की मनाही कर दी। मुस्लिमों और यहूदियों के संबंधों में आई इस खटास को चाचम बशी ने सुधारने का प्रयास किया और वो इस प्रतिबंध को हटवाने में कामयाब रहे।

पश्चिमी दीवार के संबंध में जारी किए गए प्रमुख फ़रमान

वर्ष	जारीकर्ता	विषय वस्तु
1560	सुलेमान द मैग्निफिसियंट	दीवार पर इबादत करने हेतु यहूदियों के अधिकार को आधिकारिक मान्यता
1840	काहिरा के शासक इब्राहिम पाशा	यहूदियों को दीवार के सामने मार्ग के निर्माण हेतु रोकना। साथ ही वहाँ उनके द्वारा अपने ग्रंथों के प्रदर्शन पर भी मनाही। हालांकि उन्हें वहाँ जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।
1889*	अब्दुल हामिद द्वितीय	यहूदियों की धार्मिक यात्राओं और उन तीर्थ स्थानों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जो कि मुख्य धार्मिक प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में स्थित हैं। वर्ष 1893 व वर्ष 1909 में दो अलग – अलग फ़रमान जारी किए गए जो कि अब्दुल हामिद द्वितीय द्वारा जारी फ़रमान का समर्थन करते थे।
1911	लीवा की प्रशासनिक परिषद	यहूदियों को पश्चिमी दीवार पर कुछ विशेष कार्यक्रमों से रोकना

* इन फरमानों को यहूदी दल द्वारा वर्ष 1930 में अंतरराष्ट्रीय आयोग में पश्चिमी दीवार पर अपने अधिकारों के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया था। मुस्लिम अधिकारियों ने इसका यह तर्क देकर जवाब दिया कि यहूदी उपस्थिति की ऐतिहासिक मंजूरी मुसलमानों द्वारा दिखाई गई सहिष्णुता थी, अतः उनके द्वारा ऐसा करने से किसी भी प्रकार का सकारात्मक अधिकार स्वीकार नहीं किया गया है।

ब्रिटिश शासन (1917-48 ई.)

दिसंबर 1917 में, एडमंड एलेनबी के नेतृत्व में मित्र देशों की सेना ने तुर्कों को हराकर जेरुसलम पर कब्जा कर लिया। एलेनबी ने यह प्रण लिया कि "हर पवित्र भवन, स्मारक, पवित्र स्थान, तीर्थ, पारंपरिक स्थल, बंदोबस्ती, पवित्र वसीयत, या तीन धर्मों (ईसाई, यहूदी और मुस्लिम) के किसी भी रूप की प्रार्थना की प्रथागत जगह को मौजूदा रीति-रिवाजों और विश्वासों जिनके अनुसार वे पवित्र हैं, को बनाए रखा जाएगा और संरक्षित किया जाएगा।"

1920 की शुरुआत में दीवार पर पहला यहूदी-अरब विवाद तब हुआ जब मुस्लिम अधिकारी दीवार के ऊपरी हिस्से में मामूली मरम्मत कार्य कर रहे थे। यहूदियों ने, यह मानते हुए कि कार्य आवश्यक थे, अंग्रेजों से यह अपील की कि उन्हें नवगठित पुरावशेष विभाग की देखरेख में पूरा किया जाए क्योंकि दीवार एक प्राचीन अवशेष थी।

1923 में इस दीवार सहित मघरेबी वक्फ (इस्लामी धर्मार्थ संपत्ति) को पट्टे पर देने का प्रयास किया गया। अमेरिकी करोड़पति नाथन स्ट्रॉस के वित्तीय समर्थन के साथ, यहूदी न्यायाधीश गैड फ्रुमकिन द्वारा गुप्त रूप से बातचीत शुरू की गई थी। फिलीस्तीन यहूदी कार्यकारी के अध्यक्ष कर्नल एफएच किश ने यह स्पष्ट किया कि "इसका उद्देश्य मोरक्कन निवासियों को चुपचाप से वहां से निकालना था जिसके बाद उसे ध्वस्त किया जा सके ताकि उपासकों को इबादत करने के लिए ज्यादा जगह प्रदान की जा सके"। हालांकि कीमतों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी होने के कारण स्ट्रॉस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और यह योजना विफल हो गई।

वर्ष 1928 में यहूदी संगठन ने रिपोर्ट किया कि फ़िलिस्तीन के उच्चायुक्त जॉन चांसलर का मानना था कि पश्चिमी दीवार को यहूदी नियंत्रण में आना चाहिए और वे इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि "क्यों किसी महान यहूदी परोपकारी ने इसे अभी तक नहीं खरीदा था"।

सितंबर 1928 की अशांति / उपद्रव

वर्ष 1922 में अनिवार्य प्राधिकरण द्वारा जारी यथास्थिति समझौते या स्टेटस क्यू (जिसकी चर्चा हम पिछले अंक में कर चुके हैं) के तहत दीवार के पास बेंच या कुर्सियों को रखने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन चचम बाशी के हस्तक्षेप के बाद तुर्की फ़रमान को जल्द ही वापस ले लिया गया था। वर्ष 1928 में जेरुसलम के जिला आयुक्त एडवर्ड कीथ-रोच ने प्रतिबंध को लागू करने के लिए किए गए अरबी अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए दीवार पर तैनात किया कि यहूदी वहाँ बैठे नहीं। साथ ही यहूदियों को प्रार्थना के समय महिला और पुरुषों को अलग करने वाले स्क्रीन या मेचित्ज़ा के प्रयोग की अनुमति भी नहीं दी गई थी।

24 सितंबर, 1928 को प्रायश्चित के दिन यानि योम किप्पुर के अवसर पर ब्रिटिश पुलिस ने प्रार्थना में पुरुषों और महिलाओं को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्क्रीन को बलपूर्वक हटाने का प्रयास किया। जिन महिलाओं ने स्क्रीन को तोड़ने या हटाने से रोकने की कोशिश की उन्हें पुलिस द्वारा पीटा गया साथ ही बुजुर्ग उपासकों से कुर्सियाँ भी छीन ली गई और उन्हें नीचे धकेल दिया गया। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय प्रकरण का रूप ले लिया और दुनिया भर के यहूदियों ने ब्रिटिश कार्रवाई पर आपत्ति जताई। योसेफ चैम सोननफेल्ड, जेरुसलम में अति-रूढ़िवादी यहूदियों के प्रमुख धार्मिक गुरु ने अपने समुदाय की ओर से एक विरोध पत्र जारी कर इस घटना की निंदा की, वहीं एडाह हाचेरीडिस और अगुदास यिस्रोएल ने पवित्र स्थल के इस प्रकार के अपमान की कड़ी निंदा की। इस घटना के विरोध में विभिन्न सांप्रदायिक नेताओं ने आम हड़ताल का आह्वान किया।

आयुक्त एडवर्ड कीथ-रोच ने स्क्रीन या मेचित्ज़ा के प्रयोग को ऑटोमन साम्राज्य द्वारा लगाई गई यथास्थिति के उल्लंघन करने के रूप में वर्णित किया जिसके तहत यहूदियों को पश्चिमी दीवार क्षेत्र में कोई भी निर्माण करने की अनुमति नहीं थी।

उन्होंने यहूदी समुदाय के लोगों को सूचित किया कि स्क्रीन को हटाने का आदेश उन्हें मुस्लिम सुप्रीम काउंसिल से प्राप्त शिकायतों के आधार पर जारी करना पड़ा। अरब के मुस्लमान इस बात से चिंतित थे कि यहूदी संप्रदाय दीवार पर अपने अधिकारों का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह के प्रयासों से यहूदियों का इरादा अल-अक्सा मस्जिद पर कब्जा करने का था। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की व्याख्या करते हुए एक घोषणा जारी की और दीवार पर इबादत करने हेतु एवं सहायता करने के लिए यहूदी बीडल को इस घटना का दोषी करार कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने इस बात पर बल दिया कि स्क्रीन को वहाँ से हटाना आवश्यक था लेकिन साथ ही साथ सरकार ने उसके अनुक्रम में हुई घटनाओं पर खेद भी व्यक्त किया।

यहूदियों द्वारा अल अक्सा मस्जिद पर कब्ज़ा करने के संबंध में परिकल्पित इरादों और योजनाओं के विरोध में एक व्यापक अरब अभियान ने देश को तहस-नहस कर दिया और एक "सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ़ द मुस्लिम होली प्लेसेस" की स्थापना की गई। वाड लेउमी ने अरबी मुसलमानों द्वारा परिकल्पित आशंकाओं का जवाब देते हुए एक बयान में घोषणा की कि "हम एतदद्वारा ईमानदारी से घोषणा करते हैं कि किसी भी यहूदी ने कभी भी अपने पवित्र स्थानों पर मुसलमानों के अधिकारों का अतिक्रमण करने के बारे में नहीं सोचा है लेकिन हमारे अरब भाइयों को भी फिलीस्तीन में स्थित यहूदियों के पवित्र स्थानों को सम्मान देना चाहिए।"

अक्टूबर 1928 से, मुफ्ती अमीन अल-हुसैनी ने टेंपल माउंट और उसके आस पास के स्थलों के लिए अरबों के अनन्य दावों को प्रदर्शित

करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने पश्चिमी दीवार के बगल में और उसके ऊपर नए निर्माण का आदेश दिया। इसी दौरान अंग्रेजों ने अरबों को दीवार से सटी एक इमारत को मस्जिद में बदलने और उसमें एक मीनार के निर्माण की अनुमति प्रदान की थी। साथ ही साथ नमाज़ के लिए इस्लामी आह्वान करने और दीवार के ठीक बगल में सूफी संस्कार करने के लिए एक मुअज्जिन (नमाज के लिये सब लोगों का पुकारनेवाला) को भी नियुक्त किया गया। इस घटना को दीवार पर प्रार्थना करने वाले यहूदियों द्वारा उकसावे के रूप में देखा गया और यहूदियों ने इसका विरोध किया । इस प्रकरण ने यहूदियों और मुसलमानों के बीच के तनाव को और अधिक बढ़ा दिया।

पश्चिमी दीवार विवाद का प्रमुख मुद्दा यानि दीवार पर यहूदी उपासकों के अधिकार के संबंध में एक ब्रिटिश जाँच का संयोजन किया गया था। इस जाँच के दौरान सुप्रीम मुस्लिम काउंसिल द्वारा तुर्की शासनकाल के दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जो उनके दावों का समर्थन करते थे । हालांकि यहूदियों के मुख्य धार्मिक प्राधिकरण से इस संबंध में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ कि उन्हें दीवार पर कौन से उपकरण ले जाने की अनुमति प्रदान की गई है । यहूदियों ने इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें बिना किसी रोक - टोक के इस स्थल पर इबादत करने की अनुमति है। तत्पश्चात नवंबर 1928 में सरकार ने "द वेस्टर्न या वेलिंग वॉल इन जेरुसलम : मेमोरेंडम बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉलोनीज़" शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया जिसमें स्टेटस क्यू अर्थात यथास्थिति को बनाए रखने पर जोर दिया गया और साथ ही यहूदियों को यह निर्देश भी दिया गया कि वे दीवार पर केवल उन्हीं चीजों को ला सकते हैं जिसकी अनुमति उन्हें तुर्की शासनकाल में प्रदान की गई थी।

इस श्वेत पत्र के जारी होने के कुछ ही महीने बाद हज अमीन ने चांसलर से यह शिकायत की कि "यहूदी अधिक संख्या में बेंच और टेबल दीवार पर ला रहे है और दीवार में कील ठोक कर उन पर लैंप लटका रहे हैं।"

1929 के फिलिस्तीन दंगे

1929 की गर्मियों में मुफ्ती हज अमीन अल हुसैनी ने गली के दक्षिणी छोर को खोलने का आदेश दिया जो दीवार से घिरा हुआ था। इस वजह से cul-de-sac यानि वो गली जो अभी तक एक छोर से बंद थी , अब एक मार्ग बन गई जो टेंपल माउंट से दीवार के इबादत गाह तक जाती थी। इस संकरी गली से जानवरों को यहाँ वहाँ ले जाया जाता था , जो अपने मल -मूत्र से मार्ग को गंदा कर देते थे , साथ ही आस -पास में कई निर्माण योजनाएँ भी चलाई जा रही थी , जिसकी वजह से दीवार तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही संकीर्ण हो गया था। इन सभी कारणों की वजह से यहूदियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया।

24 अगस्त, 1929को दीवार पर इबादत करने वाले यहूदियों पर हुए हमलों के बाद लगभग 6,000 यहूदियों ने तेल अवीव में "दीवार हमारी है" का नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया। अगले दिन, तीशा बाव के यहूदी उपवास के दौरान करीब 300 युवाओं ने यहूदी झंडा फहराया और हतिका (इज़राइल का राष्ट्रीय गान, जो कि वास्तव में उन्नीसवी शताबदी में रचित एक यहूदी कविता है) गाया । एक दिन बाद यानि कि 16 अगस्त को 2000 अरब मुसलमानों की एक संगठित भीड़ ने पश्चिमी दीवार पर आक्रमण किया और बीडल को नुकसान पहुँचाते हुए इबादत ग्रंथों , धार्मिक सामग्री और इबादत संबंधी नोट्स को जला दिया । दंगा शहर के यहूदी वाणिज्यिक क्षेत्र में फैल गया और कुछ दिनों बाद हेब्रोन नरसंहार (जिस दौरान करीब उनहत्तर यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था) को अंजाम दिया गया। अरब दंगों में करीब एक सौ तैंतीस यहूदी मारे गए और 339 घायल हुए और बाद में दंगों को दबाने की प्रक्रिया में ब्रिटिश पुलिस द्वारा 110 अरब मारे गए। यह फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन की अवधि के दौरान यहूदियों पर अब तक का सबसे घातक हमला था।

1930 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय आयोग

वर्ष 1929 में हुए दंगों की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार द्वारा "पश्चिमी दीवार पर मुसलमानों और यहूदियों के अधिकारों और दावों को निर्धारित करने के लिए" वर्ष 1930 में एक आयोग की स्थापना की गई।

आयोग ने यह नोट किया कि 'यहूदी दीवार या उसके सामने फुटपाथ पर किसी भी स्वामित्व का दावा नहीं करते हैं" (यहूदी परामर्शदाता का समापन भाषण, कार्यवृत्त, पृष्ठ 908)।

आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि दीवार, उसके सामने के फुटपाथ और मोरक्कन क्वार्टर पर पूरी तरह मुस्लिम वक्फ का स्वामित्व है । हालांकि, यहूदियों को "इबादत के उद्देश्य के लिए पश्चिमी दीवार पर किसी भी समय आने" का अधिकार है जो कि कुछ शर्तों के अधीन थे जैसे कि सीमित वस्तुओं को दीवार पर लाना और शोफर (यहूदियों द्वारा धार्मिक आयोजनों के दौरान बजाए जाने वाला हॉर्न), जिसे अवैध घोषित कर दिया गया था, को बजाना। मुसलमानों को भी जानवरों या अन्य साधनों से यहूदी इबादत को बाधित करने से मना किया गया था।

आयोग की सिफारिशों को फ़िलिस्तीन (पश्चिमी दीवार) परिषद में आदेश, 1932 द्वारा कानून के रूप में पारित किया गया जो 8 जून 1932 को लागू हुआ। पारित किए गए कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर 50 पाउंड का जुर्माना या 6 महीने तक की कैद या दोनों लगाया जा सकता था।

1930 के दशक के दौरान योम किप्पुर के समापन के अवसर पर युवा यहूदियों द्वारा प्रति वर्ष शॉफ़र प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाता था और शॉफ़र बजाया जाता था जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तारी

और अभियोजन का सामना करना पड़ता था । उन्हें आमतौर पर जुर्माना या तीन से छह महीने के कारावास की सजा सुनाई जाती थी।

जॉर्डन का शासन (1948-67 ई.)

1948 के अरब-इजरायल युद्ध के दौरान जेरुसलम के पुराने शहर और पश्चिमी दीवार पर जॉर्डन का कब्जा था । 1949 के युद्धविराम समझौते के अनुच्छेद VIII में अन्य बातों के अलावा "पवित्र स्थानों और सांस्कृतिक संस्थानों तक सुलभ पहुंच और माउंट ऑफ ऑलिव पर कब्रिस्तान बनाए जाने " की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया। 1949 के दौरान समिति की बैठकें कई बार आयोजित की गईं लेकिन दोनों पक्षों द्वारा रखी गई अतिरिक्त मांगों के अलावा फिलिस्तीन सुलह आयोग दोनों पक्षों की इच्छा के विरुद्ध जेरुशलेम के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए दबाव बना रहा था। इनके बीच कभी भी कोई समझौता नहीं हुआ, जिससे दोनों दिशाओं में आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते रहे। जॉर्डन के अधिकार क्षेत्र में न तो इजरायली अरब और न ही इजरायली यहूदी अपने पवित्र स्थानों की यात्रा कर सकते थे। ईसाइयों के लिए बेथलहम में क्रिसमस समारोहों में भाग लेने को एक अपवाद स्वरूप मान लिया था। कुछ स्रोतों का दावा है कि यहूदी दीवार पर तभी जा सकते हैं जब वे जॉर्डन से होकर यात्रा करते थे और उनके पासपोर्ट पर इज़राइली वीसा की मुहर नहीं होती थी । यह विकल्प इज़राइलियों के लिए उपलब्ध नहीं था। माउंट ज़ियोन पर एक सुविधाजनक स्थान था जहाँ से दीवार को देखा जा सकता था। इस स्थान पर यहूदी इबादत करने के लिए एकत्रित होते थे। इजरायल के नियंत्रण में दीवार के सबसे नजदीकी स्थान होने के कारण हजारों तीर्थयात्रियों के लिए माउंट ज़ियॉन पारंपरिक धार्मिक / priestly आशीर्वाद समारोह , जो कि तीन तीर्थ उत्सवों पर आयोजित होता था, के लिए एक स्थानापन्न स्थल बन गया।

इज़राइली शासन (1967 से)

1967के छह-दिवसीय युद्ध के दौरान इजरायल की जीत के बाद पश्चिमी दीवार इजरायल के नियंत्रण में आ गई। ब्रिगेडियर रब्बी श्लोमो गोरेन ने अपने कब्जे के बाद घोषणा की कि "इज़राइल फिर से दीवार को कभी नहीं छोड़ेगा"। चीफ ऑफ स्टाफ जनरल यित्ज़ाक राबिन ने उस पल का वर्णन किया जब इजरायली सैनिक दीवार पर पहुंचे:

"छह-दिवसीय युद्ध में यह एक ऐसा क्षण था जो महान जीत का प्रतीक था: यह वह क्षण था जब गुर की कमान के तहत पहले पैराट्रूपर्स पश्चिमी दीवार के पत्थरों तक पहुंच गए और वे जगह की भावना को महसूस कर रहे थे ; उसके जैसा पल पहले कभी नहीं आया था और कभी नहीं आएगा। किसी ने उस पल के बारे में नहीं सोचा था । किसी ने इसकी पहले से योजना नहीं बनाई थी। किसी ने इसे तैयार नहीं किया था और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था; यह ऐसा था जैसे प्रोविडेंस ने इसे पूर्ण रूप से निर्देशित किया था: पैराट्रूपर्स उन साथियों के लिए दर्द में रो रहे थे जो रास्ते में घायल हो गए थे। 19 साल के मौन के बाद पश्चिमी दीवार के पत्थरों ने प्रार्थना के शब्द, शोक के आंसू, खुशी के नारे और "हतीकाह" के गायन को सुना था ।"

दीवार पर कब्जा करने के अड़तालीस घंटे बाद बिना किसी स्पष्ट सरकारी आदेश के सेना ने मोरक्कन क्वार्टर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, जो दीवार से लगभग तेरह फीट की दूरी पर बसा हुआ था। 650 लोगों वाले लगभग 106 अरब परिवारों को रातों रात अपने घर छोड़ने का आदेश दिया गया। जब उन्होंने मना कर दिया, तो उनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिए गए जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए ।

ईयाल वीज़मैन के अनुसार, चैम हर्ज़ोग, जो बाद में इज़राइल के छठे राष्ट्रपति बने, ने इस विनाश का बहुत अधिक श्रेय लिया:

जब हमने वेलिंग वॉल का दौरा किया तो हमें उससे जुड़ा एक शौचालय मिला ... हमने इसे हटाने का फैसला किया और इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम वेलिंग वॉल के सामने वाले पूरे क्षेत्र को खाली करवा सकते थे । यह एक ऐतिहासिक अवसर था जो दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। हम जानते थे कि अगले शनिवार यानि 14 जून को यहूदियों द्वारा शावोट नामक त्योहार मनाया जाएगा और बहुत से लोग प्रार्थना करने के लिए आना चाहेंगे । तब तक यह सब पूरा हो जाना था।

संकरा फुटपाथ जिसमें प्रति दिन अधिकतम 12,000 लोग बैठ सकते थे को एक विशाल प्लाज़ा में तब्दील कर दिया गया जिसमें लगभग 400,000 से अधिक लोग बैठ सकते थे ।

1967 में बनाए गए नए प्लाजा का उपयोग पूजा और सार्वजनिक समारोहों के लिए किया जाता है, जिसमें बार मिट्ज्वा समारोह और इज़राइल रक्षा बलों में नए सैनिकों के शपथ ग्रहण समारोह , इत्यादि शामिल हैं। छुट्टियों , विशेष रूप से तिशा बाव (इबादतगाह के विनाश का दिन) और जेरुसलम दिवस (1967 में जेरुसेलम के पुन: एकीकरण और दीवार पर यहूदियों के कब्जे का दिन) के अवसर पर हजारों की संख्या में यहूदी पश्चिमी दीवार पर आते हैं।

नवंबर 2010 में सरकार ने यहूदी क्वार्टर से दीवार तक पहुंचने में सुलभता और दीवार पर बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए NIS 85m ($23m) योजना को मंजूरी दी।

इजराइल के द्वारा जेरुसलम पर कब्ज़े के पश्चात यहूदियों को पश्चिमी दीवार पर इबादत करने के अनुमति मिल गई है। विवादग्रस्त होने के बावजूद जेरुसलम शहर आज भी दुनिया के तीन प्रमुख धर्मों के लिए पवित्र धर्मस्थली के रूप में विख्यात है ।

बैंक ऋणों में सिबिल कंपनियों की भूमिका

महावीर सिंह मीणा, प्रबंधक, जयपुर क्षेत्र

सिबिल कंपनियां महज एक रिपोर्टिंग एजेंसी नहीं होती है बल्कि इनका कार्य इससे भी कहीं बढ़कर है । ये कंपनियां अत्याधुनिक, ग्लोबल रिस्क इंफॉर्मेशन संबंधी जानकारी प्रदान करती हैं । ग्राहकों के लिए उनके क्रेडिट इतिहास और आर्थिक प्रतिष्ठा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए जानकारी और साधन प्रदान करती हैं, तथा निजी जानकारी की चोरी होने और संभावित धोखाधड़ी से सुरक्षित रखती हैं । ये कंपनियां प्रोफेशनल सर्विस और व्यवसाय के लिए व्यापक डाटा और सशक्त जानकारी प्रदान करती हैं, जिससे बेहतर तरीके से पूरी जानकारी के साथ सही निर्णय लिए जा सके ।

इन कंपनियों की यात्रा वर्ष 2000 से शुरू हुई । सबसे पहले ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड की स्थापना आरबीआई की सिद्दीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2000 में की गई । इसके बाद सन् 2004 में क्रेडिट ब्यूरो सर्विसेज तथा सन् 2007 में भारत का पहला जेनरिक मॉडल सिबिल स्कोर पेश किया गया । सन् 2010 में क्रेडिट इंडस्ट्री के लिए सिबिल चेक की शुरुआत की गई । इसके बाद सन् 2011 में ग्राहकों के लिए सिबिल ट्रांस यूनियन स्कोर व सन् 2016 में ट्रांस यूनियन सिबिल में 82% हिस्सेदारी ग्रहण कर ट्रांस यूनियन सिबिल के नाम से भारत की अग्रणी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी बन गई । ये सभी कंपनियां भारतीय बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है ।

सिबिल कंपनियों के कार्य:

सिबिल का पूरा नाम क्रेडिट इनफॉरमेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड है । यह क्रेडिट की जानकारी देने वाली कंपनी है, जो व्यक्तियों और संगठनों की क्रेडिट संबंधित सभी गतिविधियों के रिकॉर्ड को मेंटेन करती हैं । बैंकिंग, गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और दूसरे फाइनेंसियल संस्थान ग्राहक की क्रेडिट जानकारी ब्यूरो को सबमिट करते हैं । भारत में 4 क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां जैसे: ट्रांस यूनियन सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन और सी आर आई एफ हाईमार्क का काम करती है । इन संस्थानों को व्यक्तियों से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड इकट्ठा करने, बनाए रखने और डाटा के आधार पर क्रेडिट रिपोर्ट या क्रेडिट स्कोर जनरेट करने का लाइसेंस प्राप्त है । क्रेडिट

इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट ब्यूरो 30 से 45 दिनों के बाद डाटा जमा करते हैं, जिसे बाद में इन कंपनियों द्वारा अपडेट किया जाता है । सिबिल किसी व्यक्ति के रिकार्ड में प्रदर्शित रिकार्ड को हटा नहीं सकता और न ही उसमें बदलाव कर सकता है ।

इस जानकारी के आधार पर सिबिल क्रेडिट से जुड़ी जानकारी की रिपोर्ट सीआइआर जारी करता है और कस्टमर को क्रेडिट स्कोर देता है । यह डॉक्यूमेंट और संबंधित क्रेडिट स्कोर जिसे आमतौर पर सिबिल स्कोर कहा जाता है आवेदक की क्रेडिट योग्यता निर्धारित करता है और उधारकर्ता को बताता है कि आवेदक द्वारा समय पर ऋण चुकाने की क्या संभावना है ।

सिबिल स्कोर

सिबिल स्कोर 3 अंकों का एक नंबर होता है, जो 300 से 900 के बीच होता है । आवेदक द्वारा ऋण या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म भरने और उसे ऋणदाता को सौंपने के बाद ऋण दाता सबसे पहले आवेदक की सिबिल स्कोर और रिपोर्ट की जांच करता है। यह क्रेडिट स्कोर ही किसी व्यक्ति की कर्ज़ अदा करने की साख को नापने का महत्वपूर्ण पैमाना है इसलिए यह ऋण या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ।

सिबिल कंपनियों द्वारा रिपोर्ट बनाने के आधार

सिबिल को बैंक और अन्य फाइनेंस संस्था द्वारा ऋण या क्रेडिट कार्ड का डाटा प्रदान किया जाता है । सिबिल इस डाटा को प्राप्त करके सिबिल रिपोर्ट या सीआइआर तैयार करता है । सिबिल रिपोर्ट तैयार करने के लिए सिबिल निम्नलिखित तत्वों का उपयोग करता है -

नंबर 1 सिबिल स्कोर -

सबसे पहले व्यक्ति के सिबिल स्कोर को प्राप्त किया जाता है, जो कि 300 से 900 के बीच होता है, जिसे निर्धारित प्रक्रिया द्वारा कैलकुलेट करके प्राप्त किया जाता है।

नंबर 2 व्यक्तिगत जानकारी -

सिबिल इसके बाद व्यक्ति से संबंधित जानकारी, जैसे : नाम, पैन नंबर, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर आदि को प्राप्त किया जाता है।

नंबर 3 बैंक खाता -

इसके बाद बैंक खाता से संबंधित जानकारी जैसे : ऋण और क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारी ,वर्तमान राशि ऋण राशि, क्रेडिट कार्ड लिमिट आदि की जानकारी सूचीबद्ध की जाती है।

नबंर 4 क्रेडिट इंक्वायरी -

यदि आवेदक क्रेडिट कार्ड के आधार पर ऋण लेना चाहता है, तो ऋण देने वाली संस्था सिबिल से उसका क्रेडिट रिकॉर्ड लेने के लिए अनुरोध करती है, इसे इंक्वायरी कहा जाता है।

बैंक ऋणों में सिबिल कंपनियों की भूमिका :

बैंक या ऋण देने वाली संस्थाओं में सिबिल कंपनियों की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह संस्थान मौद्रिक लेनदेन के साथ-साथ अपने ग्राहकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं जैसे : ऋण, लॉकर सुविधा, धन हस्तांतरण ड्राफ्ट ,पोर्टफोलियो प्रबंधन जारी करना आदि। अतः इन सिबिल कंपनियों द्वारा तैयार किए गए डाटा के आधार पर ही बैंक को ग्राहक की हिस्ट्री पता चलती है, कि वह ग्राहक ऋण देने योग्य है या नहीं। क्योंकि ब्यूरो कंपनी द्वारा तैयार किया गया डाटा ही बैंक को या ऋणदाता को जानकारी देता है उस व्यक्ति ने पहले से कहीं अन्य संस्थान से ऋण ले रखा है या नहीं। अगर ले रखा है तो उसने उस कर्ज़ की अदायगी किस प्रकार की है। या तमाम तरह के बिलों का भुगतान करने में उसका रवैया किस प्रकार का रहा है। क्रेडिट स्कोर को व्यक्ति की क्रेडिट प्रोफाइल का आईना भी कह सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट स्कोर यह दर्शाता है कि अमुक व्यक्ति को ऋण देने में कितना जोखिम हो सकता है। यह उस व्यक्ति की ऋण लिमिट को भी निश्चित करता है कि वह व्यक्ति कितना ऋण लेने योग्य है। लेकिन सिबिल स्कोर कम होने का मतलब यह भी नहीं है कि आवेदक की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाएगा, परंतु यह हो सकता है कि उसे ऋण ऊंची ब्याज दर पर मिले या उसने जितनी राशि के लिए आवेदन किया था उससे कम राशि के लिए ऋण मंजूर हो। स्कोर कभी भी शून्य नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है या क्रेडिट के लिए वह बहुत नया है तो उसके क्रेडिट स्कोर के साथ 'लागू नहीं या NA' या 'एनएच NH' जोड़ा जाता है।

निष्कर्ष :-

अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सिबिल कंपनियां बैंकों के लिए सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती हैं, क्योंकि इनके द्वारा तैयार किए गए रिकॉर्ड के आधार पर ही बैंक ऋण लेने वाले व्यक्ति के बारे में सही और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। बैंक को ऋण देने से पूर्व ही भविष्य में होने वाली संभावित जोखिम का पता लग जाता है और वह इस प्रकार के खतरों से बच जाता है। इन कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी के आधार पर ही वह ऋण के लिए सही ग्राहक का चुनाव कर पाता है। बैंक समाज के अभिन्न अंग होते हैं। उनको होने वाले फायदे या नुकसान का प्रभाव समाज पर पड़ता है। अतः सिबिल कंपनियाँ भले प्रत्यक्ष रूप से बैंकों के लिए लाभदायक होती हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये हमारे समाज के लिए भी उतनी ही लाभदायक और भरोसेमंद सिद्ध हो रही है। बैंकर आमतौर पर सिबिल स्कोर और जनरेट की गई रिपोर्ट के आधार पर ही ऋण देने पर विचार करते हैं। यदि सिबिल स्कोर 750 से अधिक है और उधारकर्ता ने ऋण चुकतान में कोई चूक नहीं की है, या उनके द्वारा लिए गए ऋण सेटल या राइट ऑफ को नहीं दर्शाया गया है तो बैंकर ऐसे ऋण आवेदनों पर विचार करता है। यदि ऋण आवेदक की स्थिति इसके विपरित है तो बैंकर को ऐसे आवेदकों को ऋण देने में कठिनाई हो सकती है। किसी व्यक्ति का ऋण मंजूर करने या नहीं मंजूर करने में सिबिल स्कोर एवं उसकी रिपोर्ट की अहम भूमिका होती है। फिर भी, बैंकर को ऋण देते समय अपनी ऋण नीति दस्तावेज के द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने के साथ ही सिबिल संबंधी अभिव्यक्ति किसी भी ऋण प्रस्ताव में देनी पड़ती है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि आवेदक के बारे में प्रस्तुत की गई जानकारियाँ रिपोर्ट के आधार पर तथ्यपरक हैं।

ज्ञान के मोती

सबसे उत्तम तीर्थ अपना मन है जो विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ हो।

-स्वामी शंकराचार्य

अपनी पीड़ा सह लेना और दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुंचाना, यही तपस्या का स्वरूप है।

-संत तिरुवल्लुवर

मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होती।

- चाणक्य

मन एक भीरु शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है।

- प्रेमचंद

विश्वास वह पंछी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है।

- रवींद्रनाथ ठाकुर

जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता।

- ओशो

क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात कहने के बजाय दूसरों के हृदय को ज्यादा दुखाता है।

-मुंशी प्रेमचंद

सौंदर्य और विलास के आवरण में महत्त्वाकांक्षा उसी प्रकार पोषित होती है जैसे म्यान में तलवार।

-रामकुमार वर्मा

ख्याति नदी की भाँति अपने उद्गम स्थल पर क्षीण ही रहती है किंतु दूर जाकर विस्तृत हो जाती है।

-भवभूति

जिस बंदे को दिन की पेट भर रोटी नहीं मिलती, उसके लिए इज्जत और मर्यादा सब ढोंग है।

- मुंशी प्रेमचंद

अन्याय होने पर चुप रहना, अन्याय करने के ही समान है।

- मुंशी प्रेमचंद

अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए, तो यह उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे।

- मुंशी प्रेमचंद

हंसी की फुलझड़ियाँ

एक मच्छर उदास बैठा था।
दूसरे मच्छर ने पूछा, इतना उदास क्यूँ है भाई।
पहला मच्छर – यार साबुनदानी में साबुन रहता है, चूहेदानी में चूहा रहता है, फिर मच्छरदानी में इंसान क्यूँ रहते हैं?

यमराज – बोलो वत्स, कहाँ जाना चाहते हो? स्वर्ग या नर्क?
प्राणी – महाराज, धरती से मेरा मोबाइल और चार्जर मांगवा दीजिए, उसके बाद मैं कहीं भी रह लूँगा।

डॉक्टर – आपका वज़न कितना है?
मरीज – चश्में के साथ 74 किलो।
डॉक्टर – और बिना चश्मे के?
मरीज – वो तो चश्मा उतारने के बाद दिखाई नहीं देता।

मरीज की एक टांग नीली हो गई।
डॉक्टर – लगता है आपके पैर में सेप्टिक हो गया है, पैर काटना पड़ेगा।
कुछ दिनों बाद मरीज की दूसरी टांग भी नीली हो गई।
डॉक्टर – लगता है आपके दूसरे पैर में भी सेप्टिक हो गया है, उसे भी काटना पड़ेगा।
कुछ दिनों के बाद मरीज की नकली टांगें भी नीली हो गईं।
डॉक्टर – ओह! अब समझ में आया। लगता है, आपकी जींस कलर छोड़ रही है।

संता अपनी पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था।
चंडीगढ़ मेल आई और वो दौड़ कर उस पर चढ़ गया,
और चिल्ला कर अपनी पत्नी से बोला, जब चंडीगढ़ फ़ीमेल आए तो तू भी चढ़ जाना।

टीचर – एक टोकरी में 10 सेब थे, उसमें 2 सड़ गए तो कितने सेब बचे?
बच्चा – सर 10
टीचर – वो कैसे?
बच्चा – सर, सेब सड़ने एक बाद भी सेब ही रहेंगे, संतरा थोड़ी न बन जाएंगे।

संविधान सभा और हिंदी

संविधान सभा में लम्बी चर्चा के बाद 14 सितम्बर सन् 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया । इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी । इस स्मृति को ताजा रखने के लिये 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है । ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है ।

14 सितम्बर की शाम को संविधान सभा में हुई बहस के समापन के बाद जब संविधान का भाषा सम्बन्धी तत्कालीन भाग 14 (क) और वर्तमान भाग 17, संविधान का भाग बन गया तब डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने भाषण में बधाई के कुछ शब्द कहते हैं - "आज पहली बार ऐसा संविधान बना है जब हमने अपने संविधान में एक भाषा को स्थान दिया है, जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी । इस अपूर्व अध्याय का देश के निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा" । उन्होंने इस बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि संविधान सभा ने अत्यधिक बहुमत से भाषा-विषयक प्रावधानों को स्वीकार किया । अपने वक्तव्य के उपसंहार में उन्होंने जो कहा वह अविस्मरणीय है । उन्होंने कहा, यह मानसिक दशा का भी प्रश्न है जिसका हमारे समस्त जीवन पर प्रभाव पड़ेगा । हम केन्द्र में जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उससे हम एक-दूसरे के निकटतर आते जाएँगे । आख़िर अंग्रेज़ी से हम निकटतर आए हैं, क्योंकि वह एक भाषा थी । अब उस अंग्रेज़ी के स्थान पर हमने एक भारतीय भाषा को अपनाया है । इससे अवश्यमेव हमारे संबंध घनिष्ठतर होंगे, विशेषतः इसलिए कि हमारी परम्पराएँ एक ही हैं, हमारी संस्कृति एक ही है और हमारी सभ्यता में सब बातें एक ही हैं । अतएव यदि हम इस सूत्र को स्वीकार नहीं करते तो परिणाम यह होता कि या तो इस देश में बहुत-सी भाषाओं का प्रयोग होता या वे प्रांत पृथक हो जाते जो बाध्य होकर किसी भाषा विशेष को स्वीकार करना नहीं चाहते थे ।

संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी है । संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप (अर्थात 1, 2, 3 आदि) है । किन्तु इसके साथ संविधान में यह भी व्यवस्था की गई कि संघ के कार्यकारी, न्यायिक और वैधानिक प्रयोजनों के लिए 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे । तथापि यह प्रावधान किया गया था कि उक्त अवधि के दौरान भी राष्ट्रपति कतिपय विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग का प्राधिकार दे सकते हैं ।

1. अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएँ हैं?
   i. 6 ii. 7
   iii. 8 iv. 9
2. राजभाषा अनिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजातों को द्विभाषी रूप से जारी करने का दायित्व किसका है?
   i. ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का
   ii. कार्यालय प्रमुख का
   iii. कार्यालय के राजभाषा विभाग
   iv. इनमें से कोई नहीं
3. राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ?
   i. 11 मई 1963 ii. 10 मई 1963
   iii. 11 मई 1964 iv. 10 मई 1962
4. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब लागू हुई?
   i. 26 जनवरी 1964 ii. 26 जनवरी 1963
   iii. 26 जनवरी 1965 iv. 26 जनवरी 1966
5. राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को किस भाषा में जारी करना अनिवार्य है?
   i. क्षेत्रीय भाषा-हिंदी-अंग्रेजी त्रिभाषी रूप में
   ii. हिंदी तथा अंग्रेजी द्विभाषी रूप में
   iii. हिंदी iv. अंग्रेजी
6. राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था?
   i. धारा 4 ii. धारा 4 (1)
   iii. धारा 5 iv. धारा 4(2)
7. राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन सी धारा के उपबंध जम्मू – कश्मीर राज्य को लागू नहीं होता है?
   i. धारा 6 ii. धारा 7
   iii. धारा 6 व 7 iv. धारा 8
8. राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन सी धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है?
   i. धारा 6 ii. धारा 7
   iii. धारा 8 iv. धारा 9
9. राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3(1) ख के अनुसार संघ और किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया के बीच पत्राचार में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा?
   i. हिंदी ii. हिंदी – अंग्रेजी द्विभाषी में
   iii. अंग्रेजी iv. राज्यों की सुविधा के अनुसार
10. राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3(3) में कुल कितने दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है?
    i. 11 ii. 12
    iii. 13 iv. 14

* प्रश्नोत्तरी के उत्तर अगले अंक में प्रकाशित किए जाएंगे ।

पिछले अंक के उत्तर

1. ii	2. iii	3. i	4. ii	5. ii	6. ii	7. iii	8. i
9. i	10. iv	11. i	12. iii	13. iv	14. i	15. ii	

संकलनकर्ता,
दिनेश कुमार साव,
प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली

हमें आपके बैंक से 'वाणी' का 129वां (अप्रैल – जून 2021) अंक प्राप्त हुआ है । पत्रिका बड़ी ही सुव्यवस्थित एवं सुरुचिपूर्ण है । इसमें संकलित लेख जैसे साइबर एवं सूचना सुरक्षा : आपका अधिकार और आपका ही कर्तव्य , वित्तीय साक्षरता : हर एक के लिए बैंकिंग आदि बड़े ज्ञानवर्धक लगे तथा कविताओं में – फीस हुई बीमारी और शिक्षा ठेकेदारी , मैं चिरागों को जला देता हूँ तथा दो रंग आदि बहुत ही रुचिकर लगीं । इस पत्रिका में चित्रांकन बड़ा ही आकर्षक है और भाषा भी सरल , सटीक तथा सहज है । इसके लिए समस्त संपादक मंडल बधाई के पात्र हैं ।

आशा करते हैं कि भविष्य में भी पत्रिका प्राप्त होती रहेगी ।

(कामेश सेठी)
महा प्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

आपके बैंक की गृह पत्रिका 'वाणी' का जनवरी – मार्च 2021 का अंक प्राप्त हुआ । तदर्थ धन्यवाद ।

यह अंक 'राजभाषा' पर आधारित है , जो कि पूर्णतः समसामयिक है । वास्तव में वर्तमान में सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया है । राजभाषा संबंधी लेख 12 प्र की संकल्पना एक ज्ञानवर्धक लेख है । इसके अलावा राजभाषा संबंधी अन्य लेख , कोरोना पर लेख एवं सबसे ज्यादा विदेशी इतिहास से संबंधी तीनों लेख बहुत ही सराहनीय हैं ।

उत्कृष्ट एवं सार गर्भित प्रकाशन के लिए संपादक मंडल को हार्दिक बधाई ।

(राजीव वार्ष्णेय)
सहायक महा प्रबंधक (राजभाषा)
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

केंद्रीय कार्यालय की पत्रिका 'वाणी' का नवीनतम अंक प्राप्त कर हमें अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है| संपादक मंडल के सभी सदस्यों को मेरी ओर से बधाई एवं शुभकामनाएँ। सबसे पहले मैं, बैंक के केंद्रीय कार्यालय के साथ साथ राजभाषा विभाग की पूरी टीम को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीतने के लिए बधाई देना चाहता हूँ । यकीनन राजभाषा विभाग के सार्थक प्रयासों ने हमेशा बैंक का सम्मान बढ़ाया है। आशा है भविष्य में भी, बैंक को गौरवान्वित करने के लिए विभाग प्रयासरत रहेगा। पूरे बैंक की गतिविधियों का सटीक चित्रण एक पत्रिका में करना किसी चुनौती से कम नहीं है किन्तु हमारे बैंक के साथियों ने पत्रिका के पिछले अंकों की भांति ही, इस चुनौती को हल कर दिखाया है। बैंक, साहित्य,कविता, ज्ञान और हंसी को एक सार्थक रूप में पिरोया गया है| पत्रिका के चित्रों से पूरे भारत के क्षेत्रीय कार्यालयों के क्रिया-कलापों को देखने का अवसर मिलता है | सभी साथियों को पुन: उनकी कर्मठता और मेहनत के लिए मैं शुभकामनाएँ देता हूँ एवं कोरोना काल में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखने का निवेदन करता हूँ|

(भूपेन्द्र नारायण सिंह)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय, ब्रह्मपुर

वाणी पत्रिका का 130 वां अंक प्राप्त कर अपार हर्ष की अनुभूति हुई । पत्रिका में शामिल सभी रचनाएँ पठनीय एवं सारगर्भित हैं। कार्यपालकों के प्रेरणादायी संदेश निरंतर प्रगति की ओर प्रेरित करते हैं और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं । गृह मंत्रालय से प्राप्त "कीर्ति पुरस्कार" के लिए राजभाषा विभाग को बहुत-बहुत बधाइयाँ । विशेष आलेख से लेकर, खतों के रास्ते इतिहास वाली पत्रिका अपने अंदर कई आयाम समेटे हुए है। हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सुंदर आयोजन के लिए सभी राजभाषा अधिकारियों को शुभकामनाएँ । पत्रिका की साज-सज्जा व कलेवर आकर्षक है । मैं पत्रिका में योगदान देने वाले सभी रचनाकारों और पत्रिका के सम्पादन मण्डल को हार्दिक बधाई देता हूँ । पत्रिका के आगामी अंक के लिए मेरी शुभकामनाएँ ।

रंजय कुमार मिश्रा
वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

गतिविधियाँ

दिनांक 22.12.2021 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण करते हुए वित्तीय सेवाएँ विभाग के अधिकारीगण - **श्री संजय कुमार,** उप सचिव, वि.से.वि एवं **श्री भीम सिंह ,** उप निदेशक (राजभाषा)। साथ में हैं - **श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता** (एमडी व सीईओ), **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव** (कार्यपालक निदेशक), **सुश्री एस. श्रीमती** (कार्यपालक निदेशक), **श्री शिव कुमार गुप्ता** (महा प्रबंधक) एवं **श्री जगदीश चंद्र** (सहायक महा प्रबंधक - राजभाषा)

निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कार्यालय के उच्च कार्यपालकगण और निरीक्षणकर्ता के साथ राजभाषा विभाग की टीम

वाणी के 130वें अंक का विमोचन करते हुए कार्यपालक गण (दाएँ से बाएँ - **श्री शिव कुमार** गुप्ता, महा प्रबन्धक; **सुश्री एस श्रीमती,** कार्यपालक निदेशक; **श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता,** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी; **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव,** कार्यपालक निदेशक; **श्री जगदीश चंद्र,** सहायक महा प्रबंधक-राजभाषा)

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good People to grow with

फास्टैग
यात्रा हेतु आसान तरिका

एनईटीसी
राष्ट्रीय विद्युतकीय टॉल संग्रहण

फास्टैग आपके लिए उपलब्ध

लेन-देन के लिए एसएमएस अलर्ट

फ़ास्टैग से जुड़े आइओबी के खाते के माध्यम से हुए हर लेनदेन पर ग्राहक को अपने पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस अलर्ट प्राप्त होगा

नकदी रहित लेन-देन

ग्राहकों को टोल टैक्स भुगतान के लिए नकद साथ रखने के झंझट से मुक्ति

ग्राहक वेब पोर्टल पर जाने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें

ऑनलाइन रिचार्ज

ग्राहक फ़ास्टैग से जुड़े अपने खाते को डेबिट कार्ड या इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं

ग्राहकों के लिए वेब पोर्टल

ग्राहक फ़ास्टैग ग्राहक पोर्टल पर लॉग-इन कर अपने लेनदेन का विवरण देख सकते हैं

स्वचालित रूप से रिचार्ज

फ़ास्टैग वालेट में न्यूनतम राशि होने की स्थिति में आइओबी के बचत एवं चालू खाता धारकों के पास अपने खाते से वालेट में स्वचालित रूप से निधि अंतरित करने का विकल्प मौजूद है ।

reachus@iob.com ☎ 1800 425 4445

हमें फॉलो करें

@IOBIndia @IOBIndia @IOBIndia